लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३१, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXI, 1964/1886 (Saka)

[२९ अप्रैल से ६ मई, १९६४/९ से १६ वैशाख, १८८६ (शक)]

April 29 to May 6, 1964/Vaishakha 9 to Vaisakha 16, 1886 (Saka)

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

Preservation Unit
1-5-96
Fumigated
On 14/12/83
Parliament Library

(खण्ड ३१ में अंक ६१ से ६६ तक हैं)

(Volume XXXI contains Nos. 61 to 66)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक–सभा वाद–विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक ६२—गुरुवार, अप्रैल ३०, १९६४/१० वैशाख, १८८६ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४७६९—९७
*तारांकित प्रश्न संख्या	
१२५२ परिवार नियोजन के लिये आवश्यक सामान	४७६९—७२
१२५३ पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी .	४७७२—७८
१२५४ सांभर नमक .	४७७८—७९
१२५६ गृह-निर्माण के लिये ऋण . . .	४७७९—८१
१२५९ बाग, पेंच, करवन्द तथा ऊपरी ताप्ती सिंचाई परियोजनायें	४७८१
१२६० "नेशनल हेराल्ड" . . .	४७८१—८३
१२६१ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से राजस्व . .	४७८३—८६
१२६२ अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण .	४७८६—८९
१२६३ दरभंगा हवाई अड्डा .	४७८९—९०
१२६४ "सी" बिजली घर .	४७९०—९२
१२६५ निर्वाह-व्यय देशनांक . . .	४७९२—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
२१ पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का पुनर्वास .	४७९३—९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	४७९७—४८४२
तारांकित प्रश्न संख्या	
१२५५ कृषि-प्रयोजनों के लिये सहायता	४७९७
१२५७ औषधियों का निर्माण	४७९७—९८
१२५८ संसद्-सदस्यों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना .	४७९८
१२६६ मानसिक रोग चिकित्सालय, दिल्ली . .	४७९८—९९
१२६७ मद्य निषेध समिति	४७९९
१२६७-क अमरीकी व्यापारियों का भारत का दौरा . .	४७९९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 62—Thursday, April 30 1964/Vaisakho 10, 1886 (Saka)

	Subject	Pages
	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	4769—97
**Starred Questions Nos.*		
1252	Family Planning Accessories . . .	4769—72
1253	Refugees from East Pakistan . . .	4772—78
1254	Sambhar Salt	4778-79
1256	House building Loans	4779—81
1259	Bagh, Pench, Karwand and Upper Tapti Irrigation Projects	4781
1260	National Herald	4781—83
1261	Revenue from Public Sector Enterprises .	4783—86
1262	Educationl and Training of Scheduled Tribes	4786—89
1263	Darbhanga Airport . .	4789-90
1264	'C' Power Station . .	4790—92
1265	Cost of Living Index . .	4792-93
Short Notice Question No.		
21	Rehabilitation of Refugees coming from East Pakistan	4793—97
	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	4797—4842
Starred Questions Nos.		
1255	Assistance for Agricultural Purposes	4797
1257	Manufacture of Drugs	4797—98
1258	Central Government Health Schemes for M.Ps.	4798
1266	Mental Hospital, Delhi .	4798-99
1267	Prohibition Committee . . .	4799
1267-A	U. S. Businessmen's Visit to India . . .	4799

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the was actually asked of the floor of the House by that Member.

	विषय	पृष्ठ
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१२६८	पर्यवेक्षी कर्मचारियों से काम लेना . .	४८००
१२६८	गंगा नहर . .	८००-०१
१२७०	महलनवीस समिति .	४८०१
१२७१	होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति . .	४८०१-०२
१२७१-क	औद्योगिक उपक्रमों के लिये रूसी सहायता .	४८०२
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२६५२	नागापट्टिनम में तापीय बिजलीघर	४८०२
२६५३	मद्रास राज्य में जल सम्भरण . . .	४८०३
२६५४	कालकाजी कालोनी, दिल्ली में विस्थापित लोगों को भूमि	४८०३
२६५५	पकड़ा गया सोना .	४८०३
२६५६	दिल्ली में क्षम रोगी	४८०३-०४
२६५७	विदेशी धर्म प्रचार संस्थाओं द्वारा खोले गये अस्पताल और चिकित्सालय .	४८०४
२६५८	कैंसर का इलाज .	४८०४
२६५९	प्रादेशिक बिजली बोर्ड . . .	४८०४-०५
२६६०	कम आय वर्ग के लिये मकान बनाने के लिये ऋण	४८०५
२६६१	नागपुर नगर की क्रमोन्नति	४८०५-०६
२६६२	चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान	४८०६
२६६३	दामोदर घाटी निगम नहर	४८०६-०७
२६६४	दिल्ली में भूमिगत जल	४८०७
२६६५	दिल्ली में मनोरंजन कर वसूली	४८०७-०८
२६६६	कृषि धन को अन्य कामों में लगाना .	४८०८
२६६७	नार्थ अर्काट जिला, मद्रास राज्य में पेय जल की कमी	४८०८-०९
२६६८	सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिये जमीनें	४८०९
२६६९	दिल्ली में बिक्री कर की समाप्ति . .	४८१०
२६७०	पंजाब के पहाड़ी इलाकों में पीने का पानी .	४८१०
२६७१	महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनायें	४८१०-११
२६७२	बीजापुर जिले में अकाल .	४८११
२६७३	उत्तर प्रदेश में अनुसन्धान योजनायें .	४८११-१२
२६७४	उत्तर प्रदेश में विद्युत् और सिंचाई क्षमता .	४८१२

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd*

Starred Questions Nos.	Subject	Page
1268	Employment of Supervisory Staff	4800
1269	Gang Canal	800–01
1270	Mahalanobis Committee	4801
1271	Homoeopathic System of Medicine .	4801–2
1271-A	Soviet Aid for Industrial Enterprises . .	4802

Unstarred Questions Nos.		
2652	Thermal Power Station at Nagapattinam .	4802
2653	Water Supply in Madras State . . .	4803
2654	Land to D.Ps. in Kalkaji Colony, Delhi .	4803
2655	Gold Seized . .	4803
2656	T.B. Patients in Delhi	4803–4
2657	Hospitals and Dispensaries opened by Foreign Missionaries	4804
2658	Cure for Cancer . .	4804
2659	Regional Electricity Boards . . .	4804–05
2660	Housing Loans for Low Income Group . .	4805
2661	Upgradation of Nagpur City .	4805–6
2662	Grants to Medical Institutions	4806
2663	D.V.C. Canal . .	4806–07
2664	Sub-soil Water in Delhi . . .	4807
2665	Entertainment Tax Collections in Delhi	4807–08
2666	Diversion of Agricultural Funds	4808
2667	Scarcity of Water Supply in North Arcot Distt. Madras State	4808–09
2668	Housing Plots for Government Servants .	4809
2669	Abolition of Sales Tax in Delhi . .	4810
2670	Drinking Water in Hilly Areas of Punjab	4810
2671	Irrigation Projects in Maharashtra	4810–11
2672	Famine in Bijapur Distt.	4811
2673	Research Schemes in U.P.	4811–12
2674	Power and Irrigation Potential in U.P. .	4812

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२६७५	उत्तर प्रदेश के देहातों में पानी की सप्लाई	४८१२
२६७६	मकान बनाने के हेतु ऋणों के लिए आवेदनपत्र	४८१३
२६७७	डालमिया–जैन संस्थाओं के निरीक्षक	४८१३
२६७८	डालमिया–जैन संस्थाओं के निरीक्षक	४८१३–१४
२६७९	उड़ीसा में सिंचाई परियोजनायें	४८१४
२६८०	छाती के कैंसर का इलाज	४८१४
२६८१	चौथी योजना	४८१५
२६८२	दिल्ली में प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र	४८१५
२६८३	विधवाओं के लिये पेन्शन लाभ	४७१५–१६
२६८४	गैस और कारबाइड पर बिक्रीकर	४८१६
२६८५	पोस्त की खेती	४७१६–१७
२६८६	सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में क्षयरोग आरोग्यशाला	४८१७
२६८७	जम्मू तथा काश्मीर से आये विस्थापित व्यक्ति	४८१७
२६८८	जनपथ होटल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	४८१८
२६८९	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक चिकित्सा	४८१८
२६९०	होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, दिल्ली के लिये निर्वाचन	४५१८
२६९१	होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, दिल्ली का रजिस्ट्रार	४८१८–१९
२६९२	होम्योपैथिक चिकित्सा, बोर्ड	४७१९
२६९३	केन्द्रीय होम्योपैथिक सलाहकार समिति	४८१९–२१
२६९५	दन्त चिकित्सकों की कमी	४८२१
२६९६	मेडिकल कालिज	४८२१
२६९७	राज्यों में शरणार्थियों के लिये नये उद्योग	४८२२
२६९८	नई दिल्ली नगर पालिका पर बकाया रकम	४८२२
२६९९	सरकारी बस्तियों में लॉन और पार्क	४८२२–२३
२७००	कृषि के लिये बिजली	४८२३–२४
२७०१	भारतीय सार्थों के लिये अमरीकी ऋण	४८२४
२७०२	तस्कर सामान	४८२४
२७०३	आई० एस० ए० कालोनी, नई दिल्ली में दुकानें	४८२४
२७०४	आन्ध्र प्रदेश की परियोजनायें	४८२५
२७०६	ताप्ती को नर्मदा से मिलाना	४८२५

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2675	Rural Water Supply in U.P.	4812
2676	Applications for House-building Loans	4813
2677	Inspector of Dalmia-Jain Concerns	4813
2678	Inspector of Dalmia-Jain Concerns	4813--14
2679	Irrigation Projects in Orissa	4814
2680	Cure for Breast Cancer	4814
2681	Fourth Plan	4815
2682	Maternity and Child Welfare Centres in Delhi	4815
2683	Pension Benefits for Widows	4815--16
2684	Sales Tax on Gas and Carbide	4816
2685	Poppy Cultivation	4816--17
2686	T. B. Sanatorium at Saharanpur (U.P.)	4817
2687	Refugees from J. & K.	4817
2688	Strike by Janpath Hotel Workers	4818
2689	Nature Cure Treatment under C.G.H.S.	4818
2690	Elections to Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi	4818
2691	Registrar of Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi	4818--19
2692	Board of Homoeopathic System of Medicine	4819
2693	Central Homoeopathic Advisory Committee	4819—21
2695	Shortage of Dentists	4821
2696	Medical Colleges	4821
2697	New Industries in States for Refugees	4822
2698	Dues Outstanding Against N.D.M.C.	4822
2699	Lawns and Parks in Government Colonies	4822--23
2700	Electricity for Agriculture	4823--24
2701	U. S. Credits for Indian Firms	4824
2702	Smuggled Goods	4824
2703	Shops in I.N.A. Colony, New Delhi	4824
2704	Andhra Pradesh Project	4825
2706	Linking of Tapti with Narvada	4825

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२७०७	सहकारी अस्पताल और क्लिनिक	४८२५
२७०८	कम्पनयों का समापन	४८२५–२६
२७०९	उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों का विकास . . .	४८२६
२७१०	उड़ीसा के महा-लेखापाल . . .	४८२६–२७
२७११	लद्दाख के लिये जल-विद्युत योजना . . .	४८२७
२७१२	राज्यों को दिये गये ऋणों का पूंजीकरण . .	४८२७
२७१३	परिवार नियोजन कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र .	४८२७–२८
२७१४	उड़ीसा में ग्रामीण जल-सम्भरण योजनायें .	४८२८
२७१५	उड़ीसा में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण .	४८२८
२७१६	उड़ीसा में चेचक और हैजा	४८२९
२७१७	पी० एल० ४८० प्रतिरूप निधियां . . .	४८३०
२७१९	उड़ीसा में कुष्ठरोग अग्रिम परियोजनायें .	४८३०
२७२०	वेतन बचत योजना . .	४८३१
२७२१	दामोदर घाटी निगम . . .	४८३१
२७२२	पत्थर कोयले की राख .	४८३१–३२
२७२३	उड़ीसा में ग्राम्य विद्युतीकरण . . .	४८३२
२७२४	कोटा में अफ़ीम की खेती . . .	४८३२–३३
२७२५	भारत–नेपाल सीमा पर सीमा-शुल्क चौकी .	४८३३
२७२६	केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली	४८३३
२७२७	अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा कर–अपवंचन का अध्ययन .	४८३४
२७२८	वेतन–मान की अवधि .	४८३४
२७२९	योजना मंत्री का विदेशों में दौरा .	४८३४
२७३०	विलिंगडन अस्पताल . .	४८३५
२७३१	सरकारी ऋण . .	४८३५
२७३२	राजस्थान में ग्राम्य जल सम्भरण .	४८३६
२७३३	रायपुर अस्पताल में शरणार्थियों की मृत्यु .	४८३६–३७
२७३४	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा–निधि .	४८३७
२७३५	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् . .	४८३७
२७३७	बांधों का निर्माण	४८३८
२७३८	डाक-तार कर्मचारियों के क्वार्टर .	४८३८
२७३९	कोटा (राजस्थान) में ड्रेन . .	४८३८

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
2707	Co-operative Hospitals and Clinics . . .	4825
2708	Companies in Liquidation . . .	4825--26
2709	Development of Backward Areas in Orissa .	4126
2710	Accountant General, Orissa . . .	4826--27
2711	Hydro electric Scheme for Ladakh .	4827
2712	Capitalisation of State Loans . . .	4827
2713	Family Planning Workers' Training Centres .	4827--28
2714	Rural Water Supply Schemes in Orissa . .	4828
2715	Medical Education and Training in Orissa .	4828
2716	Small Pox and Cholera in Orissa . .	4829
2717	PL 480 Counterpart Funds . .	4830
2719	Leprosy Pilot Projects in Orissa . . .	4830
2720	Pay Roll Savings Scheme .	4831
2721	D.V.C. . . .	4831
2722	Coal Ash	4831--32
2723	Rural Electrification in Orissa . .	4832
2724	Cultivation of Opium in Kotah . .	4832--33
2725	Customs Post on Indo-Nepal Border . . .	4833
2726	Central Homoeopathic Research Institute, New Delhi	4833
2727	Study of Tax Evasion by U.S. Experts .	4834
2728	Span of Pay-Scales	4834
2729	Planning Minister's Visit Abroad	4834
2730	Willingdon Hospital	4835
2731	Government Loans	4835
2732	Rural Water Supply in Rajasthan . . .	4836
2733	Death of Refugees in Raipur Hospital .	4836--37
2734	International Monetary Fund	4837
2735	Central Homoeopathic Council . .	4837
2737	Construction of Dams	4838
2738	P. & T. Staff Quarters . . .	4838
2739	Drains in Kotah, Rajasthan	4838

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२७४०	सेटलमेन्ट कमिश्नरों के पास विचाराधीन मामले .	४८३९
२७४१	भारत में निष्क्रांत-मकान . .	४८३९–४०
२७४२	पुराने किले से निकाले गये विस्थापित व्यक्ति . .	४८४०
२७४३	होम्योपैथी . .	४८४०–४१
२७४४	दूध से मिठाइयों का निर्माण . . .	४८४१
२७४५	मैसर्स बंगाल एनैमल, कलकत्ता के लिये विदेशी मुद्रा	४८४१
२७४५-क	आर्थिक समन्वय सम्बन्धी विशेष विभाग .	४८४२
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न) . . .		४८४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र		४८४३
प्राक्कलन समिति		
कार्यवाही–सारांश और विवरण		४८४४–४५
राज्य सभा से संदेश		४८४५
लोक लेखा समिति		
लोक लेखा समिति		
छब्बीसवां प्रतिवेदन		४८४५
प्राक्कलन समिति		
सत्तावनवां, अट्ठावनवां, इकसठवां और बासठवां प्रतिवेदन .		४८४६
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति		
दूसरा प्रतिवेदन		४८४६
कार्य मंत्रणा समिति		
सत्ताईसवां प्रतिवेदन		४८४६–४७
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा विधेयक		४८४७--५१
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव		४८४७
श्री भक्त दर्शन		४८४७--४९
खण्ड २ से ७ और १		४८४९--५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .		४८५०
श्री भक्त दर्शन . .		४८५०–५१

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2740	Cases Pending with Settlement Commissioners	4839
2741	Evacuee Houses in India	4839-40
2742	D.Ps. evicted from Purana Qila	4340
2743	Homoeopathy	4840-41
2744	Manufacture of Sweetmeats from Milk	4841
2745	Foreign Exchange for M/s Bengal Enamel Calcutta	4841
2745-A	Department of Special Economic Coordination	4842
	Re: Calling Attention Notice (Query)	4842
	Papers laid on the Table	4843
	Estimates Committee	
	Minutes and Statements	4844-45
	Messages from Rajya Sabha	4845
	Public Accounts Committee	
	Twenty-sixth Report—presented	4845
	Estimates Committee	
	Reports presented	
	Fifty-seventh, Fifty-eighth, Sixty-first and Sixty-second	4846
	Committee on Government Assurances	
	Second report	4846
	Business Advisory Committee	
	Twenty-seventh Report	4846-47
	Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha Bill	4847-51
	Motion to consider, as passed by Rajya Sahba	4847
	Shri Bhakt Darshan	4847-49
	Clauses 2 to 7 and 1	4849-51
	Motion to pass, as amended	4850
	Shri Bhakt Darshan	4850-51

विषय	पृष्ठ
भारत का औद्योगिक विकास बैंक विधेयक	४८५२–६६
विचार करने का प्रस्ताव	४८५२
श्री ति०त० कृष्णमाचारी .	४८५२—५३
श्री इन्द्रजीत गुप्त . .	४८५३–५६
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी . .	४८५६
श्री पी० रा० रामकृष्णन . . .	४८५६—५७
श्री मुरारका .	४८५७—५८
श्री हिम्मतसिंहका .	४८५८
श्री बड़े	४८५८—५९
श्री रंगा	४८५९
श्री व० बा० गांधी . .	४८५९—६०
श्री श्यामलाल सर्राफ . . .	४८६०
श्रीमती रेणुका राय .	४८६०—६२
खंड २ से ३८ और १ . . .	४८६२
पारित करने का प्रस्ताव . .	४८६२
श्री ति० त० कृष्णमाचारी .	४८६२–६५
श्री दी० चं० शर्मा	४८६५—६६
शेख अब्दुल्ला के स्वागत के बारे में	४८५४—५५
भारतीय सिक्के (संशोधन) विधेयक	४८६६–६९
विचार करने का प्रस्ताव . .	४८६६
श्री ब० रा० भगत . .	४८६६
श्री हेडा . . .	४८६६
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी .	४८६६
श्री मुरारका . .	४८६६
डा० मा० श्री अणे . . .	४८६७
महाराजकुमार विजय आनन्द	४८६७
श्री सोनावने .	४८६७
श्री च० का० भट्टाचार्य	४८६७
श्री कन्डप्पन	४८६७
श्री यशपाल सिंह .	४८६७
श्री शिव नारायण . .	४८६७—६८

Subject	Page
Industrial Development Bank of India Bill .	4852-66
Motion to consider'	4852
Shri T. T. Krishnamachari	4852-53
Shri Indrajit Gupta	4853-56
Shri Tridib Kumar Chaudhuri	4856
Shri P. R. Ramakrishnan	4856-57
Shri Morarka	4857-58
Shri Himatsingka	4858
Shri Bade	4858-59
Shri Ranga	4859
Shri V.B. Gandhi	4859-60
Shri Sham Lal Saraf . .	4860
Shrimati Renuka Ray	4860-62
Clauses 2 to 38 and 1	4862
Motion to pass	4862
Shri T. T. Krishnamachari	4862-65
Shri D.C. Sharma	4865-66
Re: reception to Sheikh Abdullah.	4854-55
Indian Coinage (Amendment) Bill	4866-69
Motion to consider'	4866
Shri B. R. Bhagat	4866
Shri Heda	4866
Shri Tridib Kumar Chaudhuri	4866
Shri Morarka	4866
Dr. M. S. Aney	4867
Maharajkumar Vijaya Ananda	4867
Shri Sonavane	4867
Shri C. K. Bhattacharyya.	4867
Shri S. Kandappan . .	4867
Shri Yashpal Singh . .	4867
Shri Sheo Narain	4867-68

विषय	पृष्ठ
भारतीय (सिक्के) संशोधन विधेयक—जारी	
खण्ड २, ३ और १	४८६८
पारित करने का प्रस्ताव .	४८६८
श्री ब० रा० भगत . .	४८६८
श्री च० का० भट्टाचार्य . .	४८६८
श्री बूटा सिंह . .	४८६८
श्री ति० त० कृष्णमाचारी .	४८६९
नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक . . .	४८६९–७०
विचार करने का प्रस्ताव .	४८६९
श्री मनुभाई शाह .	४८६९–७०
श्री वासुदेवन नायर . . .	४८७०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	
नवां प्रतिवेदन	४८७०-७१

Subject	Page
Clauses 2, 3 and 1	4868
Motion to pass	4868
Shri B. R. Bhagat	4868
Shri C. K. Bhattacharyya	4868
Shri Buta Singh	4868
Shri T. T. Krishnamachari	4869
Coir Industry (Amendment) Bill	4869-70
Motion to consider	4869
Shri Manubhai Shah	469-70
Shri Vasudeven Nair	4870
Committee on Absence of Members from Sittings of House	
Ninth Report.	4870-71

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, ३० अप्रैल, १९६४/१० वैशाख, १८८६ (शक)

Thursday, April 30, 1964/ *Vaisakha* 10, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

परिवार नियोजन के लिये आवश्यक सामान

\+

*१२५२. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री दिनांक २० फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में परिवार नियोजन के लिये आवश्यक सामान का निर्माण करने के प्रस्ताव पर इस बीच सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में गर्भनिरोधक वस्तुओं के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार के अनुरोध पर फोर्ड प्रतिष्ठान का तकनीकी सलाहकारों का एक दल हाल ही में भारत आया था। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो रही है।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या मैं जान सकता हूं कि लोग परिवार नियोजन के लिये अधिकतर किस किस्म का सामान इस्तैमाल करते हैं और क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उनकी अपनी शादी हो गई है ?

श्री रामचन्द्र उलाका : मेरा मतलब है कि क्या परिणाम हुये हैं ।

डा० द० स० राजू : मोटे तौर पर दो तरह की गर्भनिरोधी वस्तुयें हैं, रासायनिक तथा रबड़ की बनी हुई । रासायनिक गर्भनिरोधकों में गोलियां, जैली और झागदार टिकियां आती हैं और रबड़ के गर्भनिरोधकों की तीन या चार श्रेणियां हैं---कैप्स, कनडोम्स और डायाफ्राम ।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मैंने सोचा था कि संयम भी इनमें से एक है ।

श्री अ० प्र० जैन : त्यागी जी, आप उत्तर न दें, आप मन्त्री हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने मित्रों की अधिक चिन्ता है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या रबड़ के बने गर्भ निरोधकों का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो अन्य कौन से तरीके अपनाने का विचार है ?

डा० द० स० राजू : यह कहना ठीक नहीं है कि रबड़ के बने गर्भनिरोधक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं । इन सभी गर्भनिरोधको के उपयोग की सर्वोत्तम विधियों का पता लगाने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं । खाने की गोलियों तथा बढ़िया किस्म के गर्भनिरोधकों का प्रयोग किया जा रहा है, अनुसन्धान हो रहा है ।

श्री दे० जी० नायक : ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़े रुढ़िवादी हैं और वे रबड़ की बनी वस्तुओं को खरीद नहीं सकते । इसलिये क्या मैं सरकार से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह ग्रामीण लोगों से देशी गर्भ निरोधकों का प्रयोग करने को कहे जैसा कि मेरी स्टोप्स द्वारा सुझाव दिया गया है ?

डा० द० स० राजू : अभी तक कोई विश्वस्त देशी गर्भनिरोधक नहीं है ।

Shri Braj Bihari Mehrotra : Are we going to have a separate Ministry to make family planning a success ?

अध्यक्ष महोदय : क्या अलग मन्त्रालय बनाने का विचार है ?

डा० द० स० राजू : अभी नहीं ।

Shri Tulshidas Jadhav : Is it a fact that operation facilities for the villagers are inadequate and, if so, what steps have been taken in this regard ?

डा० द० स० राजू : हम बन्ध्यीकरण की सुविधायें दे रहे हैं । अधिकतर जिला, राज्य तथा ताल्लुक अस्पतालों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हम आपरेशन की सभी सुविधायें दे रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे---

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं । श्री जैन अधिक उत्सुक हैं ।

श्री अ० प्र० जैन : गर्भनिरोधी चीजें इस्तैमाल करने की मेरी आयु तो बीत गई है ।

क्या मैं जान सकता हूं कि किन नये गर्भनिरोधकों के सम्बन्ध में प्रयोग होहे हैं गर्भनिरोधकों के निर्माण का कार्यक्रम कब से मन्त्रालय के पास लम्बित पड़ा है तथा क्या पुरानी तरह के गर्भनिरोधकों का निर्माण होगा या नई तरह के ?

डा० द० स० राजू : हमने जैली तथा झागदार टिकियों पर प्रयोग किया है और उसमें काफी सफलता मिली है। हमने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है परन्तु हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री अ० प्र० जैन : आप कब से इस बारे में सोच रहे हैं ?

डा० द० स० राजू : इसमें कुछ समय लगेगा। अच्छी किस्म का उत्पादन अपेक्षित है।

श्री धुलेश्वर मीना : यद्यपि परिवार नियोजन की योजना कार्यान्वित कर दी गई है परन्तु कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं हुये हैं। इसके क्या कारण हैं और सन्तोषजनक परिणामों के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

डा० द० स० राजू : यह जानकारी ठीक नहीं है। इन गर्भनिरोधकों की खपत प्रति महीने तथा प्रतिवर्ष धीरे धीरे बढ़ रही है। सच तो यह है कि कई बन्ध्यीकरण आपरेशन किये जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग पांच लाख आपरेशन हो चुके हैं परन्तु बहुत से प्राइवैट डाक्टर भी आपरेशन करते हैं इसलिये आशा है कि यह संख्या अब तक दस लाख होगी।

Shri Yashpal Singh : On one hand Government says that brave persons are essential for the defence of the Country and, on the other, accessories are being imported. Would there be any discriminating line as to whom these supplies would be made and to whom refused ?

डा० द० स० राजू : यह विज्ञान का युग है। मशीनो का महत्व मनुष्यों से अधिक है।

श्री वारियर : क्या मुखवर्ती गर्भनिरोधकों की कोई देशी प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में आयुर्वेदिक चिकित्सकों का सहयोग पाने के लिये सरकार ने कुछ किया है ?

डा० द० स० राजू : जी हां, हम सदा ऐसे देशी उत्पादकों का स्वागत करते हैं और जब भी उनके बारे में सूचना मिलेगी हम उनकी जांच करवायेंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने महसूस किया है कि परिवार नियोजन के सामान के खुले आम मिलने तथा समाज द्वारा उसे स्वीकार किये जाने से नवयुवकों को आत्म-संयम तथा सामाजिक बन्धनों को तोड़ने का प्रोत्साहन मिलता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी इसके भयानक परिणामों पर विचार किया है ?

डा० द० स० राजू हम पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम को चलाना तथा इसकी उपयोगिता के बारे में जनता को जानकारी देना चाहते हैं. . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री कपूर सिंह : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री बासप्पा : क्या कार्यक्रम मूल्यांकन समिति ने सामान के इस प्रश्न की जांच की है और उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

डा० द० स० राजू : यह सिफारिश की गई है कि जितनी जल्दी हो सके रासायनिक तथा रबड़ के गर्भनिरोधकों के देशी उत्पादन में तेजी लाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : हमें महिलाओं को भी अवसर देना चाहिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सरकार ने परिवार नियोजन योजना की गहन कार्यान्विति के लिये नेत्र शिविरों की तरह बन्ध्यीकरण आपरेशन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर खोले हैं ताकि लोग उनसे लाभान्वित हो सकें ?

डा० द० स० राजू : हम राज्य सरकारों तथा परिवार नियोजन संगठनों को परिवार नियोजन शिविर लगाने की सलाह दे रहे हैं और सारे देश में ये शिविर लगाये जा रहे हैं । हम उन्हें वित्तीय सहायता दे रहे हैं ।

Shri Sheo Narain : Has Government laid some emphasis on 'Brahmacharya' and realised that boys should be married after the age of 25 ?

डा० द० स० राजू : यह स्वास्थ्य शिक्षा योजना का एक भाग है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी

*१२५३. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से गैर-मुसलमान शरणार्थियों, हिन्दुओं, ईसाइयों और बौ का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम में आना अब भी जारी है ;

(ख) क्या किन्हीं विदेशी सम्माननीय व्यक्तियों ने, विशेष रूप से संसार के माने हुए गिरिजाघरों के प्रतिनिधियों ने, उन शिविरों का निरीक्षण किया है जिनमें पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को ठहराया जा रहा है ; और

(ग) क्या इन सम्माननीय व्यक्तियों द्वारा आंखों देखे हाल का वृत्तान्त सरकार को प्राप्त हो गया है ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) हमारी जानकारी में नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदायों का भारत में सामूहिक निष्क्रमण और उसके बाद होने वाली घटनायें सारे देश के लिये बड़े महत्व का विषय है । क्या मैं जान सकता हूं कि देश के अन्दर और बाहर इन बातों का प्रचार करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया है क्योंकि बाहर के जो लोग उन कैम्पों में गये हैं । उनकी रिपोर्टें विदेशी समाचार पत्रों में पहले ही छप चुकी हैं ।

श्री पू० शे० नास्कर : हमारा सम्बन्ध पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले असहाय लोगों के पुनर्वास से है, प्रचार से नहीं। हम शरणार्थियों को फिर से बसाने में सहायता देना चाहते हैं। प्रचार के बारे में जो हम ठीक समझते हैं कर रहे हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : एक औचित्य प्रश्न है। मैं यह प्रश्न सरकार से पूछ रहा हूं, किसी मन्त्री विशेष से नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या किया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इस प्रश्न पर कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इन शरणार्थियों के हमारे देश में आने से कुछ घटनायें यहां भी हुई हैं, प्रतिक्रिया के रूप में या बदले की भावना से। गत मार्च में हुई घटनायें फिर न हों इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमारे देश में ? प्रश्न पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के बारे में है।

श्री लीलाधर कटकी : माननीय उपमन्त्री कह रहे थे कि शरणार्थी अभी तक आ रहे हैं। अब तक कितने आये हैं ? क्या मन्त्री महोदय स्वयं कैम्पों को देखने जाना चाहते हैं और यदि हां, तो कब तक ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : परसों तक शरणार्थियों की कुल संख्या २,९९,३२६ होती है। उनमें से ४५,००० ईसाई हैं और ११,००० बौद्ध। इन्हें बसाने के लिये हम प्रबन्ध कर रहे हैं और इस बारे में बहुत सतर्क हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि आसाम सरकार केवल आदिवासी शरणार्थियों को बसाना चाहती है, बंगाली हिन्दू शरणार्थियों को नहीं ? क्या यह सच है ?

श्री त्यागी : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है परन्तु मैं समझता हूं कि समस्या बहुत बड़ी है। जो शरणार्थी इधर आ चुके हैं यदि वे उन्हें ही बसा लें तो मैं उनका आभारी रहूंगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से विदेशी विभिन्न शरणार्थी शिविरों में गये हैं और वहां उन्होंने फिल्में उतारी हैं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार से अनुमति ली थी ?

श्री पू० शे० नास्कर : इस मन्त्रालय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : In case the representatives of world recognised Churches have not come here, may I know whether Government has intimated the Federation of World Churches that so many Christians have come to India from Pakistan and asked it to send some dignitaries to see their condition ?

श्री पू० शे० नास्कर : जहां तक पुनर्वास मन्त्रालय का सम्बन्ध है, हम धर्मों के बीच कोई भेद नहीं करते—ईसाइयो, बौद्धों या हिन्दुओं आदि में।

Shri Bibhuti Mishra : Let my question be replied. We cannot be misled into other things because our Constitution provides for social justice.

Shri Tyagi : As far I know, the Information Ministry has taken a film of refugees which is being screened in foreign countries. I hope it would be made known to other countries how India is hardpressed by the excesses of Pakistan.

श्री राम सहाय पाण्डेय: जब मैंने यही प्रश्न पूछा था तो उपमन्त्री महोदय ने बताया कि उनके पास जानकारी नहीं है परन्तु माननीय पुनर्वास मन्त्री ने अभी सभा को बताया है कि फिल्में उतारी गई थीं और विदेशों में दिखाई गई थीं। इस तरह के खण्डनात्मक वक्तव्य नहीं होने चाहियें।

श्री पू० शे० नास्कर : मैंने कहा था कि फिल्मों के बारे में इस मन्त्रालय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : बाद में पूछा गया प्रश्न इतना वेगपूर्ण था कि मन्त्री जी से उत्तर निकलवा लिया गया।

श्रीमती सावित्री निगम : अभी एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा कि वह बहुत सतर्क हैं। जब सभी समाचार पत्रों में यह छपा था कि विभिन्न गिरजाघरों के प्रतिनिधि विभिन्न शिविरों में काम कर रहे हैं और वे न केवल कई तरह की सहायता कर रहे हैं बल्कि फिल्में भी बना रहे हैं तथा लोगों के वक्तव्य ले रहे हैं, तो सरकार कैसे इतनी अनभिज्ञ है ?

श्री त्यागी : मैंने अनभिज्ञता कभी प्रकट नहीं की है। सरकार इन तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : प्रश्न और था, उत्तर और है।

अध्यक्ष महोदय : जब प्रत्येक सदस्य उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होता और औचित्य प्रश्न उठाता है या कहता है कि "यह उत्तर नहीं है," तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री हरि विष्णु कामत : लुटे-उजड़े तथा असहाय जनसमूह को अपने यहां बसाने की क्षमता तथा सहमति के बारे में किन राज्यों से, बल्कि किन राज्य सरकारों से पूछा गया है तथा क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार से भी पूछा गया है और इस बारे में इन राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री त्यागी : कई राज्यों से पूछा गया है। जहां कहीं संभावना है--हम केवल ऐसे राज्यों से पूछ रहे हैं जहां हम देखते हैं कि कृषकों को बसाने के लिये फालतू कृषि भूमि है या जहां नये उद्योग खुलने वाले हैं--राज्य हमें बता रहे हैं कि वे कितने परिवारों को बसा सकते हैं। जहां तक जम्मू तथा काश्मीर का सम्बन्ध है, जब तक उसका एकीकरण पूरा न हो जाय जिस से कि लोग यहां से जा कर वहां बस सकें क्योंकि उस में कुछ संवैधानिक कठिनाई है, मैं समझता हूं कि यह संभव नहीं होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने यह नहीं बताया कि किन राज्यों ने उत्तर दिया है। वह राज्यों का नाम बतायें। मेरा औचित्य प्रश्न है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : एक औचित्य प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री हरि विष्णु कामत।

हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न के लिए उठ रहा हूं। यदि मैंने मंत्री महोदय को ठीक सुना है . . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या बाकी का समय औचित्य प्रश्नों में चला जायेगा ?

श्री हरि विष्णु कामत : कुछ शरणार्थियों के पुनर्वास के मार्ग में उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर के एकीकरण को रुकावट बताया है। मैं समझ नहीं सकता कि जम्मू तथा काश्मीर में कुछ शरणार्थियों को बसाने में यह रुकावट कैसे आ सकती है। क्या वह समझा देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह औचित्य प्रश्न कैसे हुआ ?

श्री हरि विष्णु कामत : वह टाल रहे है। जब तक वह साफ साफ न कहें . . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर टालने वाला है तो उसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने सदा सरकार से प्रश्नों के पूरे और साफ उत्तर सदा देने के लिये कहा है। यदि वे आप के निदेश नहीं मानते तो क्या इलाज है ?

अध्यक्ष महोदय : निदेश तो हैं। वह कहते हैं कि इसमें रुकावट आती है। लेकिन कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न यह है कि क्या यह एकीकरण के कारण है। माननीय मंत्री ने कहा है कि इस का कारण यह है कि एकीकरण अभी पूरा नहीं हुआ। प्रश्न यह है कि क्या यह ठीक है या नहीं। यह एक विशेष विधि के कारण है। इसका एकीकरण से कोई वास्ता नहीं है। इस से सभा के अन्दर तथा बाहर बहुत गलत धारणा पैदा होती है। स्थिति यह है कि महाराजा के समय से जो कानून चल रहा है वह कुछ विशेष कारणों और परिस्थितियों से है। इसका एकीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उन शब्दों के साथ 'जिससे कि'' कह कर बात साफ कर दी है।

श्री त्यागी : जहां तक राज्य के संवैधानिक प्रवेश का सम्बन्ध है, उसे मैंने कभी चुनौती नहीं की है। मैंने तो यह कहा था कि इन शरणार्थियो को काश्मीर में बसाने के प्रयोजन के लिये प्रवेश पूरा नहीं हुआ है क्योंकि संविधान के अनुसार वह उस सीमा तक सीमित है। इसलिए उन्हें . . . (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति,। मैं समझ नहीं पाता कि इतनी उत्तेजना क्यों है। परन्तु ''एकीकरण'' शब्द का प्रयोग ठीक नहीं था। वह नहीं होना चाहिये था।

श्री कपूर सिंह : अब उन्होंने ''प्रवेश'' शब्द इस्तेमाल किया है। इस का अर्थ है कि प्रवेश अभी सम्पूर्ण नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्हें कहना चाहिये था कि एक विशेष कानून है और उससे कठिनाई होती है।

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether the exodus of refugees has been restricted since the talks between the Indo-Pak Ministers and, if so, in what manner?

Shri Tyagi : There has been no restriction, they are still coming out, some day in greater numbers, some day in lesser numbers. They are coming daily at the rate of four thousand or three thousand and a half per day.

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कितने राज्यों ने इन तीन लाख शरणार्थियों में से, जो भारत आ चुके हैं, कितनों को अपने यहां बसाना स्वीकार किया है ?

श्री त्यागी : आसाम ने लगभग १७,००० परिवारों को बसाने के लिए कहा है। दंडकारण्य परियोजना में ५००० परिवार हैं। वहां पारगमन शिविर भी हैं। मध्य प्रदेश ने २,५०० परिवार एक शिविर में तथा २,५०० परिवार दूसरे में लिये हैं। इसी तरह उड़ीसा ने किया है। कई शिविर हैं। मेरे पास एक लम्बी सूची है और मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : कौन से राज्य ?

अध्यक्ष महोदय: हो सकता है उन्होंने उन शरणार्थियों को शिविरों में ठहराना मान लिया हो। प्रश्न यह है कि जिन राज्यों में ये शिविर हैं क्या उन्होंने वहां के शरणार्थियों को बसाना स्वीकार कर लिया है ?

श्री पू० शे० नास्कर : जी हां। जिन शरणार्थियों को विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है वे इस समय सहायता शिविरों में हैं और बाद में उन्हें उन राज्यों में अन्तिम रूप से बसाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुमतारी।

श्री हरि विष्णु कामत : पश्चिम बंगाल में कोई नहीं ?

श्री पू० शे० नास्कर : पश्चिम बंगाल में कोई नहीं . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं ने इस की अनुमति नहीं दी।

श्री बसुमतारी : आसाम में ७५,००० आदिवासी शरणार्थियों के बारे में क्या यह सच है कि वे केवल आसाम में ही बसने के लिये राजी हैं और आसाम से बाहर नहीं जाना चाहते ; यदि हां, तो उन्हें वहां बसाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री त्यागी : जब तक आसाम में उन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये जगह है, मैं नहीं समझता कि उन्हें वहां से हटाने से कोई लाभ होगा।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Government has tried to assess the value of property left in Pakistan by lakhs of Christian, Buddhist and Hindu refugee families which have migrated from East Pakistan and what is being done to recover that property?

Shri Tyagi : It is for the External Affairs Ministry to consider the question of the recovery of property left there. My Ministry is investigating the quantum of movable and inmmovable property left by each family in Pakistan.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it was decided in the meeting of the Home Ministers of India and Pakistan as to how many refugees would come every day, three thousand or four thousand, and if so, the nature of the decision?

Shri Tyagi : No settlement was reached as to the number of refugees to come from that side everyday. What was expected from these talks was that the exodus of regfugees would stop. No decision was taken in this regard and refugees are still pouring in.

Shri Gulshan : Has Government assessed as to how many more families would come after those already arrived here?

Shri Tyagi : It is very difficult to assess that.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इन शरणार्थियों की पेशे-वार गणना की गई है ? कुछ कृषक हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ और . . . . (**अन्तर्बाधा**)

श्री त्यागी : उठे—

श्री दी० चं० शर्मा : मैं ने अभी पूरा प्रश्न नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका कारण यह है कि वह आशा करते हैं कि केवल एक ही प्रश्न होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं अपना प्रश्न पूरा कर रहा हूं। मैं अंग्रेजी कम ही जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : टीका-टिप्पणी करने की बजाय वह अब सवाल करें।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या शरणार्थियों की पेशे-वार गणना की गई है तथा जिसका जो पेशा है, जैसे अध्यापन, चिकित्सा, कृषि, कारोबार, इत्यादि, उसे यथासंभव उसी में लगाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री त्यागी : नीति यही है। इन सभी शिविरों में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। मैंने फार्म देखा है जिसमें हरेक को बताना होता है कि वह पाकिस्तान में क्या करता था, वह क्या जानता है, शिक्षा कहां तक पाई है। यथासंभव यही प्रयास किया जायेगा कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार रोज़गार दिया जाय।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : १९६३ के अन्त तक पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति की ओर सरकार द्वारा कोई ध्यान न दिये जाने से उत्पन्न हुई दुखद स्थिति को देखते हुए क्या सरकार अपनी राय बदलेगी और उस सम्पत्ति का निर्धारण करेगी ?

श्री त्यागी : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : १९६३ के अन्त तक पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति की ओर ध्यान न दे कर सरकार ने जो गलती की थी क्या उसे देखते हुए अब सरकार अपनी पहली नीति बदलेगी और उस सम्पत्ति की ओर ध्यान देगी ?

श्री त्यागी : यह सरकार की कोई गलती नहीं है। नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन उन्हें यहां आ जाने पर भी वहां की सम्पत्ति पर अधिकार रहता है। अतः कोई गलती नहीं की गई। जहां तक इन नये शरणार्थियों का सम्बन्ध है, वे जो सम्पत्ति पीछे छोड़ आये हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : गिरजाघरों के विभिन्न प्रतिनिधि, जैसे पोप के प्रतिनिधि तथा रेवरेंड कर्कवुड, आसाम में गारो पहाड़ियों में गये हैं और लोगों पर जो अत्याचार हुए उन का उन्होंने बड़ा ज्वलन्त विवरण दिया है।

श्री रंगा : और मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है।

श्री हेम बरुग्रा : हां । इस बात को देखते हुए कि प्रधान मंत्री ने ग्रसहाय ग्रल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान द्वारा ढाये गये ग्रत्याचारों की ग्रोर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान दिलाये जाने का विरोध किया है, क्या यह सच है कि नये पुनर्वास मंत्री ने प्रधान मंत्री से कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यू थान्ट को बुलाये ताकि वह इन लोगों पर हुए ग्रत्याचारों को ग्रपनी ग्रांखों से देख सकें ?

श्री त्यागी : मैंने ग्रभी तक ऐसा ग्रनुरोध नहीं किया है परन्तु मेरे माननीय मित्र ने जो सुझाव दिया है वह मैं प्रधान मंत्री तक ग्रवश्य पहुंचा दूंगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether there is any scheme to rehabilitate the refugees from East Pakistan on three hundred Square miles of land in Andamans which has recently been allotted to the Maharaja of Patiala?

श्री त्यागी : इस प्रयोजन के लिये ग्रन्दमान का कार्यभार मुझे सौंपा गया है ; परन्तु मुझे खेद है कि वहां जो इस समय स्थिति है उसका मैं ग्रभी ग्रध्ययन नहीं कर सका हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि काश्मीर में ३०० से ग्रधिक तिब्बती शरणार्थियों, मुसलमानों को बसाया गया था ग्रौर यदि हां, तो यह बात उनके पहले के उत्तर से कैसे मेल खाती है ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है । मैं जानकारी एकत्रित करूंगा ।

श्री रंगा : मुझे पता चला है कि जब ये शरणार्थी हमारे इलाके में ग्रा रहे थे उस समय सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक फिल्म उतारी गई । क्या माननीय मंत्री उस फिल्म को देखने की कृपा करेंगे ग्रौर उसकी प्रतियां हमारे दूतावासों को भिजवायेंगे ताकि वे ग्रन्य देशों के परोपकारी लोगों को दिखा सकें जो शायद इन शरणार्थियों को कुछ सहायता भेजने ग्रौर सहानुभूति प्रकट करने को तैयार हों ?

श्री त्यागी : मैं समझता हूं कि यह एक ग्रच्छा सुझाव है । मैं इसे संबंधित मंत्री के पास भेज दूंगा ।

सांभर नमक

*१२५४. **श्री जेधे :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य ग्रपमिश्रण निवारण ग्रधिनियम के ग्रधीन सांभर नमक को निम्न श्रेणी का माना जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में इस नमक के बेचने वाले व्यापारियों पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस ग्रधिनियम को संशोधित करने का विचार है जिससे कि सांभर नमक का मानकीकरण किया जा सके तथा निकट भविष्य में दिल्ली नमक के ग्रकाल की स्थिति से बच जाये ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) कई बार हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०, सांभरलेक, द्वारा दिल्ली के व्यापारियों को भेजा गया नमक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में निर्धारित स्तर का नहीं था क्योंकि इन नियमों के अनुसार खाये जाने वाले साधारण नमक में शुल्कभार आधार पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम से कम ९६.० प्रतिशत होनी चाहिये।

(ख) जो लोग सोडियम क्लोराइड की निर्धारित मात्रा से कम वाला खाने वाला आम नमक बेचते हैं उनके विरुद्ध दिल्ली नगर निगम द्वारा मुकदमे चलाये गये थे। इस बात की हिदायतें दी गई हैं कि खाने वाले आम नमक में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में निर्धारित सोडियम क्लोराइड की सीमा पर जोर न डाला जाए तथा उन लोगों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न की जाए या मुकदमा न चलाया जाए जो ९५ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड वाला नमक बेचते हैं। ऐसे लोगों के मामले का पुनर्विलोकन हो रहा है जिन पर ९५ प्रतिशत से कम सोडियम क्लोराइड वाला नमक बेचने के कारण मुकदमे चल रहे थे ।

(ग) खाने वाले आम नमक का मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में निर्धारित कर दिया गया है। नमक आयुक्त ने हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० को हिदायतें भेज दी हैं कि दिल्ली नमक शोधनशालाओं को और मनुष्यों के उपयोग के लिये ९५ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड से कम वाले नमक का संभरण न किया जाए।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम १९५४ में, संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जेधे : निम्न श्रेणी का नमक इस्तेमाल करने से मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह नमक ज्यादा निम्न श्रेणी का नहीं है। ९६ प्रतिशत की बजाये इसमें ९५ प्रतिशत शुद्धता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने ९२ प्रतिशत शुद्धता को ९५ प्रतिशत किया और अब हमें शीघ्र ही इसे ९६ प्रतिशत कर देने की आशा है। इस पर १ प्रतिशत अशुद्धता से कोई विशेष दुष्परिणाम नहीं हुए हैं।

श्री जेधे : मैंने पूछा था कि निम्न श्रेणी का नमक खाने से मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

डा० सुशीला नायर : सोडियम सल्फेट ज्यादा मात्रा में खाने से डायरिया होता है। लेकिन जितनी मात्रा में नमक खाया जाता है उससे कोई बुरा प्रभाव नहीं होता।

गृह-निर्माण के लिये ऋण

\+

*१२५६. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी भुगतान अधिनियम द्वारा प्रशासित निम्न आय वाले सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋणों के दिये जाने पर रोक लगा दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन लोगों को कठिनाई से बचाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पाबन्दी के कब उठाये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री(श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ; क्योंकि मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ के अधीन इस अधिनियम द्वारा प्रशासित व्यक्तियों के वेतन में से गृह-निर्माण ऋणों की कटौती नहीं हो सकती ।

(ख) और (ग). श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में सरकार मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ में संशोधन करने के लिये शीघ्र ही एक विधेयक पुर:स्थापित करना चाहती है जो अन्य बातों के साथ साथ इस अधिनियम द्वारा प्रशासित सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में से ऐसे कटौती करने की अनुमति देगा ।

Shri Yashpal Singh : It is not clear from the reply given by the hon. Minister when the pending applications would be decided and loans would be given to the low-paid people.

Shri Mehr Chand Khanna : We are not opposed to giving loans. Whenever somebody is given loan, for 15 to 20 years, deductions are made from his pay. But we cannot make such deductions from the pay of these persons. The Labour Minister has decided to introduce legislation in this regard and the papers so far received indicate that that law is ready. When this law provides for deductions from their pay, loans would be sanctioned.

Shri Yashpal Singh : Is this scheme meant only for cities or for villagers also ?

Shri Mehr Chand Khanna : This scheme covers many kinds of loans for low-income group, middle-income group, industrial housing, slums etc. This scheme has been launched and is implemented through the state Governments.

Mr. Speaker : Is it for cities or for villages also ?

Shri Mehr Chand Khanna : It is implemen ted by State Governments.

Shri S. M. Banerjee : May I know whether those people who are governed by the Payment of Wages Act cannot for the time being, be given loans after taking an undertaking from them and if their employers agree for making the recovery ? Many of their applications are pending.

Shri Mehr Chand Khanna : I had consulted the Law Ministry in this connection. They say that this undertaking shall not suffice. The Labour Ministry is going to have a law passed very shortly and I have seen it in my papers this morning. When it is suitably am ended, loans would be given to them.

Shri Tulshidas Jadhav : How many applications have been received so far ?

Shri Mehr Chand Khanna : I do not have the figures but if the applications have been received from all over India, their number must be fairly large.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या विभिन्न राज्य अलग अलग ब्याज पर ऋण दे रहे हैं तथा क्या एक राज्य में गन्दी बस्तियों में रहने वालों से बहुत अधिक ब्याज लिया जाता है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक गन्दी बस्तियों में रहने वालों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही एक विधेयक सदन में ला चुका हूं और वह प्रवर समिति को जा चुका है । उसके पारित होने के बाद दिल्ली के लिए एक लाभदायक विधान बन जायेगा ।

बाग, पेंच, करबन्द तथा ऊपरी ताप्ती सिंचाई परियोजनायें

*१२५९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाग, पेंच, करवन्द तथा ऊपरी ताप्ती सिंचाई परियोजनाओं के बारे में महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सरकारों के बीच एक करार हो गया है ;

(ख) करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार कोई सहायता देगी ; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में तथा किस सीमा तक ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८१३/६४**]

(ग) और (घ). केन्द्रीय सहायता का प्रश्न परियोजनाओं के स्वीकृत हो जाने के बाद ही उठेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : दोनों सरकारों के बीच सफल बातचीत में केन्द्रीय सरकार अथवा माननीय मंत्री ने क्या योगदान दिया है ?

डा० कु० ल० राव: केन्द्र के हस्तक्षेप के बिना समझौते करने पर मैं सम्बन्धित राज्यों को बधाई देना चाहूंगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि अभी भी कुछ बातों पर समझौता नहीं हुआ है तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्यों की सहायता से तय करने के लिये छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो वे बातें क्या हैं ?

डा० कु० ल० राव : केन्द्र से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है । केवल ऊपरी ताप्ती परियोजना के बारे में वे ब्योरा तैयार कर रहे हैं जिसके बाद दोनों राज्य आपस में इस विषय में बातचीत करेंगे । केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई है ।

'National Herald'

\+

*1260. **Shrimati Johraben Chavda :**
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Man Singh P. Patel :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the ownership of the English daily 'National Herald' published from Lucknow is in the hands of a registered society under the Companies Act ;

(b) the extent of the company's shares owned by people belonging to Dalmia and Sahu Jain Group and the value of these shares; and

(c) whether shareholders have been paid any dividends during the last ten years, and if so, at what rate?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) The English daily 'National Herald' is owned by M/s. Associated Journals Ltd., a company registered under the Indian Companies Act.

(b) Out of a total of 9,990 non-cumulative preference shares of Rs. 100 - each and 1,05.607 equity shares of Rs. 10 - each, one share of Rs. 10 - stands registered in the name of a member of the Dalmia Jain group, while another 250 equity shares of Rs. 10 - each stand registered in the name of an employee of this group. There is no indication that any of the remaining registered holders of the shares belongs to this group.

(c) The company did not declare any dividend during the last ten years.

Shrimati Johraben Chavda : The hon-Minister has first stated that the company has declared no dividend during the last ten years. May I know what are the reasons and whether Government can institute any enquiry against the company ?

Shri B. R. Bhagat : This question to produced against the company.

Shrimati Johraben Chavda : Did the Prime Minister write to Dalmia to purchase shares worth Rs. 25,000?

Shri B. R. Bhagat : No, sir.

श्री विश्वनाथ राय : क्या एसोशिएटेड प्रैस, जो लखनऊ में 'नेशनल हेराल्ड' चलाता है की वित्तीय स्थिति अच्छी है और यदि हां, तो क्या प्रैस का कार्यकरण सन्तोषजनक है ?

श्री ब० रा० भगत : प्रैस के कार्यकरण के बारे में हम राय नहीं दे सकते ।

श्री अन्सार हरवानी : माननीय मंत्री ने बताया है कि साहू-जैन समूह के अधिक अंश नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि श्री अजित प्रसाद जैन के कितने अंश हैं ।

श्री अ० प्र० जैन : मैं बता सकता हूं । मेरे १० अंश हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये था ।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि कोई व्यक्ति किसी कारोबारी फर्म में कर्मचारी है तो क्या किसी अन्य फर्म के साथ उसके सहयोग का अर्थ उसकी अपनी फर्म का सहयोग है ? और यदि किसी व्यक्ति का नाम शर्मा या जैन है तो क्या उसके सहयोग का मतलब किसी तरह के शर्मा या जैन समूह के सहयोग से है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है या नहीं ये ऐसे निष्कर्ष हैं जो हर कोई निकाल सकता है । वह जानकारी नहीं मांग रहे हैं ।

श्री बूटा सिंह क्या पंजाब के मुख्य मंत्री जैसे राजनैतिक प्रभाव से उपहार के रूप में सोसाइटी के लिये बहुत सा धन इकट्ठा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका ब्यौरा देगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह समवाय विधि प्रशासन के अधीन नहीं आता।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इन सूचनाओं में कोई सार है कि इस कम्पनी के लिये कुछ योगदान या चन्दे या उपहारों को आय कर से मुक्त कर दिया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे पता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस समाचार पत्र को प्रधान मंत्री ने स्वयं आरम्भ किया था ? क्या यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में आई है कि क्योंकि इस समाचार पत्र को कोई बड़ा कारोबार-गृह नहीं चलाता, इसलिये इसे नुकसान पहुंचाने के लिये इसके विरुद्ध कुछ बातें गढ़ ली गई हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हो सकता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is this Company running in loss at present or earning profit? If it is running in loss, what is the extent thereof and whether some of its shares are held by some minister also and, if so, the name of the Minister and the number of shares held by him?

Shri B. R. Bhagat : The Company has earned some profit during the last years . . .

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the amount of profit or loss, as the case may be?

Shri B. R. Bhagat : It is a matter of details. That information is not with me at the moment but if the hon. Member likes, I can tell him.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I had asked whether some Minister has also got shares in it.

Mr. Speaker : How can he inform about everybody's shares?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : If any Minister holds some shares, that may be stated; his name may not be disclosed.

Mr. Speaker : He says that he does not have all that information now.

Shri Ram Sewak Yadav : Is it a fact, as reported in a recent issue of 'Organiser, that Sardar Pratap Singh Kairon, Chief Minister of Panjab, has given lakhs of rupees to this newspaper through Shrimati Indira Gandhi?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already replied that Company law administration is not concerned with it.

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से राजस्व

*१२६१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त राजस्व के अन्तिम अनुमान क्या हैं ; और

(ख) स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :

(क) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से **लाभांश के रूप में** ११ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की आशा है। इसमें डाक और तार और रेलवे का योगदान सम्मिलित नहीं है।

(ख) सुधार करने और लाभ कमाने की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रगति तथा कार्यकरण का सरकार द्वारा सावधिक पुनर्विलोकन होता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ४०० करोड़ रुपया मिलने की संभावना थी। अब स्पष्ट है कि २०० करोड़ या १०० करोड़ रुपया पाना भी संभव नहीं होगा। यदि कोई निर्धारण या अध्ययन किया गया है तो वह कैसा है और उसके अनुसार इतने थोड़े काम और प्राक्कलनों के लिये सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रबन्ध को जारी रखना कहां तक उचित है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : योजना में रेलवे के इलावा सरकारी क्षेत्र से ३०० करोड़ रुपये के मिलने का अनुमान था। १५० करोड़ रुपये राज्यों से आयेंगे और कुल राशि ४५० करोड़ रुपये होती है। यह प्रश्न राजस्व से सम्बन्धित है और हमने इसे लाभांश के रूप में लिया। अतः यह सरकारी क्षेत्रों से होने वाले अतिरेक के अनुरूप नहीं है। वास्तव में सरकारी उपक्रमों से इस प्रकार योगदान मिला है। १९६३–६४ में डाक तार विभाग के अतिरिक्त ३७ करोड़ रुपया, डाक तथा तार विभाग १८ करोड़ रु० ; १९६४–६५, डाक तथा तार विभाग के अतिरिक्त ६९ करोड़ रु० ; डाक तथा तार विभाग ११ करोड़ रु०। इसलिये आशा है कि यद्यपि ३०० करोड़ रुपये तक नहीं होगा तो २५० करोड़ रु० या उससे अधिक हो सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा प्रबन्धकों को बताया गया है कि उनसे क्या करने की आशा रखी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे पास सावधिक रिपोर्टें, साप्ताहिक रिपोर्टें, पाक्षिक रिपोर्टें आती हैं और निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उनकी जांच की जाती है। यद्यपि कोई विशिष्ट प्रमाप नहीं है फिर भी इन प्रगति प्रतिवेदनों को प्रगति की सूची गति से मिलाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने सरकारी उद्यमों के प्रशासकों को बताया है कि उन्होंने कम से कम कितना काम करना है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उनसे सलाह करके उनके काम का कोई लक्ष्य निश्चित किया गया है और वह लक्ष्य पूरा न होने पर क्या कार्यवाही की जाती है।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : उत्पादन लक्ष्य अलग-अलग निश्चित किये जाते हैं लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि उन में से लाभ हो या अतिरेक हो परन्तु वर्षान्त में तो इस बात की जांच करनी होती है। कुल लक्ष्य यह इंगित किया गया है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से योजना के लिये ३०० करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध होने चाहियें।

श्री मुरारका : मंत्री महोदय ने जब यह कहा कि कुल लक्ष्य ४५० करोड रु० का है जिस में से १५० करोड रुपये रेलवे से प्राप्त होने हैं, तो मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि ४५० करोड़ रु० में रेलवे का कोई हिस्सा नहीं है। १५० करोड़ रु० राज्य का भाग था और ३००

करोड़ रु० केन्द्रीय उद्यम का। केन्द्रीय परियोजनाओं के इस ३०० करोड़ रु० के अभ्यंश में से योजना के अन्त तक कितना वसूल किया जयेगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने बताया कि २५० करोड़ या कुछ ज्यादा।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : पिछले वर्ष कहा गया था कि सरकारी उद्यमों में कुल १२.०६ करोड़ रुपये की हानि हुई है परन्तु अब योजना मंत्री कैसे कहते हैं कि सरकारी उद्यमों में ७ करोड़ रुपये का लाभांश हुआ है ? क्या इस में अवक्षयण सम्मिलित है या नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : लाभांश चल रहे समवायों के सम्बन्ध में हैं, कुछेक उन में से लाभ कमा रहे हैं, तथा हानि में अन्य समवाय सम्मिलित हैं क्योंकि काम के प्रारम्भिक स्वरूप के कारण कुल मिला कर हानि हुई है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : सरकारी उद्यमों के औद्योगिक पक्ष की ओर से क्या वसूली हुई है और वह लक्ष्य से कितनी कम है ?

श्री ब० रा० भगत : १९६२-६३ में ऐसे सरकारी उद्यमों से, जो चल रहे समवाय हैं तथा लाभ में चल रहे हैं, ७.६ प्रतिशत की प्राप्ति हुई।

श्री नाथ पाई : बावजद इस बात के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से हमारे विकास के समूचे ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना रखी जाती है और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारत इलेक्ट्रानिक्स तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स जैसी संस्थाओं को छोड़ कर कतिपय प्रमुख क्षेत्रों में उनके लिए रक्षित मंडी है, कुप्रबन्ध तथा अपर्याप्त आय जन के कारण इन उद्यमों से कुल मिला कर अच्छी आय नहीं हुई है जिस से सरकारी क्षेत्र के विरोधियों को उत्साह मिला है। इस बात के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र अपना योगदान दे और इससे बचत भी हो।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: यह बड़ा सामान्य प्रश्न है जिसमें अनेक सरकारी उपक्रम आ जाते हैं। इन्हें अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं वे प्रशासी मंत्रालयों ने बता दिये हैं परन्तु एक सन्तुलित चित्र प्रस्तुत करना या उन्हें एक साथ मिलाना या किसी एक मापदंड से उन्हें परखना संभव नहीं है।

श्री बड़े : कुछ कम्पनियों को आपने ऋण दिये हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी कम्पनी को ऋण नहीं दिया है।

श्री बड़े : सरकार ने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन अब तो हमें पता होना चाहिये कि सदस्य ने अध्यक्ष को कैसे संबोधित करना है।

श्री बड़े : मुझे खेद है, क्योंकि मैं मंत्री को सम्बोधित कर रहा था . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री बड़े : सरकार ने कुछ कम्पनियों को १९६६ तक बिना ब्याज के ऋण दिया है। जो राशि लाभ के रूप में दिखाई गई है क्या उसमें से ब्याज की हानि को निकाल दिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका।

Shri Bade : Since the hon. Member knows Hindi, I will ask the question in Hindi. The Government has given loans to certain companies without interest. I want to know whether the loss of interest has been taken into account.

Shri B. R. Bhagat : The Companies have been given loans on interest several companies have even started paying the interest.

श्री रंगा : मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने दो अनुपूरजों पर स्वयं जानकारी दी है। क्या मैं यह समझूं कि वित्त मंत्री अब इन सरकारी उद्यमों में अधिक से अधिक सक्रिय रुचि ले रहे हैं तथा क्या हमें यह आश्वासन मिल सकता है कि इसके बाद वित्त मंत्री यह देखना अपना प्रमुख उत्तरदायित्व समझेंगे कि वित्तीय दृष्टिकोण से सरकारी उद्यम सन्तोषजनक ढंग से अपना काम करें ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सभी सरकारी सम्पदाओं तथा सरकारी सम्पत्ति के उचित कार्यकरण का उत्तरदायित्व वित्त मंत्री पर है। मैं नहीं समझता कि जोई वित्त मंत्री किसी समय इस बारे में अपने उत्तरदायित्व से कतराता है। वित्त मंत्रालय में ऐसा एक विभाग है जो इन परियोजनाओं की देखरेख करता है और समन्वय का काम करता है और आयोजन विशेषत: मेरे सहयोगी के हाथ में है। वित्त मंत्रालय तथा विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में लगातार सम्पर्क बना रहता है और सम्बन्धित मंत्रालयों की सहायता से यह भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि ये परियोजनायें तैयार हों।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : राजस्व की दृष्टि से कौन सा सरकारी उद्यम सब से ऊपर है और कौन सा सब से नीचे और सरकारी क्षेत्र के कौन से प्रमुख औद्योगिक उपक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाये हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण

*१२६२. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर चर्चा के लिये योजना आयोग के तत्वावधान में हाल में एक गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई थी तथा क्या सिफारिशें की गईं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर चर्चा के लिये योजना आयोग के तत्वावधान में ३० जनवरी से १ फरवरी, १९६४ तक एक गोष्ठी हुई थी।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुख्य बातों पर चर्चा की गई और सिफारिशें की गईं :—

(क) वन-विद्या, कृषि तथा सम्बद्ध पेशों में अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार पाने की संभावनाओं को बढाने के लिए गोष्ठी सिफारिश की कि वनों तथा

भूमि में आदिमजातीय अधिकार लौटा दिये जायें और अनुसूचित आदिम-जातियों की सहमति से भूमि बन्दोबस्त की योजनाओं को उनके पक्ष में उच्च पूर्ववर्तिता दी जाय और साथ ही आवंटित भूमि को लाभदायक तरीके से कृषि योग्य बनाने और खेती करने के लिये पर्याप्त सहायता दी जाय।

(ख) सरकारी नौकरियों तथा व्यवसायिक और तकनीकी धंधों में अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए गोष्ठी ने—

(१) आदिवासी क्षेत्रों में उदार तथा उपयुक्त शिक्षात्मक सुविधायें देने; और

(२) छात्रावास की सुविधाओं तथा विशेष शिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिये बढ़ी हुई दरों पर अधिक छात्रवृत्तियां तथा वृत्तिकायें देनेकी सिफारिश की है।

(ग) प्रति वर्ष सभी रक्षित रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए गोष्ठी ने सिफारिश की कि एक केन्द्रीय कार्यपालक प्राधिकार की स्थापना की जाय जिसे केन्द्रीय सरकार के अधीन रक्षित रिक्त स्थानों के लिये उम्मीदवार नामनिर्दिष्ट करने की पूरी शक्ति हो तथा राज्यों और जिलों में ऐसी ही समितियां बनाई जायें जो अपने अपने क्षेत्राधिकार में नियुक्तियां करें।

श्री गोकुलानद महन्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग को यह गोष्ठी बुलाने की जरूरत क्यों महसूस हुई जबकि इस बारे में सरकार को सलाह देने और रोजगार, शिक्षा तथा सामान्य कल्याण का ध्यान रखने के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : ऐसा महसूस किया गया था कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों को कुछ शिकायत है और वह ठीक भी है तथा इस प्रयोजन को ले कर एक गोष्ठी बुलाई गई थी और प्रश्न के इस पहलू की ओर ध्यान दिलाने के लिये प्रधान मंत्री ने विभिन्न मुख्य मंत्रियों को लिखा है। विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लोगों की नियुक्ति, नामनिर्देशत आदि के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाता है।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या यह सच है कि अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये निर्धारित धनराशि उन के कल्याण के लिये उचित ढंग से इस्तेमाल नहीं की जाती तथा बहुत ही कम अनुसूचित आदिम जातियां इस से लाभ उठा पाती हैं और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : हमारा सम्बन्ध गोष्ठी से और उसके काम से है, सामान्य प्रश्न से नहीं।

Shri H. C. Soy : Is it not a fact that the children of scheduled Tribes are being systematically denied by the State Governments the facility of having primary education, through the medium of their own language and is it also not a fact that they are considered second rate citizens in this respect?

Mr. Speaker : The question is about the seminar.

Shri H. C. Soy : It is regarding education.

Shri B. R. Bhagat : Whatever the hon. Member has said is absolutely incorrect.

Shri Onkar Lal Berwa : Was the question of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes considered in this seminar?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : I do not have the details with me. I think a published report has been alaid on the Table of the House. It might have been considered but I do not have the information now.

डा० सरोजिनी महिषी : तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर कुल कितना व्यय हुआ है और यदि सारी राशि खर्च नहीं हुई है तो उसके लिए गोष्ठी में क्या उपाय सोचे गये थे ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : गोष्ठी की वास्तव में इच्छा थी कि आदिम जातीय क्षेत्रों में उदार तथा उपयुक्त शिक्षा सुविधायें दी जायें और, दूसरे, छात्रावास सुविधाओं के साथ साथ व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिये बढ़ी हुई दरों पर अधिक छात्रवृत्तियां दी जायें। अन्ततः, वे यह भी चाहते थे कि सभी रक्षित रिक्त स्थानों को भरा जाय। गोष्ठी ने एक केन्द्रीय कार्यपालक प्राधिकार की स्थापना की सिफारिश की जिसे उम्मीदवारों का नामनिर्देशन करने की पूरी शक्ति हो। यह व्यापक है।

डा० सरोजिनी महिषी : तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या खर्च हुआ है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : प्रश्न गोष्ठी के बारे में है और हमारा सम्बन्ध, उस में की गई सिफारिशों से है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या गोष्ठी की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय कार्यपालक प्राधिकार की स्थापना की जायेगी तथा क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि गोष्ठी में की गई सिफारिशों को राज्यों में भी यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित किया जाए ? क्या इस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : उन्होंने सफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रक्षित पदों के लिये उम्मीदवार नाम-निर्दिष्ट कर सकने वाला केन्द्रीय कार्यपालन प्राधिकार बनाया जाए और राज्यों में ऐसी ही समितियां बनाई जायें।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार किया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या गोष्ठी की सिफारिशों की क्रियान्विति सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं यह कह दूं कि प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस ओर दिलाया है। रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, गोष्ठी के अध्यक्ष डा० वी० के० आर० वी० राव क्रियान्विति के बारे में स्वयं राज्य मंत्रियों से पत्र व्यवहार करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या गोष्ठी की सिफारिशों के बारे में कोई फैसला भी किया गया है कि उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा या माना जायेगा।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वस्तुतः यह अनेक छात्रवृत्तियों से भी सम्बन्धित थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध हंसदा ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या योजना आयोग को पता है कि ऐसी ही सिफारिश ढेबर आयोग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा भी की गई थी और यदि हां, तो उन सिफारिशों को, विशेषतः वन-विद्या, कृषि तथा सम्बद्ध धंधों के बारे में, कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : गोष्ठी के सामने ये सारी बातें थीं और उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सुधार के बारे में समूचे प्रश्न पर चर्चा की थी ।

Shri Ram Sewak Yadav : The Students of Backward Classes have been put to great inconvenience because the principle of backwardness has been taken as something economic and not social. Was this point also considered in the Seminar and, if so, the details thereof ?

Shri B. R. Bhagat : I think this was not discusse.

श्री बसुमतारी : गोष्ठी में श्रम और रोज़गार मंत्री ने कहा था कि अनुसूचित आदिम जातियों में परीक्षायें होनी चाहियें क्योंकि रक्षित स्थानों के बावजूद आदि वासियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है । यदि ऐसा है, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं ने बताया है कि कार्यपालक प्राधिकार को उम्मीदवार नामनिर्दिष्ट करने की पूरी शक्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री बसुमतारी : उत्तर स्पष्ट नहीं था । मेरा प्रश्न था कि सरकार का निर्णय क्या है । उसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न के लिये कह दिया है । उत्तर माननीय सदस्य के पास भेज दिया जाए ।

दरभंगा हवाई अड्डा

\+

*१२६३. **श्री सू० ला० वर्मा :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे का ठेका राष्ट्रीय निर्माण निगम को दिया था;

(ख) यदि हां, तो ठेके की मुख्य बातें क्या हैं और निर्माण में कितना धन व्यय होगा ;

(ग) क्या निर्माण कार्य, वास्तव में निगम द्वारा किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : जी हां राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को ठेका दिया गया था ।

(ख) ठेके के अन्तर्गत यह काम आता है :

(१) धावनमार्ग (२) टैक्सी मार्ग

(३) एप्रन (४) पुलियां

काम की कुल लागत १४० लाख रुपये थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri S. L. Verma : Has the contract been assigned on tender basis and, if so, the number of tenders received and the lowest away them ?

Shri Mehr Chand Khanna : We had invited twelve firms and I think one or two of them sent their tenders. One of them was the Hindustan Construction Company whose tender was of the value of about Rs. 2 crores. We assigned the work to the National Projects Construction Corporation for Rs. 1½ crores.

Shri S. L. Verma : What was the amount of tenders s bmitted by these firms ? Their names may also be given

Mr. Speaker : What will you do by asking the names of all the contractors ?

श्री रिशांग किशिंग : राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा दरभंगा में किया गया काम अन्य अभिकरणों द्वारा भीटा, रांची, गोरखपुर, लखनऊ आदि में किये गये ऐसे ही काम की तुलना में कैसा है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : ठेकेदार 'क' और ठेकेदार 'ख' के काम की तुलना करना बड़ा कठिन होगा । जहां तक इस विशेष काम का संबंध है, वायु सेना के जो अधिकारी वहां गये हैं और निरीक्षण किया है, वे काम से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं ।

Shri Bibhuti Misra : Is Government satisfied that this work has been far better than the work done by any other contractor ?

Shri Mehr Chand Khanna : I am glad this work has been done by a public sector undertaking and has been done very well.

'सी' बिजली घर

\+

*१२६४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बिजली सप्लाई उपक्रम का 'सी' बिजली घर टर्बाइन में कम्पन (वाइब्रेशन) बढ़ जाने के कारण ९ अप्रैल, १९६४ को पुनः बन्द कर दिया गया था ;

(ख) क्या जापानी विशेषज्ञ इतने लम्बे समय में भी उसकी खराबी को दूर नहीं कर सके हैं ;

(ग) क्या ऐसी और टर्बाइनों के लिए जापानी फर्म को दिए गए क्रयादेश (आर्डर) रोक लिए गये हैं, और

(घ) मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली बिजली सप्लाई उपक्रम के 'सी' बिजली घर में लगाया गया ३६ मेगावाट का बिजली पैदा करने वाला संयंत्र १० सितम्बर, १९६३ को चालू किया गया था। यह संयंत्र जापान के मैसर्स मित्सुभीषी शोजी कैशा लि० द्वारा दिया और लगाया गया था। चालू होने के बाद लगातार इसका इस्तेमाल होता रहा है। ३ मार्च १९६४ को टर्बाइन के बेयरिंग संख्या २ में कुछ कम्पन देखी गई थी। मशीन को तत्काल ही भारहीन कर दिया गया और कम्पन के मिट जाने के बाद उसे बिना भार के चलाया गया। तथापि, ४ मार्च को कुछ मिनटों के लिये फिर कम्पन देखने में आई। ५ मार्च को पुनः कम्पन हुई और अधिक समय तक होती रही। मशीन को तब बन्द कर दिया गया। मैसर्स मित्सुभीषी कैशा लिमिटेड, जो संयंत्र के संभरणकर्ता हैं, के विशेषज्ञ २५ मार्च, १९६४ से संयंत्र में कम्पन के कारण की जाच कर रहे हैं। २५ मार्च, १९६४ के ००.५८ बजे से विभिन्न फेरबदलों के लिये मशीन को कई बार चलाना और बन्द करना पड़ा। इस सिलसिले में मशीन ८ अप्रैल, १९६४ को २३.१७ बजे बन्द कर दी गई और १० अप्रैल, १९६४ को ०६.५४ बजे पुनः चलाई गई। तब से यह ठीक चल रही है। यह कम्पन त्रुटिपूर्ण पंक्तिबद्धता के कारण बताई जाती है। गलत पंक्तिबद्धता के कारणों पर रिपोर्ट मैसर्स मित्सुभीषी शोजी कैशा लि० से मिल गई है और इस समय उसकी जांच हो रही है।

संभरणकर्ता तथा दिल्ली बिजली सप्लाई उपक्रम के बीच हुए ठेके की शर्तों के अनुसार संभरणकर्ता के लिये यह आभार्य है कि वह उपक्रम के कहने पर बायलरों तथा टर्बाइन के विशिष्ट विवरण में सम्मिलित ऐसे सभी हिस्सों, उपकरण तथा सामग्री का मुफ्त प्रतिस्थापन मरम्मत करेगा जो उक्त उपकरण को स्वीकार किये जाने तथा व्यापारिक काम में लगाने के ३ वर्ष के अन्दर टूट जाता है या त्रुटिपूर्ण हो जाता है या खराब हो जाता है। इसमें शर्त यह है कि तोड़फोड़ या दोष उक्त उपकरण और सामग्री के साधारण संचालन में हो और वह त्रुटिपूर्ण सामग्री और कारीगरी या इन में से किसी एक के कारण हो।

'सी' बिजली घर में इस समय चलने वाले टर्बो-आल्टरनेटर जैसी किसी मशीन के लिये मैसर्स मित्सुभीषी शोजी कैशा लि० को क्रयादेश नहीं दिया गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या कारण है कि 'सी' बिजली घर में इतनी बार कम्पन होती है और उसे बन्द कर देना पड़ता है और क्या संयंत्र में दोषों या गलत पंक्तिबद्धता को दूर करने के लिये कुछ किया जा रहा है? क्या जापानी फर्म से मिली रिपोर्ट की जांच हो गई है तथा क्या उसके अनुसार काम किया गया है?

डा० कु० ल० राव : जैसा विवरण में बताया गया है, 'सी' बिजली घर मे मुख्य खराबी कम्पन से पैदा हुई जो कि 'शाफ्ट' की गलत 'एलाइनमेंट' का परिणाम है। जो जापानी इंजीनियर यहां पर आये थे उन्होंने इस त्रुटि को बहुत कुछ ठीक कर दिया है और १० अप्रैल, १९६४ से मशीन पूरा भार उठा रही है। परन्तु फिर भी कम्पन बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है। कभी कभी कम्पन होने लगती है। अब तो प्रश्न केवल इस कम्पन को कम करने का है। मानी हुई सीमा ०.०२५ मिलिमीटर से ०.०७५ मिलिमीटर तक है। इस मशीन में कम्पन कई बार इससे ज्यादा हुई है। अतः इस बारे में जापानी इंजीनियरों से अभी बातचीत हो रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा है कि जापानी फर्म केवल ३ वर्ष तक कम्पन का पता लगाने के लिये उत्तरदायी होगी। क्या सरकार किसी और फर्म से सलाह करने की बात नहीं सोच रही है ताकि यह कम्पन बिल्कुल ही रुक जाए?

डा० कु० ल० राव : ठेके की शर्तों के अनुसार कम्पनी मशीन की देखरेख के लिये तीन वर्ष तक उत्तरदायी होगी और उसकी ओर से इतने समय के लिये आश्वासन होगा कि मशीन ठीक चलेगी।

निर्वाह-व्यय देशनांक

+

*१२६५ { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वाजी :
श्री वारियर : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३ में तथा फरवरी, १९६४ तक निर्वाह व्यय में १० पाइंट की औसत बढ़ोत्तरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के भत्ते में परिवर्तन होना चाहिए ; और

(ग) मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां, फरवरी, १९६३ से जनवरी १९६४ के बारह महीनों में।

(ख) वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, स्थिति का पुर्नविलोकन करके इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिये अथवा नहीं, और यदि की जाये, तो किस दर पर।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बढ़ते हुए मूल्यों और सरकार के मूल्यों को स्थिर रखने में असफल होने के कारण सरकारी कर्मचारियों में भारी असन्तोष व्याप्त है और, यदि हां, तो क्या मंहगाई भत्ते को भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस समय इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इस मामले में लिये गये निर्णय को बहुत शीघ्र ही माननीय सदस्य जान लेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि संसद-सदस्यों के वेतन और भत्तों में ४० प्रतिशत की वृद्धि करने के लिये सरकार १ ½ ही घण्टे में किस प्रकार राजी हो गई.................

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति :

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपसे इसलिये यह कह रहा हूं क्योंकि........

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

श्री स० मो० बनर्जी : एक दिन ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्न संख्या १२६६ के बारे में

श्री दी० चं० शर्मा : दिल्ली के मानसिक अस्पताल के सम्बन्ध मे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि श्री कामत ने पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ; मानसिक अस्पताल के प्रश्न को मैं इस समय नहीं ले रहा हूं ।

श्री दी० चं० शर्मा : इसे श्री कामत ने पूछा है और इसे लिया ही जाना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने और तीन अन्य माननीय सदस्यों ने ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Rehabilitation of refugees coming from East Pakistan

+
No. 21. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri P. C. Barooah :

Will the Minister for **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to the coming of large number of refugees in the Garo Hills and Mizo Hills of Assam, heavy pressure has been put on the economic and administrative set up of those areas;

(b) the total number of displaced persons who have come so far in those two areas and the estimated number of their daily influx ;

(c) whether any decision has so far been taken for rehabilitating these displaced persons in other States of India ; and

(d) what steps are proposed to be taken to meet the difficulties in the rehabilitation work likely to arise due to onset of the monsoon in these areas.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : (a) Yes, sir.

(b) *The total number of new migrants*:—

in Garo Hills is . 80,000 persons

and in Mizo Hills is . 6,500 persons

Daily influx

in Garo Hills is . . 200 persons

and in Mizo Hills is . 200 persons

(c) No. They will be resettled in Assam.

(d) 54,000 migrants in Garo Hills have been removed to camps in Goalpara Sub-division which are more easily accessible during the monsoon. In the Mizo Hills area, arrangements have been made for air-dropping of rice and other essential supplies there. The situation is being watched by the State Government and if necessary, they would remove the families to more accessible places.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether consequent upon the recent meeting of the Home Ministers of India and Pakistan held in Delhi, the atrocities in that country have shown some downward trend and whether this has had some impact upon migration. Does influx of displaced persons continue unabated or it has shown downward trend ?

Shri Tyagi : I do not have much information regarding atrocities committed on people, but certainly people coming over here are a lot of gloomy persons. They do not fall a sense of security in that country. A large number of families, are coming every day.

Mr. Speaker: Has the incidence of migration been reduced after the Home Minister s Conference or it continues in its old pace ?

Shri Tyagi : There is no downward trend. In Assam itself the number has by now swollen to one lakh and three thousand.

Shri Prakash Vir Shastri: His predecessor, Shri Mehr Chand Khanna, had gone there to see for himself the state of affairs being encountered by those helpless migrants. The officials of the Rehabilitation Ministry are also going there off and on. I want to know whether the migrants coming into these Hills have narrated woeful tales that not only they were completely robbed off and their entire property snatched away but that their young females were also forcibly taken away from them and the barbaric police of Pakistan also committed acts of molestation and rape on these girls. May I know whether Government have received any information about such happenings ?

Shri Tyagi : I have little information about this. Had there been a specific question on this matter, I would have certainly gathered information. It has not been possible for me now to visit those places, but I assure my hon. friend that very soon I will go there and enquire of these matters.

श्री हेम बरुआ : क्या हमारे गृह-कार्य मंत्रालय के आसाम के दौरे के समय कुछ लोगों ने उनसे यह अभ्यावेदन किया था कि आसाम की वर्तमान अर्थव्यवस्था उन लोगों को खपाने के भार को वहन नहीं कर सकेगी जोकि पूर्वी पाकिस्तान से आ चुके हैं और आ रहे हैं और यदि हां, तो क्या नये पुनर्वास मंत्री महोदय ने गृह-कार्य मंत्री से इसके कारणों को मालूम किया है और क्या इन अभागे लोगों के पुनर्वास के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न किया है ?

श्री त्यागी : इस समय मुझे इस की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह गृह-कार्य मंत्री से यह पता करेंगे कि इसके क्या कारण हैं और फिर इन अभागे व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री त्यागी : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि आसाम की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर पड़ा है । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाता हूं, जैसाकि मैंने आसाम राज्य को भी दिया है, कि सहायता और पुनर्वास पर आने वाले सम्पूर्ण व्यय को भारत सरकार उठायेगी । यह आश्वासन उन्हें दिया जा चुका है और इन शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिये वे बहुत सी योजनायें चला रहे हैं । अब ऐसी कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री लोलाधर कटकी : क्या माननीय मंत्री का इन शिविरों का दौरा करने और आसाम सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत करने का विचार है और यदि हां, तो कितनी शीघ्र और कब ?

श्री त्यागी : आसाम सरकार का अधिकारी कल ही मुझ से मिला था और उन विभिन्न योजनाओं के बारे में बातचीत की थी जोकि इस समय वे चला रहे हैं । मैंने यह वचन दिया है कि मैं शीघ्र ही स्थल पर जाऊंगा और संबंधित मंत्रियों से इस विषय पर बातचीत करूंगा ।

श्री बसुमतारी : सीमा को पार करते समय, शरणार्थियों को राजस्व भुगतान प्रमाणपत्र, आय-कर भुगतान प्रमाणपत्र और ऐसी दूसरी चीजें दिखानी पड़ती हैं । क्या दोनों गृह मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के पश्चात्, इन शरणार्थियों के लिये इस शर्त में ढील दी गई है अथवा नहीं ?

श्री त्यागी इस प्रश्न के बारे में मेरे पास निश्चित जानकारी नहीं है, परन्तु मैं समझता हूं कि जिन व्यक्तियों के पास ये प्रमाणपत्र नहीं हैं और वे सीमा पार कर के भारत आ गये हैं उनकी भी देखभाल की जायेगी ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में उन शरणार्थियों का कोई उल्लेख नहीं है जोकि कछार जिले में आये हैं । जहां तक मैं जानता हूं, कछार जिले में इनकी संख्या ५,००० से भी अधिक है । क्या माननीय मंत्री यह बता सकेंगे कि उनका क्या भविष्य होगा ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री नास्कर) : यह प्रश्न केवल गारो और मिज़ो पहाड़ियों में आये शरणार्थियों के सम्बन्ध में है ।

श्री नाथ पाई : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री महोदय ने यह कहा है कि अपहरण, बलात्कार, बलात धर्म-परिवर्तन और ऐसी सब बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर समाचार दिये गये हैं । इस बात को देखते हुए कि, चाहे ये समाचार बढ़ा चढ़ा कर दिये गये हों या नहीं, इन समाचारों से देश में विस्फोटात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि माननीय मंत्री इस विगत समय में हुई घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सदन के सम्मुख, बजाय यह कहने कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है—जैसाकि उन्होंने पहले कहा था—,विशिष्ट जानकारी रखेंगे ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि ये प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

Shri Nath Pai : While replying to Shri Shastri's question the hon. Minister stated that Government are enquiring as to how many refugees have come in and gone out of India.

Shri Tyagi : This we have already ascertained.

Shri Nath Pai : How many were victims of acts of rape.....

Mr. Speaker: He wanted to know the enquiries made by the Government regarding the exaggerated reports.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सारे शरणार्थी वास्तव में किसान वर्ग के हैं और उन से भूमि के छीने जाने से पहिले वे उस पर खेती करते थे, क्या सरकार ने अपनी उस पुनर्वास योजना में जिसका कि अभी उल्लेख किया गया है इन शरणार्थियों को कृषियोग्य भूमि पर बसाने की वांछनीयता पर विचार किया है अथवा ये योजनायें किसी दूसरे प्रकार की हैं ?

श्री त्यागी : सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आसाम सरकार ने प्रव्रजकों को रोजगार में लगाने और उन्हें फिर से बसाने के लिये गारो पहाड़ियों में भूमि संरक्षण और कृषियोग्य भूमि बनाने की एक बड़ी योजना चला रखी है ; इस भूमि पर लगभग ५०० परिवारों का पुनर्वास किया जायेगा । फिर, गारो पहाड़ियों में पुनः-विनरोपण की दो योजनायें हैं और उनमें भी कार्य आरम्भ हो गया है । इसके पश्चात्, एक और भी योजना है जिसके अन्तर्गत गारो पहाड़ियों में ही ६,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जायेगी । गोलपाड़ा जिले में भी भूमि पर पुनर्वास की एक योजना है । इस प्रकार हम इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : गिरजाघरों के प्रमुखों, जिनमें ढाका का आर्कबिशप भी सम्मिलित है, के इस निश्चित वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि उन की अपील के बावजूद भी कोई भी ईसाई पूर्व पाकिस्तान वापस जाने के लिये तैयार नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अब यह समझती है कि इन लोगों को यहां पर स्थायी रूप से बसाने के लिये एक आयोजित कार्यक्रम परम आवश्यक है ?

श्री नारकर : पूर्व पाकिस्तान से चाहे कितने भी शरणार्थी क्यों न आ रहे हों, चाहे वे ईसाई हों या बौद्ध हों या हिन्दू हों, सरकार उनको भारत में स्थायी रूप से बसाने के लिये अपनी पुनर्वास योजनायें चलाने का भरसक प्रयत्न कर रही है ।

Shri Yashpal Singh : Are Government in a position to state as to how long this process of eviction of refugees by Pakistan and their rehabilitation by India will continue ? What measures have Government taken to prevent it.

Shri Tyagi : As the hon. Member already knows, the Government of India also desires that this influx of refugees from Pakistan may stop at the earliest. But it is not in our hands to do so. Even then the Government of India thinks that it will be a matter of great pleasure if forcibly driving out of minority communities by Pakistan is stopped and this point will be kept in view when the negotiations in this connection take place in future at Ministers' level.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इन समाचारों में कुछ सचाई है कि पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में आये हुए इन अभागे शरणार्थियों में १२ वर्ष से ३० वर्ष तक की आयु की स्त्रियों की संख्या अनुपातत: कम है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह जानने का प्रयत्न किया है कि परिवारों के इन लापता सदस्यों का क्या हुआ ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मैंने अभी तक इस समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया ।

श्री हरि विष्णु कामत : अच्छा रहे यदि अब वह इस पर विचार कर लें ।

श्री स० मो० बनर्जी : खेती के लिये कुछ भूमि देने के अतिरिक्त, क्या सरकार का विचार इन शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने के लिये अपने साधनों का उपयोग कर के कुटीर उद्योग की छोटी-छोटी इकाइयां स्थापित करने का है ?

श्री त्यागी : यह बात पूरी तॉर से हमारे ध्यान में है और इस प्रकार की योजनायें चलाई जा रही हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि प्रयोजनों के लिए सहायता

*१२५५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की कृषि, संबंधी तालिका (पेनल) द्वारा दिये गये इस सुझाव पर सरकार ने विचार कर लिया है कि संघ सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिये राज्यों को दी जाने वाली सहायता केवल उन के कृषि उत्पादन के आधार पर ही दी जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). यह विचाराधीन है ।

औषधियों का निर्माण

*१२५७. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३-६४ में बिना लाइसेंस के औषधि बनाने वाले देश में कितने हैं इसका निर्धारण करने के लिये नमूना सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब तक पकड़े गये सभी बिना लाइसेंस के औषधि बनाने वालों के नाम प्रकाशित करने का विचार कर रही है ; और

(ग) इस प्रकार के दूषित कामों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८१४/६४**]

संसद-सदस्यों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

*१२५८. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि विवाह के बाद एक महिला अपने पति के परिवार, जिसमें सास, ससुर भी शामिल होते हैं, का अभिन्न अंग बन जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि पुरुष तो केवल अपने मां बाप का पालन पोषण करता है और उसको अपने सास सुसर का पालन पोषण नहीं करना पड़ता है परन्तु यदि कोई महिला परिवार में धनोपार्जन करने लगे तो उसको सामान्यतः अपने सास ससुर का पालन पोषण करना होता है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने महिला संसद्-सदस्यों पर आश्रित सास ससुर को चिकित्सा सुविधाओं से क्यों वंचित रखा है ;

(घ) क्या सरकार जानती है कि इस कारण से महिला सदस्यों को अंशदायी स्वास्थ्य योजना का उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना पुरुष सदस्यों को मिलता है जबकि वह पुरुषों के समान ही अंशदान करती हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ङ). जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन के संबंध में केन्द्रीय सरकार की स्वस्वास्थ्य योजना के अधीन 'परिवार' की परिभाषा की जांच की जा रही है ।

मानसिक रोग चिकित्सालय, दिल्ली

*१२६६. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्रीमती जोहराबेन चावड़ा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री मान सिंह पृ० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ६ अप्रैल, १९६४ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित सम्पादक के नाम पत्र 'इनह्यमन हास्पिटल्स' की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उसमें लगाये गये गंभीर आरोप ठीक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित अस्पताल के अपचारी तथा लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्य निषेध समिति

*१२६७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मुथिया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **योजना** मंत्री ६ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निषेध समिति का प्रतिवेदन, खण्ड १ इस बीच सरकार को पेश कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या मुख्य विचार तथा सिफारिशें की गई हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन मुद्रित किया जा रहा है । जैसे ही मुद्रित प्रतियां उपलब्ध हो जायेंगी, वे संसद्-सदस्यों को बांट दी जायेंगी ।

U.S. Businessmen's Visit to India

*1267-A. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri P.C. Barooah :
Shri Indrajit Gupta:
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a U.S. businessmen's team desirous of investing capital in Indian industries visited this country recently ;

(b) if so, whether the team had also met the representatives of Government ; and

(c) the nature of their talks ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Tarkeshwari Sinha) : (a) & (b). A team of U.S. businessmen visited this country in response to the invitation of the Indian Investment Centre to explore the possibilities of collaborating in the starting of Industries in this country.

(c) The talks covered the scope for foreign investments in relation to targets of industrial development, the process of investment approval, sources of capital, financing policy, taxation import, and export control and the facilities offered to new industries.

पर्यवेक्षी कर्मचारियों से काम लेना

*१२६८. श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नम्बियार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वितीय वेतन आयोग की इस सिफारिश को लागू करने का विचार कर रही है कि जब कभी कोई विभाग अपने तकनीकी तथा गैरत-कनीकी (अराजपत्रित) पर्यवेक्षी कर्मचारियों से उनके सामान्य काम के घंटों के बाद काम करवाये तो उन्हें अधिक समय तक काम करने के लिये अतिरिक्त वेतन दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). इस प्रश्न सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकृत और क्रियान्वित कर लिया गया है।

गंग नहर

*१२६९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंग नहर में उतना पानी नहीं छोड़ा जा रहा है जितना उसमें छोड़ा जाना चाहिए था तथा इस वर्ष इस कारण से राजस्थान के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है ;

(ख) कितनी हानि हुई है तथा मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उचित मात्रा में पानी की सप्लाई का विनियमन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) इस प्रश्न पर पंजाब और राजस्थान की सरकारों के बीच मतभेद है। राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार से यह शिकायत की है कि पिछली रबी फसल के दौरान उन्हें गंग नहर से उतना पानी नहीं मिला जितना कि उन्हें मिलना चाहिये था। तथापि, पंजाब सरकार ने यह बताया है कि यह शिकायत किसी गलतफहमी पर आधारित है और गंगनहर में जितना पानी छोड़ा जाना चाहिये था उससे अधिक पानी छोड़ा गया है। पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को यह सुझाव दिया है कि इस मामले पर पहले अधिकारियों के बीच बातचीत कर ली

जाये और फिर, यदि आवश्यक हो, तो मंत्रि-स्तर पर बातचीत की जाये। भारत सरकार यह आशा करती है कि इन बातचीतों से मित्रतापूर्ण समझौता हो जायेगा और यदि आवश्यक हो तो, दोनों पक्षों के बीच एक सन्तोषजनक हल निकालने के लिये वे तैयार रहेंगे।

(ख) राजस्थान सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि जल शुल्क, भू-राजस्व और छट आदि में लगभग ११ लाख ७५ हजार रुपये की प्रत्यक्ष हानि होगी और बोये गये क्षेत्र में कमी और फसलों की लगभग ४५,००० मीट्रिक टन कम उपज के कारण अनाज के उत्पादन के रूप में जो अप्रत्यक्ष हानि होगी वह लगभग १½ करोड़ रुपये के मूल्य की होगी।

(ग) भारत सरकार को यह विश्वास है कि रबी फसल के अगले मौसम से पहले दोनों सम्बन्धित राज्य सरकारें इस समस्या का मित्रतापूर्ण हल निकाल लेंगी और इस मामले में किसी समझौते पर पहुंचने के लिये वह उनको सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

महलनबीस समिति

*१२७०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री १३ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति का प्रतिवेदन सरकार को इस बीच मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत). (क) जी, हां। प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्राप्त हो गया है और सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) प्रतिवेदन अधूरा है और समिति के निर्देश पदों के केवल मद संख्या (२) और (३) के सम्बन्ध में ही है, अर्थात्, आय और धन का वितरण तथा आर्थिक शक्ति का किसी एक केन्द्र में एकत्रित होना। प्रतिवेदन के भाग २ की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रतिवेदन के प्रथम भाग में समिति ने अपना यह मत व्यक्त किया है कि प्रतिवेदन पर कुल मिला कर विचार किया जाना चाहिये।

(ग) प्रतिवेदन के भाग २ के प्राप्त होने पर समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिया जायेगा।

Homoeopathic System of Medicine

*1271. **Shrimati Johraben Chavda :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether Government propose to include Homoeopathic System of medicine in the Central Government Health Scheme ;

(b) whether any demand has been made for including this system of medicine; and

671 ai LSD—4.

(c) the difficulties on account of which Government do not want to include this system ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). There is no proposal to include the Homoeopathic system of medicine in the Central Government Health Scheme as there is no indication that there is a sizeable demand for such facilities.

औद्योगिक उपक्रमों के लिये रूसी सहायता

†१२७१-क. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को रूसी आर्थिक सहायता में वृद्धि करने के लिये, जिसमें दो बड़े औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना भी सम्मिलित है, २८ मार्च, १९६४ को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और रूसी सहायता से किन औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। २८ मार्च, १९६४ को एक प्रोटोकौल पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके अधीन सोवियत संघ निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिये आर्थिक और प्रविधिक सहायता देने के लिये सहमत हो गया है :—

(१) १६,००० टन निर्मित वस्तुओं की वार्षिक क्षमता वाला कम्प्रैशर्स तथा पम्पस् प्लांट ।

(२) १०,००० टन ढलाई प्रति वर्ष की क्षमता वाली इस्पात ढलाई कर्मशाला ।

परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को ५९ करोड़ ५३ लाख रुपये के रूसी ऋण से पूरा किया जायेगा जिसके लिये २१ फरवरी, १९६१ को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

नागापट्टिनम में तापीय बिजलीघर

२६५२. **श्री थेनगौडर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने नागापट्टिनम में एक तापीय बिजलीघर की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां। मद्रास सरकार की ओर से नागापट्टिनम/कुड्डालोर समेत तीन तटीय नगरों में १०० मैगावाट के तीन तापीय बिजली घर बनाने अथवा एलोर या तूतीकोरिन में ३०० मैगावाट का एक तापीय बिजली घर बनाने का प्रस्ताव आया है ।

(ख) मद्रास में ३०० मैगावाट का अकेला तापीय बिजली घर बनाने का प्रस्ताव इन से बेहतर समझा गया है और उस के बारे में विचार हो रहा है ।

मद्रास राज्य में जल सम्भरण

२६५३. श्री थेनगौंडर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने समुद्रीय जल को नमक रहित बनाने की योजना का परीक्षण करना स्वीकार कर लिया है ताकि मद्रास नगर में जल सम्भरण की स्थिति को सुधारा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) एक सुझाव आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक दल मद्रास में जल सम्भरण को बढ़ाने के लिये समुद्रीय जल को नमक रहित बनाने की संभावना का परीक्षण करे । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालकाजी कालोनी, दिल्ली में विस्थापित लोगों की भूमि

२६५४. श्री बृज राज सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री २६ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रस्तावित कालकाजी कालोनी, दिल्ली में विस्थापित लोगों को दी जाने वाली भूमि के लिये अर्जी और पट्टा दस्तावेजों के प्रारूपों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : जी नहीं ।

Gold Seized

2655. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of Central Excise Department raided village Lokaha in District Darbhanga and seized twenty-five thousand grams of gold and gold coins worth about four lakhs of rupees ; and

(b) if so, the details of the raid and seizure of gold ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) & (b). On receipt of information, a party of Central Excise Officers searched the premises of a resident of the village of Laukahi, with a search warrant, on the 1st April, 1964. This resulted in the recovery of 293 pieces of primary gold, weighing 25,134 grammes consisting of blocks, bars, coins etc. valued at about Rs. 3 lakhs. As the gold had not been declared in accordance with the Gold Control Rules, it was seized.

दिल्ली में क्षय रोगी

२६५६. **श्री राम हरख यादव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई औषधि है, जिसे दिल्ली के क्षय रोगी पृथककृत मकानों में रहे बिना अपने घरों पर प्रयोग में ला सकें ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : ऐंटीमाइक्रो बायल औषधियां, अर्थात् स्ट्रैप्टोमाइसिन, पी० ए० एस० ; आई० एन० एच० और युनिथेवन क्षय रोगियों को घरों पर इलाज योजना के अन्तर्गत घरों में प्रयोग करने के लिये दी जाती हैं ।

विदेशी धर्म प्रचार संस्थाओं द्वारा खोले गये अस्पताल और चिकित्सालय

२६५७. **डा० कोहोर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय राज्यवार विदेशी धर्मप्रचार संस्थाओं द्वारा कितने अस्पताल और चिकित्सालय स्थापित किये गये और चलाये जाते हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इन संस्थाओं को किसी प्रकार की सहायता दे रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक संस्था को कितनी और किस रूप में सहायता दी जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). सूचना उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है ।

Cure for Cancer

2658. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn towards a news item published in the 'March of the Nation' dated the 18th March, 1964 that Shri Chandra Prakash, a Vaidya of Meerut has discovered a medicine for curing cancer ;

(b) is so, whether the efficacy of the medicine has been tested by the experts ; and

(c) whether any financial assistance has been given or is proposed to be given to the Vaidya by Government ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) A report has appeared in the 'March of the Nation' dated the 18th April, 1964 stating that Shri Chandra Prakash a Merrut vaidya has achieved success in controlling and curing Myelocid Leukaemia.

(b) No.

(c) No financial assistance has so far been given nor has the Vaidya approached Government for it.

प्रादेशिक बिजली बोर्ड

२६५९. **श्री तन सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर पूर्व के अतिरिक्त के प्रदेशों में बिजली पैदा करने और बांटने के काम की आयोजना तथा समन्वय करने के लिये प्रादेशिक बिजली बोर्ड बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). निम्नलिखित प्रादेशिक बिजली बोर्ड, स्थापित किये गये है जो उत्तर-पूर्वी प्रादेशिक बिजली बोर्ड के साथ देश के सभी प्रदेशों की सेवा करेंगे :

क्रमांक	बोर्ड	क्षेत्र
१	**दक्षिण प्रादेशिक बिजली बोर्ड**	. आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और केरल।
२	**उत्तरी प्रादेशिक बिजली बोर्ड**	जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पजांब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ।
३	**पूर्वी प्रादेशिक बिजली बोर्ड**	. पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दामोदर घाटी निगम ।
४	**पश्चिम प्रादेशिक बिजली बोर्ड** .	. गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश

प्रत्येक उपरोक्त बोर्डों के गठन तथा कार्य बोर्डों की स्थापना करने वाले संकल्पों में दिये गये हैं, जिस की प्रतियां संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २८१५/६४**]

कम आय वर्ग के लिये मकान बनाने के लिये ऋण

२६६०. **श्री बूटा सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कम आय वर्ग की श्रेणी में मकान बनाने के ऋण देने में अनुसूचित जातियों के लोगों को कोई रियायतें दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो १९६० से कितने कर्मचारियों को ऐसे ऋण दिये गये हैं ; और

(ग) उन में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागपुर नगर की क्रमोन्नति

२६६१. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नागपुर नगर को वर्गोन्नत करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां। कुछ अभ्यावेदन इस विषय पर आए हैं।

(ख) जैसा कि २१ दिसम्बर, १९६३ को संसद् में मेरे वक्तव्य में बताया गया था, इस समय, जनसंख्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भत्ते देने के उद्देश्य के लिये वर्गों का श्रेणीकरण करने का मुख्य आधार जनसंख्या है। नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार नागपुर की जनसंख्या ६४३६५९ है। अगली उच्च श्रेणी के योग्य होने के लिये जनसंख्या की सीमा ८ लाख होने के कारण, इस समय नागपुर वर्गोन्नत होने के योग्य नहीं है।

चिकित्स संस्थाओं को अनुदान

२६६२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा विज्ञानों की अखिल भारतीय संस्था, नई दिल्ली और भौतिक चिकित्सा तथा पुनर्वास की अखिल भारतीय संस्था, ११, हाजी रोड पार्क, बम्बई को कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई की उपरोक्त संस्था को कोई सहायक अनुदान इन तीन वर्षों में नहीं दी गई, क्योंकि संस्था १ अक्तूबर, १९६१ से केन्द्रीय सरकार की संस्था बनी है। तब से सरकार इस का पूरा खर्च उठा रही है।

नई दिल्ली की उपरोक्त संस्था को गत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान इस प्रकार है :

१९६१–६२	८३ लाख रु०
१९६२–६३	१०० ,, ,,
१९६३–६४	१२८ ,, ,,
कुल . .	३११ ,, ,,

दामोदर घाटी निगम नहर

२६६३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पू० ना० खान :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम की नहर कलकत्ता की छोटी नावों की सहायता से कोयला ढोने के लिये काम नहीं कर रही है क्योंकि इस का काम पूरा नहीं हुआ और मरम्मत नहीं हुई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस काम के लिये एक ड्रैजर का क्रयादेश दिया गया है ; और

(ग) यदि हां तो यह ड्रैजर कब प्राधिकारियों को मिल जाएगा और क्या कलकत्ता पत्तन से ड्रैजर प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) भविष्य में मरम्मत के लिये एक ड्रैजर का क्रयादेश दे दिया गया है क्योंकि नहर में पर्याप्त गहराई बनाये रखने के लिये समय समय पर खुदाई करने की जरूरत होगी ।

(ग) लगभग चार महीनों में ड्रैजर मिलने की सम्भावना है ।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों से अस्थायी उपयोग के लिये ड्रैजर देने के लिये प्रार्थना की थी परन्तु वे कोई ड्रैजर नहीं दे सके ।

दिल्ली में भूमिगत जल

२६६४. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सराय रोहिल्ला, समुडा कालोनी, दिल्ली में भूमिगत जल भूमि स्तर से एक फुट के अन्दर ऊपर उठ गया है और वहां की इमारतों की नीवों को खतरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आपत्ति को दबाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली नगरपालिका निगम द्वारा समुडा कालोनी (सराय रोहिला) में नवम्बर १९६३ में किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि भूमिगत जल कुछ स्थानों पर भूमि स्तर के लगभग एक फुट के अन्दर ऊपर उठ गया था ।

(ख) निगम द्वारा इसके बारे में कोई उपाय किये जाने से पूर्व अग्रेतर अनुसंधान किया जा रहा है ।

दिल्ली में मनोरंजन कर वसूली

२६६५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से प्रतिवर्ष कितना मनोरंजन कर वसूल किया जाता है और किस प्रकार यह खर्च किया जाता है ;

(ख) भारत और इंगलिस्तान के बीच फरवरी, १९६४ में हुए टैस्ट क्रिकेट मैच से मनोरजन कर के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ग) इस प्रकार वसूल किये गये कर में से कितने प्रतिशत राशि खेल में भाग लेने वालों और दर्शकों को साधारण सुविधाएं देने के लिये खर्च की जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) पिछले चार वर्षों में वसूल किये गये मनोरंजन कर की राशि इस प्रकार है :

१९५९–६० .	४१.०८ लाख रु०
१९६०–६१	५०.२२ ,, ,,
१९६१–६२ . . .	५४.५४ ,, ,,
१९६२–६३	५९.५६ ,, ,,

मनोरंजन से प्राप्त राशि में से वसूली का खर्च निकाल कर शेष राशि तीन स्थानीय निकायों अर्थात् दिल्ली नगरपालिका निगम, नई दिल्ली नगरपालिका समिति और छावनी बोर्ड में बांटी जाती है ।

(ख) फरवरी १९६४ में हुए टैस्ट क्रिकेट मैच में प्रवेश के लिये टिकट पर कोई मनोरंजन कर वसुल नहीं किया क्योंकि वह मैच को मनोरंजन कर दांव कर देने से छूट दी गई थी उत्तर प्रदेश मनोरंजन तथा दांव कर अधिनियम, १९३७ की धारा ६(३) के अन्तर्गत, जो दिल्ली संघ क्षेत्र पर लागू है ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

Diversion of Agricultural Funds

2666 { **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P .R. Chakraverti :

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 460 on the 5th March, 1964 and state the reaction of various State Governments in regard to the steps taken to check the diversion of money allotted for agriculture and cooperation ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : No State Government has yet expressed its views against the steps taken to check the diversion of money allotted for agriculture and cooperation communicated to them *vide* Planning Commission letter No. PC(P)4(2) 62, dated the 27th December, 1963 copy of which has already been placed on the table of the House with Starred Question No. 460 answered on the 5th March, 1964.

नार्थ अर्काट जिला, मद्रास राज्य में पेय जल की कमी

२६६७. { **श्री धर्मलिंगम :**
श्री मुत्तू गौंडर :
श्री राजाराम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के नार्थ अर्काट जिले में पेय जल की कमी के बारे में सरकार को मालूम है ;

(ख) क्या इसके संबंध में नार्थ अर्काट जिले की नगरपालिकाओं द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन के पास नार्थ अर्काट जिले में कुछ स्थानों पर जल की कमी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस विशेष मामले की जांच, राज्य के कठिन तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिये बनाए गये विशेष ग्रामीण जल सम्भरण जांच प्रभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को, उनकी जल सम्भरण योजनाओं की क्रियान्वित के लिये ऋण के रूप में, वित्तीय सहायता दी जा रही है। उत्तर अर्काट जिले में विविध नगरपालिकाओं की कुछ योजनाएं कार्यान्वित की चुकी है, जब कि कुछ अन्य काम क्रियान्विति के विविध स्तरों में इस प्रकार है :

१. **वेल्लोर तथा वालजापेत :** इन नगरों के लिये जल सम्भरण, पहली पंचवर्षीय योजना से पहले लगाई गई हैं। वेल्लोर जल सम्भरण योजना में सुधार तीसरी योजना में किया गया है।

२. **अर्काट, अरनी और रानीपेत :** इन तीन नगरपालिकाओं के लिये जल सम्भरण योजनाएं दूसरी योजना में मंजूर की गई थी। उनमें सभी पूरी हो चुकी हैं और चालू कर दी गई हैं।

३. **तिरुवन्नामलाई और गुडियाथम :** सीमित जल सम्भरण योजनाएं इन दोनों नगरपालिकाओं के लिये पहली योजना के प्रारम्भ से ही पहले चल रही थी। तथापि कामश्र जल सम्भरण सुधार योजनाएं सरकार द्वारा तीसरी योजना में मंजूरकी गई योजनाएं अब कार्यान्विति की जा रही हैं।

४ **अम्बूर, अरकोनम और वनियम्बाडी :** इन तीनों नगरपालिकाओं की जल संभरण योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं। अम्बूर और बनिम्बाडी की योजनार्थ राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई हैं। अरकोनम जल संभरण योजना के लिये तैयार किये गये प्रारूप प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

५. **तिरुपथूर :** इस नगरपालिका के लिये जल सम्भरण योजना तीसरी योजना में शामिल है, किन्तु यह राज्य सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई है क्योंकि नगरपालिका पूंजीगत लागत पूरी करने की स्थिति में नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये जमीनें

२६६८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों को (नैशनल पार्क नाम की) सस्ती बस्ती, लाजपत नगर, नई दिल्ली में मकान बनाने के लिये जमीनें दी गयी हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सरकारी कर्मचारियों को शरणार्थी सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा भी जमीनें जिसे पंजाबी बाग कहते हैं, पहले ही दी जा चुकी हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). लाजपतनगर में "नैशनल पार्क" नामक सस्ती बस्ती में समय समय पर विस्थापित व्यक्तियों, राजनैतिक पीड़ितों और पुराना किला के निवासियों को जमीनें दी गयी थीं। उनमें कुछ सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं लेकिन इस संबंध में कोई विशिष्ट अभिलेख नहीं रखा गया। जमीन लिये जाने के समय प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को यह घोषित करना पड़ा कि उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को भारत में अन्यत्र कहीं सरकारी सम्पत्ति या निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं दी गई है। शरणार्थी सहकारी समिति लिमिटेड से इस मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है। इन बस्तियों में दो बार जमीन दिये जाने का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

दिल्ली में बिक्री कर की समाप्ति

२६६९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली व्यापार मंत्रणा बोर्ड ने दिल्ली में कई चीजों पर से बिक्री कर हटा लेने की सिफारिश की है ; और

(ख) वे चीजें कौन कौन सी हैं और सरकार ने इस विषय में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) दिल्ली व्यापार मंत्रणा बोर्ड ने दिल्ली में होजियरी माल को बिक्री कर से मुक्त रखने की सिफारिश की है। दिल्ली प्रशासन इस सिफारिश का परीक्षण कर रहा है।

पंजाब के पहाड़ी इलाकों में पीने का पानी

२६७०. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के पहाडी इलाकों में पीने के शुद्ध पानी की कमी के संबंध में विशेष जांच पड़ताल प्रभाग द्वारा उन इलाकों के सर्वेक्षण के बारे में सब से हाल में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : आवश्यक जानकारी वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८१६/६४]**

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं

२६७१. **श्री जेधे :**
श्री वि० नु० पाटिल :
श्री बसवन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से आज तक महाराष्ट्र राज्य के लिये कितनी और किन किन स्थानों पर सिंचाई परियोजनायें मंजूर की गयीं ;

(ख) अब तक कितनी और कौन कौन सी परियोजनायें पूरी हो गई हैं और चालू की गयी हैं ;

(ग) कितनी परियोजनायें अधूरी हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक पूरी हो जायेंगी ; और

(घ) जारी परियोजनाओं को चालू करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरंभ से योजना आयोग ने महाराष्ट्र के लिये ५ बड़ी और २१ मंझली नई सिंचाई परियोजनायें मंजूर की हैं। परियोजनाओं और जिन जिलों में वे स्थित हैं उन के नामों की एक सूची संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २८१७/६४]**

(ख) कोई नहीं ।

(ग) चार परियोजनाय अर्थात् गंगापुर प्रक्रम २, बोर, नलगंगा और मनार (दौर १) तीसरी योजना के आखिर तक संभवतः पूरी हो जायेंगी ।

(घ) कुछ मामलों को छोड़ कर इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । विलम्ब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(१) सामान की कमी

(२) शिल्पिक कर्मचारियों की कमी

(३) मशीनों की कमी

(४) डिजाइनों में रद्दोबदल

बीजापुर जिले में अकाल

२६७२. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री असुमतारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीजापुर जिले में तथा मैसूर राज्य के अन्य स्थानों में सिंचाई सुविधायें न होने के कारण अकाल की स्थिति है ;

(ख) क्या इस मामले में कार्रवाई करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) अपर कृष्णा परियोजना प्रक्रम १ को कार्यान्वित करने के लिये मंजूरी दे दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश में अनुसन्धान योजनाएं

२६७३. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड ने १९६४–६५ के लिए उत्तर प्रदेश में कोई अनुसंधान योजनायें मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) १९६३–६४ में ऐसी योजनाओं के लिये कुल कितनी रकम दी गयी थी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) १९६४–६५ में उत्तर प्रदेश में कोई नयी सिंचाई और विद्युत् अनुसन्धान जयोनायें मंजूर नहीं की गयी हैं। फिर भी निम्नलिखित दो संगठनों को जो समस्यायें पहले दी जा चुकी हैं उन्हीं पर वे अनुसन्धान कर रहे हैं :—

(१) उत्तर प्रदेश सिंचाई अनुसंधान शाला, रुड़की

(२) रुड़की विश्वविद्यालय ।

(ख) जिन समस्याओं पर अनुसन्धान किया जा रहा है उन का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—२६१८/६४]**

(ग) (१) उत्तर प्रदेश सिंचाई अनुसंधान शाला—१,२४,००० रुपया ।

(२) रुड़की विश्वविद्यालय—४३,२५० रुपया ।

उत्तर प्रदेश में विद्युत् और सिंचाई क्षमता

२६७४. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४–६५ में विद्युत् और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु०ल० राव): (क) और (ख). उत्तर प्रदेश की सिंचाई और विद्युत् क्षमता के विकास के लिये, वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के अलावा और किसी सहायता के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश के देहातों में पानी की सप्लाई

२६७५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६४–६५ में उत्तर प्रदेश के देहातों में पानी की सप्लाई के लिये कितनी रकम दी गयी है ; और

(ख) १९६४–६५ में अब तक केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए कितनी रकम मंजूर की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा सफाई कार्यक्रम (देहाती) के अधीन ग्रामीण जलपूर्ति योजनायें कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार के १९६४-६५ के बजट में १० लाख रुपये की रकम रखी गई है।

(ख) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के भुगतान के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य को वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से मार्गोपाय अग्रिम के तौर पर नौ बराबर बराबर माहवारी किस्तों में धन दिया जा रहा है। भुगतान संबंधी अंतिम स्वीकृति जिस में मार्गोपाय अग्रिम का समायोजन बताया जायगा, राज्य सरकार द्वारा बताये जाने वाले व्यय के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के आखिर में जारी किया जायगा। केन्द्रीय सरकार से सहायताप्राप्त (राज्य-योजना) योजनाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक योजना के लिए धन नहीं दिया जाता ।

मकान बनाने के हेतु ऋणों के लिये निवेदन-पत्र

२६७६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २९ फरवरी, १९६४ तक उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से मकान बनाने के हेतु ऋणों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने आवेदन-पत्र सरकार ने मंजूर किये ; और

(ग) २९ फरवरी, १९६४ तक उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कितना ऋण दिया गया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) ३८२ ।

(ख) २९८ ।

(ग) ४०.०६ लाख रुपया ।

डालमिया–जैन संस्थाओं के निरीक्षक

२६७७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डालमिया-जैन संस्थाओं के कामकाज की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक के आचरण की जांच विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किन अभियोगों की जांच पड़ताल कर रहा है ; और

(ग) उस बारे में सरकार की क्या राय है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

डालमिया–जैन संस्थाओं के निरीक्षक

२६७८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो निरीक्षक डालमिया जैन संस्थाओं के कामकाज की जांच कर रहा है उसे १८० रुपया प्रति दिन दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी रकम देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वह सचिव की श्रेणी का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) निरीक्षक को ३,५०० रु० माहवार मंजूर किया गया है। इसके अलावा उसे निम्नलिखित दैनिक भत्ता मंजूर किया गया है :—

(१) वास्तविक आधार पर कमरे के लिए सर्विस चार्ज सहित, बम्बई और कलकत्ता के लिए अधिक से अधिक १५० रुपया प्रतिदिन और किसी दूसरी जगह के लिए १०० रुपया प्रति दिन :

(२) भोजन खर्च, इनाम आदि सहित अन्य सभी व्यय के लिए ३० रुपये की दर से।

(ख) दैनिक भत्ता निरीक्षक की हैसियत तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये निश्चित किया गया है कि जांच पड़ताल के सम्बन्ध में उसे अनेक आगन्तुकों का स्वागत करना होता है जिसके लिए कमरों का एक सूट जरूरी समझा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

२६७९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने १९६४–६५ में उड़ीसा राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं सम्बन्धी निर्माण कार्य पूरे करने के लिए अतिरिक्त रकमें केन्द्रीय सरकार से मांगी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसी अवधि में किन किन परियोजनाओं के लिए और कितनी रकम मांगी गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Cure for Breast Cancer

2680. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Miniser of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a remedy to cure breast cancer of women was suggested by Dr. Jack Gorshan in the Sixth Annual Seminar of American Cancer Society ; and

(b) if so, the reaction of the Government of India regarding the acceptance for that suggestion ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The Government of India have no information in the matter.

(b) Does not arise.

Fourth Plan

2681. { **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of fixing priorities for and allotment of resources for the Fourth Plan has started ; and

(b) if so, in what form ?

The Minister of Planning (Shri B.R. Bhagat) : (a) and (b). A number of Working Groups both at the Centre and in the States are currently engaged in detailed studies relating to the formulation of the Fourth Plan. After considering the reports of these Working Groups, the Planning Commission is expected to submit to the National Development Council a Preliminary Memorandum on the Fourth Plan by about the first week of July 1964. Consequently, it is too early to outline the scope of the Fourth Plan in terms of priorities and allocation of resources.

दिल्ली में प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र

२६८२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र हैं :

(ख) कितने केन्द्रों में रोगियों के रहने की जगह है ;

(ग) कितने केन्द्र जनता के लिए खुले हैं ; और

(घ) सामान्य जनता के लिए और अधिक प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली में प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या ८६ है जिनमें उपकेन्द्र भी शामिल हैं ।

(ख) पांच केन्द्रों में सामान्य प्रसूतियों के प्रसूति शय्याएं हैं ।

(ग) सभी केन्द्र जनता के लिए खुले होते हैं ।

(घ) दिल्ली नगर निगम और अधिक प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र और उपकेन्द्र खोलने का प्रयत्न कर रहा है ताकि लगभग १०,००० की आबादी के लिए एक केन्द्र हो ।

विधवाओं के लिये पेन्शन लाभ

२६८३. **श्री प० कुन्हन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा निवृत्त अफसरों की विधवाओं को पेंशन का फायदा पहुंचाने का निश्चय उन अफसरों की विधवाओं पर लागू नहीं किया गया है जो यह निश्चय किये जाने से पहले सेवा निवृत्त हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह निश्चय होने से पहले जो अफसर सेवा निवृत्त हुए थे उनकी विधवाओं को पेंशन का लाभ देने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, १९६४, १ जनवरी, १९६४ से लागू होती है अर्थात् उन लोगों के मामले में जो इस तारीख को या उसके बाद सेवा निवृत्त होते हैं या मरते हैं।

(ख) ऐसे मामलों में परिवार पेंशन सेवा निवृत्ति की तारीख को लागू नियमों से विनियमित होती है। नयी परिवार पेंशन योजना भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का अभी कोई निश्चय नहीं है।

गैस और कारबाइड पर बिक्री-कर

२६८४. श्री यशपाल सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि दिल्ली में गैस और कारबाइड फिर से बिक्री के लिए माल तैयार करने के लिए वेल्डिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है तो वह बिक्री कर से मुक्त होता है ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने बिक्री कर अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के विरुद्ध अनेक फर्मों को यह रियायत दी है जिससे हर साल राजस्व का काफी नुकसान होता है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी फर्मों को यह रियायत दी गयी है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कुछ पारस्परिक न्यायिक व्याख्या के कारण गैस और कारबाइड दिल्ली के ४१ व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में शामिल किया गया था ताकि वे इन चीजों को करयुक्त खरीद सकें। इस प्रश्न की और आगे विस्तृत छानबीन के बाद यह मालूम हुआ कि यह रियायत नहीं दी जा सकती और कर निर्धारण अधिकारियों को तदनुसार बता दिया गया। चूंकि व्यापारी लोग गैस और कारबाइड की खपत का अलग से कोई हिसाब नहीं रखते इसलिए इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ।

पोस्त की खेती

२६८५. श्री राम हरख यादव : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून जिले में जौनसर बावर क्षेत्र में पोस्त की खेती बन्द कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) यह इस सामान्य नीति के अनुसार है कि पोस्त की खेती उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रखी जायें जहां पैदावार काफी हो और उन पर कड़ा नियन्त्रण रखना अधिक आसान हो। १९४९ में ही यह निश्चय किया गया था कि कम पैदावार और चोरी के बढ़ते हुए खतरे के कारण पहाड़ों में पोस्त की खेती पर रोक लगा दी जाये।

इस नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पोस्त की खेती १-१०-१९५४ से बिल्कुल बन्द कर दी गयी थी। जौनसर बावर परगना में पहले तो १-१०-१९५६ तक पोस्त की खेती के लिए इजाजत

दी गयी थी लेकिन बाद में वह और एक साल के लिए बढ़ा दी गयी। आगे उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह पर और वहां के लोगों की आर्थिक दशा तथा इस अविकसित क्षेत्र की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और पांच साल की अवधि के लिए क्रमशः घटते हुए पैमाने पर पोस्त की खेती के लिए पुनः अनुमति दी गयी। यह अवधि समाप्त हो जाने पर १-१०-१९६३ से इस परगने में पोस्त की खेती पूरी तरह बन्द कर दी गयी है।

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में क्षयरोग आरोग्यशाला

२६८६. **श्री राम हरख यादव :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर में एक क्षय रोग आरोग्यशाला बहुत जल्द ही खोली जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) कुछ नहीं।

जम्मू तथा काश्मीर से आये विस्थापित व्यक्ति

२६८७. **श्री रा० बरुआ :** क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू तथा काश्मीर का जो भाग है वहां से आये शरणार्थियों के साथ मुआवजा और अन्य सुविधाएं देने के सम्बन्ध में वैसा ही सलूक किया जाता है जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भागों से आये शरणार्थियों के साथ किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जम्मू तथा काश्मीर के उस भाग में, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, छोड़ी हुई अपनी सम्पत्तियों के बदले में उनको मुआवजा और अन्य सुविधाएं देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). पाकिस्तान द्वारा अधिकृत जम्मू तथा काश्मीर के क्षेत्रों से आये प्रव्रजकों को वही पुनर्वास सुविधायें दी गई हैं जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्तियों के लिये उपलब्ध हैं। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत जम्मू तथा काश्मीर के क्षेत्रों में प्रव्रजकों द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्तियों के लिये मुआवजे के दावे स्वीकार नहीं किये गये थे क्योंकि ये क्षेत्र भारत के भाग हैं, और इस प्रकार निष्क्रान्त सम्पत्ति कानून उन पर लागू नहीं होता। चूंकि इन लोगों के घरबार छूट गये थे और उन्होंने भारी कष्ट उठाया था और उनकी सामान्य आर्थिक दशा खराब थी, इसलिये जनवरी १९६० में यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक शहरी परिवार को, जिसकी मासिक आय ३०० रु० हो, ३,५०० रु० का अनुग्रहात अनुदान दिया जाये और प्रत्येक उस परिवार को, जिसे भूमि देकर बसाया गया है, १,००० रु० का अनग्रहात् अनुदान दिया जाये।

जनपथ होटल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

२६८८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ होटल, दिल्ली के कर्मचारियों ने होटल के नये प्रबन्धकों द्वारा कथित शोषण के विरुद्ध १ अप्रैल, १९६४ से हड़ताल कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके कष्ट के निवारण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). होटल के नये प्रबन्धकों ने, भोजन व्यवस्था करने वाले गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा पहले जो व्यक्ति काम पर लगाये गये थे उनमें से ९० प्रतिशत को रोजगार देने की पेशकश की, परन्तु व १ अप्रैल, १९६४ को काम पर नहीं आये। कुछ नये कर्मचारी नियोजित किये गये हैं और होटल सन्तोषजनक रूप से चल रहा है।

Nature cure Treatment under C.G.H.S.

2689. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Health** be pleasd to State :

(a) whether Government propose to give the facility for nature cure treatment under the C.G.H.S.

(b) whether there are some Govt. employees who would like to be treated by nature cure; and

(c) whether Govt. would consider the question of not deducting the contributory amount from the salaries of the Employees in cases such a facility is not provided ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c). It is possible that some Govt. employees may seek treatment by nature cure though Govt. has no information. It is not possible to allow beneficiaries to choose their own treatment. The Central Government Health Scheme is applicable to all Central Govt. Servants in Delhi but it does not prevent any of them from taking treatment outside it.

होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, दिल्ली के लिये निर्वाचन

२६९०. **श्री मोहन नायक** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड दिल्ली के चुनावों को, जो हाल ही में होने हैं, स्थगित करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, दिल्ली का रजिस्ट्रार

२६९१. **श्री मोहन नायक** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, दिल्ली के पास कोई पूर्ण कालिक रजिस्ट्रार नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बोर्ड के काम में उसके कारण बाधा पड़ रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड के काम में कोई बाधा नहीं पड़ रही है क्योंकि कार्य अल्पकालिक रजिस्ट्रर द्वारा सन्तोषजनक ढंग से किया जा रहा है।

होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड

२६९२. **श्री मोहन नायक** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, दिल्ली द्वारा कितने होम्योपैथिक डाक्टर रजिस्ट्रार किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मख्यायुक्त, दिल्ली से एक शिकायत पर गौर करने के लिये कहा गया था कि अवांछनीय व्यक्तियों ने अपने आपको होम्योपैथिक डाक्टरों के रूप में पंजीकृत करवाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) २७१।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय होम्योपैथिक सलाहकार समिति

२६९३. **श्री मोहन नायक :**
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय होम्योपैथिक सलाहकार समिति में कौन कौन सदस्य हैं ;

(ख) उनमें से कितने अर्हता प्राप्त और पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक हैं ;

(ग) उनकी नियुक्ति किस तरीके से की जाती है ; और

(घ) इस समिति की शक्तियां और कृत्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) होम्योपैथिक सलाहकार समिति में निम्न सदस्य हैं :—

१. स्वास्थ्य मन्त्रालय के सचिव . . .	सभापति
२. महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली . .	सदस्य
३. डा० सी० जी० पंडित, निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली . .	सदस्य
४. वित्त मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि .	सदस्य
५. डा० जे० एन० मजूमदार, कलकत्ता . . .	सदस्य

६. डा० एम० सी० बतरा, बम्बई . .	. सदस्य
७. डा० एन० जड० नन्दुरकर, यवतमाल (महाराष्ट्र)	. सदस्य
८. डा० युद्धवीर सिंह, नई दिल्ली	. सदस्य
९. डा० एस० एन० चड्ढा इलाहाबाद . . .	. सदस्य
१०. डा० के० जी० सक्सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय में होम्योपैथी के अवैतनिक सलाहकार	. सदस्य सचिव

(ख) समिति में ६ होम्योपैथ्स हैं। वे सब के सब पंजीकृत होम्योपेथिक चिकित्सक हैं। उनकी अर्हताएं और योग्यता निम्न हैं :—

१. डा० जे० एन० मजूमदार .	एम० एस० सी०, एम० बी०, एम० एल० आर० सी०, पी०, एम० आर० सी० एस०, एफ० आर० सी० एस० और डी० एम० एस० (होम्यो) कलकत्ता।
२. डा० एम० सी० बतरा .	बी० ए० एल० एल ० बी०, डी०एम० एस० (होम्यो) कलकत्ता, पी० जी० आर० ब्रिटिश होम्यो फैकल्टी, लन्दन। प्रिंसिपल, बम्बई होम्योपेथिक मेडिकल कालिज, बम्बई।
३. डा० के० जी० सक्सेना .	बी० एम० बी० एस० (कलकत्ता), राष्ट्रपति के अवैतनिक चिकित्सक/भूतपूर्व महासचिव, अखिल भारतीय होम्योपेथी संस्था/स्वास्थ्य मन्त्रालय के अवैतनिक होम्योपेथिक सलाहकार।
४. डा० एस० एन० चड्ढा .	एच० एम० बी० (कलकत्ता) भूतपूर्व प्रिंसिपल, इलाहाबाद होम्योपेथिक मैडिकल कालेज, इलाहाबाद। भूतपूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश होम्योपेथिक संस्था।
५. डा० युद्धवीर सिंह . .	सभापति, होम्योपेथिक चिकित्सा बोर्ड, दिल्ली। अध्यक्ष अखिल भारतीय होम्योपेथिक संस्था, दिल्ली।
६. डा० एन० जेड० नन्दुरकर .	बी० ए० एल० एल० बी०। भूतपूर्व सभापति, होम्योपेथिक एण्ड बायोकेमिक चिकित्सा बोर्ड, विदर्भ। प्रिंसिपल, होम्योपेथिक एण्ड बायोकेमिक कालिज, यवतमाल।

(ग) समिति को जो काम करने पड़ते हैं उसके अतिरिक्त कोई विशिष्ट कसौटी नहीं है। होम्योपेथिक चिकित्सक, होम्योपेथी के क्षेत्र में उनका अनुभव और योग्यता को ध्यान में रख कर, समिति के सदस्य नियुक्त किये गये हैं।

(घ) होम्योपेथिक सलाहकार समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय को तृतीय पंचवर्षीय योजना में होम्योपेथिक चिकित्सा के विकास से सम्बन्धित निम्न मामलों पर सलाह देती है :—

१. देश भर में होम्योपेथी के अनुसन्धान के लिये एक समन्वित नीति बनाना;

२. ऐसे अनुसन्धान के लिये कार्यवाही करना;

३. केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत होम्योपेथी में अनुसन्धान करने वाली संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता देना ; और

४. कोई भी अन्य मामला जो इसको निर्दिष्ट किया जये।

दन्त चिकित्सकों की कमी

२६९५. **श्री यशपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में अर्हता प्राप्त दन्त चिकित्सकों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) कमी को दूर करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) वांछनीय स्तरों के डाक्टरों की कमी है।

(ख) अनुकूलतम आवश्यकता के अनुसार अर्हता प्राप्त दन्त चिकित्सकों की कमी का मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में इन्हें प्रगति के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते जिस के कारण दन्त विद्या की शिक्षा की मांग इतनी अधिक नहीं है और अब तक सुविधायें भी कम ही उपलब्ध हैं।

(ग) चौथी योजना अवधि में डेन्टल कालेजिज़, डिस्ट्रिक्ट डेन्टल क्लिनिक्स और तहसील डेन्टल क्लिनिक्स और स्कूल डेन्टल क्लिनिक्स खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

मेडिकल कालिज

२६९६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मैडिकल कालिजों को चलाने के लिये पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ;

(ग) क्या इस प्रश्न की जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति का निश्चित गठन क्या है और इस के निर्देशपद क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). मेडिकल कालिजों के लिये अपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों की कमी है। योजना के आरम्भ में अनुमान के अनुसार विशेषज्ञों की कमी २,००० थी। कालेजों की संख्या के बढ़ने के कारण तृतीय योजना की आवश्यकताओं का पुनरीक्षण करना पड़ेगा। तृतीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन के अनुसार अनुमान है कि ५,१०० अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

(ग) भारत सरकार ने मेडिकल कालिजों में अध्यापकों की कमी का अनुमान लगाने के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में शरणार्थियों के लिये नये उद्योग

२६९७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **पुनर्वास** मंत्री २ अप्रैल, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में नये उद्योगों के संबंध में प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं तथा उन की अनुमानित लागत क्या है, उस के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को नियोजित किया जायेगा तथा कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ख) क्या इस बीच राज्य सरकारों से प्रत्याशित विस्तृत योजनायें प्राप्त हो गई हैं और यदि हां, तो उन की मुख्य बातें क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ? **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८१९/६४]**

(ख) विस्तृत योजनायें राज्य सरकारों से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

नई दिल्ली नगर पालिका पर बकाया रकम

२६९८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका पर सरकार की लगभग ८७ लाख रु० की रकम बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह रकम किस कारण बकाया है ; और

(ग) क्या इस रकम की मांग इसलिये नहीं की जाती है कि नई दिल्ली नगर पालिका को भारत सरकार से सरकार द्वारा बनाई गई सम्पत्ति पर लगभग ३ करोड़ रु० की राशि गृह कर के रूप में लेनी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). भारत सरकार की कुछ रकम नई दिल्ली नगर पालिका पर बकाया है और नई दिल्ली नगर पालिका को भी भारत सरकार से कुछ लेना है । इन में से अधिकांश दावे और प्रतिदावे विवादास्पद हैं और लगभग १० वर्ष की अवधि से सम्बन्ध रखते हैं । ऐसे दावों की निश्चित धन राशि निर्धारित करने के लिये और उन को शीघ्रतापूर्वक तय करने के लिये सभी संबंधित व्यक्तियों के बीच बैठकों द्वारा इन दावों की विस्तृत जांच की जा रही है ।

सरकारी बस्तियों में लॉन और पार्क

२६९९. **श्री राम हरख यादव** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में लानों और

पार्कों के संधारण का काम सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका से अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस से जिन बस्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, उनका क्या ब्योरा है ; और

(ग) इस हस्तांतरण के क्या कारण हैं और इसका सम्बन्धित सरकारी और नगरपालिका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) सरकारी बस्तियों में लान और पार्क बनाये रखने का काम सदैव से केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग पर है लेकिन बजरी वाले रास्ते और लानों में झाड़ देने का काम, जो नई दिल्ली नगरपालिका पर था, १ अप्रैल, १९६४ से उनसे ले लिया गया है ।

(ख) निम्नलिखित बस्तियों में बजरी-मार्ग और लानों में झाड़ लगाने का काम लिया गया है :

१. लक्ष्मी बाई नगर ।

२. किदवई नगर ।

३. लोदी रोड ।

४. अली गंज ।

५. सरोजिनी नगर ।

६. नेताजी नगर ।

७. विनय मार्ग ।

८. मोती बाग—१

९. नौरोजी नगर

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पहले से ही यह काम संभाले हुए है । प्रशासनिक सुविधा और अच्छे ढंग से समन्वय के लिये उन को बजरी-मार्ग और लानों में झाड़ू लगाने का काम भी स्थानान्तरित कर दिया गया है । किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और नई दिल्ली नगरपालिका में यह काम करने वाले व्यक्तियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने यहां, जहां तक उचित हो सकता है, खपा लिया है ।

कृषि के लिये बिजली

२७००. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कृषि के लिए बिजली के संभरण के लिये यदि कोई राज-सहायता दी गयी है तो कितनी ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राज-सहायता पर कितना धन व्यय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि के लिये बिजली देने के लिये कोई राज-सहायता नहीं दी जाती । अतः पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर कोई व्यय नहीं किया गया ।

जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

भारतीय सार्थों के लिये अमरीकी ऋण

२७०१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने हाल में छः भारतीय सार्थों को कुल १.८ करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो किन सार्थों को और किन शर्तों पर ; और

(ग) इन सार्थों द्वारा इस ऋण का किस प्रकार इस्तेमाल किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें ब्योरा दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८२०/६४**]

Smuggled Goods

2702. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the value of smuggled goods seized during 1962-63 and 1963-64?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : Information in this regard is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Shops in I.N.A. Colony, New Delhi

2703. { **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Utiya :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether shops have been or are being allotted to such persons in I.N.A. colony, New Delhi who have never been residents of that locality;

(b) whether some complaints have been received by Government that some persons have made false statements regarding their residence for seeking allotment of shops there; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken against them?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). About 290 platforms, and not shops have been constructed in the I.N.A. Colony for providing alternative accommodation to the squatters of that colony who had been victims of a fire which broke out on the 27th March 1964. Only eligible shop-keepers are being allotted these platforms. An anonymous complaint addressed to the Delhi Administration was received alleging inclusion of non-entitled persons in a list reported to have been submitted by some of the shop-keepers. No action was required on this complaint because allotments will be made after verification of eligibility.

आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाएं

२७०४. **श्री लक्ष्मी दास :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश की पोचमपाद तथा श्रीसैलम परियोजना तकनीकी मंजूरी के लिये काफी समय से योजना आयोग में पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं । योजना आयोग ने श्रीसैलम परियोजना की क्रियान्विति के लिये अनुमोदन कर दिया है । पोचमपाद परियोजना का केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से पुनर्विलोकन किया जा रहा है और इस पुनर्विलोकन के पूरा होने के बाद इस को क्रियान्विति के लिये स्वीकार किया जायेगा । इस बारे में राज्य सरकार से कुछ जानकारी प्रतीक्षित है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Linking of Tapti with Narvada

2706. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state whether there is any proposal to connect river Tapti with river Narvada ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : Not at present.

सहकारी अस्पताल और क्लिनिक

२७०७. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पीट्टेकाट्ट :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहकारी अस्पतालों और क्लिनिकों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या ऐसी संस्थायें जापान में बहुत लोकप्रिय हैं ; और

(ग) इस समय देश में ऐसी कितनी संस्थायें हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

Companies in Liquidation

2708. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that liquidation proceedings regarding several companies have been pending for more than ten years;

(b) if so, the causes of such unprecedented delay; and

(c) the steps being taken to ensure that any case of liquidation does not remain pending for more than a year :

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) Yes.

(b) The delay is not unprecedented. Such delays used to occur even earlier but they have now come to notice because of centralization of administration of such cases under the Companies Act, 1956.

As regards the reasons for delay, reference is invited to the Annual Reports of the Company law Administration where the reasons have been fully explained. Briefly, delay arises for the following reasons.

(*i*) difficulties in realising the assets of the companies especially where litigation is involved;

(*ii*) lack of interest on the part of the parties concerned;

(*iii*) in cases of voluntary liquidation, there is no effective control on the liquidators.

(c) As regards voluntary liquidations the law does not permit of any action by Government except that the Registrar of Companies may, in suitable cases, apply to the court for removal of voluntary liquidators. In regard to compulsory liquidation, steps have been taken to appoint Official Liquidators in all States, provide them with the staff required, and periodically inspect their work to ensure that there is no unnecessary delay. It is unlikely, however, that all liquidation proceedings could be completed with in a year.

उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

२७०९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना में, वर्ष-वार, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा इसमें से, वर्ष-वार, वास्तव में कितना धन व्यय किया गया ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

उड़ीसा के महा-लेखापाल

२७१०. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर में उड़ीसा के महा-लेखापाल के अधीन इस समय काम कर रहे सभी श्रेणियों के व्यक्तियों की (जिसमें पुरी में उप महा-लेखापाल के कार्यालय के पदाधिकारी भी शामिल हैं) क्या संख्या है ; और

(ख) इन पदाधिकारियों में से उन कर्मचारियों की क्या संख्या है जिनको जनवरी, १९६४ के अन्त तक फैमिली क्वार्टर दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) १ अप्रैल, १९६४ को उनकी संख्या १०१७ थी इनमें पुरी और जगदलपुर में काम कर रहे कर्मचारी भी शामिल है

(ख) १ जनवरी, १९६४ तक ४२६ व्यक्तियों को फेमिली क्वार्टर दिये गये हैं।

Hydro-Electric Scheme for Ladakh

2711. Shri Onkar lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Jammu and Kashmir and the Central Government jointly propose to start a Hydro-electric scheme for Ladakh; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a). No.

(b). Does not arise.

Capitalisation of state Loans

2712. Shri Yashpal Singh :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the loans given to the State Governments for particular projects are proposed to be converted into Capital;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether the State Government have been consulted in this matter and if so, whether they have agreed to it?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a). There is a proposal that development loans to be given by the Centre to the States should be ear-marked for the construction of specific projects in the States which may be expected to yield sufficient returns to pay off the loans in due course; but no decision has been taken on the proposal.

(b) This will enable the States to repay the loans as and when they fall due.

(c) No.

परिवार नियोजन कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

२७१३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली में सरकार कितने परिवार नियोजन कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चला रही है; और

(ख) अब तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और इस बारे में कितना धन व्यय किया गया है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दो। (१) भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही परिवार नियोजन संस्था और (२) भारत सरकार की वित्तीय सहायता पर दिल्ली प्रसूति अस्पताल द्वारा चलाया जा रहा परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र।

(ख) (१) परिवार नियोजन संस्था में अब तक ८४० व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ; जुलाई, १९६२ से मार्च, १९६४ तक इस संस्था का अनुमानित व्यय १,१८,८०० रुपये है ।

(२) दिल्ली प्रसूति अस्पताल में परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र में ३७ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चके हैं और ५० व्यक्ति अब प्रशिक्षण पा रहे हैं ; दिल्ली प्रसूती अस्पताल को वर्ष १९६२–६४ में २६९३८७ रुपये का अनुदान दिया गया।

उड़ीसा में ग्रामीण जल-संभरण योजनाएं

२७१४. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष १९६४–६५ में राज्य में ग्रामीण जल-संभरण योजनाओं के लिये अतिरिक्त निधि आवंटित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जावेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) हाल में लोक-सभा में पूछे गये एक प्रश्न के बाद राज्य सरकार ने वर्ष १९६४–६५ में ग्रामीण जल-संभरण कार्यक्रम के लिये कम से कम ५० लाख रुपये अतिरिक्त आवंटन करने की प्रार्थना की है ।

(ग) राज्य सरकार की प्रार्थना विचाराधीन है ।

उड़ीसा में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण

२७१५. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६४–६५ में उड़ीसा सरकार को 'मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण' शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्रीय पुरस्कार योजनाओं के लिये कोई अनुदान अथवा ऋण मंजूर किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी धनराशि कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) अभी कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है । केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दिये जाने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान मार्गोपाय अग्रिम एक मुश्त राशि के रूप में नो समान मासिक किश्तों में मासिक आधार पर दिया जा रहा है । अन्तिम भुगतान मंजूरी राज्य सरकार से व्यय के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध होने पर ही चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जायेगी जिस में मार्गोपाय अग्रिम राशि का समायोजन किया जायेगा ।

उड़ीसा में चेचक और हैजा

२७१६. {श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नवम्बर, १९६३ में कितने व्यक्तियों को चेचक और हैजा हुआ ;

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा में उक्त रोगों के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) वर्ष १९६४-६५ में केन्द्र द्वारा उड़ीसा को राज्य में चेचक और हैजे के उन्मूलन के लिये कितनी राशि दी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) नवम्बर, १९६३ में उड़ीसा में चेचक और हैजे के रोगियों और मरने वालों की संख्या निम्न प्रकार है :

रोग	नवम्बर, १९६३ में रोगी और मृतक	
	रोगी	मृत्यु
चेचक	४५	२०
हैजा	२६०३	८११

(ग) **चेचक** : राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता के तरीके के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आवर्ती व्यय का ७५ प्रतिशत और अनावर्ती व्यय का १०० प्रतिशत दिया जाता है ।

उड़ीसा सरकार ने बताया है कि वर्ष १९६४–६५ के लिये केन्द्रीय सहायता केवल ५.८१ लाख रुपये होगी जिससे पता लगता है कि उन्होंने वर्ष १९६४–६५ के लिये आयव्ययक प्राक्कलनों में ७.७५ लाख रुपये का उपबन्ध किया है ।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निधि का आवंटन योजना-वार नहीं होता लेकिन हर वर्ष के अन्त में योजना के प्रमुख दलों के लिये सहाय्य-अनुदान मंजूर किया जाता है । तथापि, किसी वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई वर्ष के दौरान नौ समान किश्तों में राज्य सरकार को मार्गोपाय अग्रिम राशि के रूप में एकमुश्त दिया जाता है । वर्ष १९६४–६५ में बिभन्न राज्यो को चेचक के उन्मूलन समेत केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाओं के बारे में आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

उपरोक्त सहाय-अनुदान के अतिरिक्त राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस्तेमाल किये जाने के लिये रूस सरकार से प्राप्त चेचक के टीके के लिये जमाशी हुई सूखी दवा उड़ीसा सरकार को मुफ्त दी जायेगी ।

हैजा : तीसरी पंचवर्षीय योजना में हैजा के नियंत्रण अथवा उन्मूलन के लिये कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है ।

पी० एल० ४८० प्रतिरूप निधियां

२७१७. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी प्रशासन सम्मत परियोजनाओं के लिये पेशगी के आधार पर पी०एल० ४८० प्रतिरूप निधियों से रुपया देने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जी, हां । पी० एल० ४८० करारों के अधीन अमरीकी सरकार को देय रुपयों का एक बड़ा भाग भारत सरकार को ऋण और अनुदानों के लिये निर्धारित कर दिया गया है जिनसे कि आर्थिक विकास की ऐसी परियोजनायें वित्तपोषित की जायेंगी जिनके लिये कि दोनों सरकारें परस्पर सहमत हो जायें । ३१ मार्च, १९६४ तक पहले सम्मत परियोजनाओं पर रुपया व्यय कर दिया जाता था और बाद में अमेरिका के भारत सहायता विभाग से उसकी प्रतिपूर्ति की मांग की जाती थी । पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन जो कि १९६४–६५ से लागू की गई है, समय समय पर किन्हीं परियोजना विशेषों पर व्यय करने के लिये जितने रुपये के बारे में दोनों देश सहमत होंगे वह रुपया उन परियोजनाओं के करारों पर हस्ताक्षर किये जाने पर भारत सरकार को पेशगी के आधार पर दे दिया जायेगा और बाद में होने वाले व्यय से उसका समायोजन कर दिया जायेगा ।

उड़ीसा में कुष्ठरोग अग्रिम परियोजनायें

२७१९. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुष्ठरोग अग्रिम परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के क्वार्टरों और औषधालयों के भवनों की व्यवस्था करने के लिये १९६३–६४ के दौरान कुल कितना रुपया व्यय करने का प्रस्ताव था ; और

(ख) कितना रुपया व्यय किया जा चुका है और १९६४–६५ के दौरान कितना रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) शून्य । उड़ीसा में कुष्ठरोग अग्रिम परियोजनाओं के लिये किराये पर इमारतें ली हुई हैं ।

(ख) कार्यकारी दल ने, जिसने कि १९६४–६५ को उड़ीसा की वार्षिक परियोजना पर विचार किया था, यह सिफारिश की थी कि उस वर्ष के दौरान उड़ीसा के राष्ट्रीय कुष्ठरोगों नियंत्रण कार्यक्रम के लिये ४ लाख २० हजार रुपये की व्यवस्था की जाये । अब तक वास्तव में कितना रुपया व्यय किया जा चुका है अथवा चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कितना रुपया व्यय किया जायेगा इस सम्बन्ध में कोई जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

वेतन बचत योजना[1]

[२७२०. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र की उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने संस्थानों में वेतन बचत योजना लागू कर दी है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८२१।६४**]

दामोदर घाटी निगम

२७२१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के बांध और सिंचाई व्यवस्था के पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तांतरित किये जाने के पश्चात दामोदर घाटी निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार को कितने इंजीनियर और प्रविधिज्ञ उधार दिये हैं ; और

(ख) उस सरकार को इस व्यवस्था के हस्तांतरण की अन्तिम शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दामोदर घाटी निगम के किसी इंजीनियरी अथवा प्रविधिज्ञ की सेवायें पश्चिम बंगाल सरकार को उधार नहीं दी गई हैं । तथापि पश्चिमी बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम के ७ सहायक इंजीनियरों और २३ ओवरसियरों को नियुक्ति पत्र जारी किये हैं । और चयन तथा नियुक्तियां की जा रही हैं ।

(ख) १. दामोदर घाटी निगम का बांध और सिंचाई व्यवस्था १ अप्रैल, १९६४ से पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तांतरित की गई है और इसका एजेन्सी के आधार पर प्रबन्ध किया जायेगा, अर्थात्, पहले तो व्यय दामोदर घाटी निगम द्वारा वहन किया जायेगा परन्तु अन्ततः वह दामोदर घाटी निगम अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार के खाते में डाल दिया जायेगा ।

२. परियोजना के पंजीगत निर्माण कार्य जिसमें तीसरी योजना की विस्तार तथा सुधार योजनायें और जल मार्ग योजनायें सम्मिलित हैं अब दामोदर घाटी निगम की ओर से राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किये जायेंगे ।

३ राज्य सरकार ने अभी तक नौवहन नहर के प्रबन्ध को अपने हाथ में नहीं लिया है क्योंकि वे उसके परिणामों आदि की जांच कर रहे हैं ।

पत्थर कोयले की राख[2]

२७२२. **श्री सुब्बरामन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्थर कोयले की राख को मकानों के निर्माण के कार्य में उपयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो कहां पर और किस प्रकार इसका उपयोग किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां ।

---

[1] Pay Roll Savings Scheme.

[2] Coal ash.

(ख) अधजले कोयले के रूप में पत्थर कोयले की राख का चितरंजन के रेलवे इंजन बनाने के कारखाने (पश्चिम बंगाल) की इमारतों के निर्माण में उपयोग किया गया है। फ्लाई-ऐश के रूप में पत्थर कोयले की राख कारेंड बांध (उत्तर प्रदेश) के निर्माण में ज्वालामुखी-सीमेन्ट सामग्री के रूप में उपयोग किया गया था।

उड़ीसा में ग्राम्य विद्युतीकरण

२७२३. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा राज्य में ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये उड़ीसा सरकार को अब तक यदि कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है तो वह कितने रुपये की है;

(ख) तृतीय योजना काल के दौरान उड़ीसा में इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) कृषि में विद्युत के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और इस अवधि में इस प्रयोजन के लिये विद्युत् सम्भरण के हेतु अर्थ-सहायता देने के लिये क्या उड़ीसा को कोई विशेष अधिमान दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ३० लाख रुपये।

(ख) ततीय योजना में ३१ जनवरी, १९६४ तक १५२ गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Cultivation of opium in Kotah

2724. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that opium is cultivated in abundance at various places in Kotah in Rajasthan and it brings in a good deal of foreign exchange to our country;

(b) if so, the assistance Government propose to offer to increase the production of opium;

(c: whether Government have received any demand for raising the price of opium; and

(d) if so, the reaction of Government there to ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Cultivation of the opium poppy is allowed in certain limited areas of the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan including the Kotah region which are traditional poppy growing regions and where effective preventive control over smuggling of opium could be exercised. Export of opium produced from all these areas brings in a certain amount of foreign exchange.

(b) With a view to assisting the cultivators in increasing the production of opium, there is a system of payment of price to opium cultivators on a sliding scale depending on the average yield tendered by them. Apart from this, cash prizes are being given to them for tendering specially high yields. A system of mixed cultivation of opium and sugarcane has also been encouraged in order to maximise the farmers' return. Further, a system is being considered under which a research programme would be undertaken by setting up a few farms in the opium producing areas in collaboration with the Indian Council of Agricultural Research. These can then serve also as demonstration farms.

(c) Some representations from the poppy cultivators have been received for raising the price of opium.

(d) The price payable to the poppy cultivators is fixed every year after taking into account all relevant factors, such as prices of other comparable crops in the area, competitive export prices of opium, general level of prices, etc. Due to increasing intensity of competition which Indian opium is facing in markets abroad, our own export prices have had to be substantially reduced.

As the price paid to the cultivators is the principal ingredient in the cost of production and therefore in determining export prices, the question of any further increase in the price paid is at present out of the question.

Customs Post on Indo-Nepal Border

2725. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a customs post at Raxaul, District Champaran, Bihar on Indo-Nepal border; and

(b) if so, whether it is a fact that the rates of customs duty to be charged on various articles are not displayed outside the post?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) & (b). Yes; Sir, there is a check-post at Raxaul. It has been set up to facilitate the checking and certification of the goods going into Nepal and goods going from one part of Nepal to another *via* India and is not meant for collection of import duty.

Central Homoeopathic Research Institute, New Delhi

2726. Shrimati Johar Ben Chavda : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether she had declared while inaugurating Bombay Homoeopathic College in 1962 that a Central Homoeopathic Research Institute would be set up by Government in New Delhi at an early date; and

(b) if so, the steps taken by Government to implement the said scheme and the time by which it would be implemented?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) The scheme is being examined. It is hoped to start the Institute during the current Plan period.

अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा कर-अपवंचन का अध्ययन

२७२७. श्री अल्वारेस :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गैर-वैतनिक वर्ग के लोगों द्वारा बहुत भारी मात्रा में कर-अपवंचन किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अमरीकी कर विशेषज्ञों का प्रतिवेदन अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Span of Pay-Scales

2728. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2342 on the 25th April, 1963 and state :

(a) the number of posts in the Central Government offices whose pay-scales cover a period of 24 years or more; and

(b) whether the basis on which the period covered by pay-scales of Assistants and Stenographers has been reduced from 24 to 22 years is applicable to the posts mentioned in part (a) above?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

योजना मंत्री का विदेशों में दौरा

२७२९. श्री रामपुरे :
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे इंगलैंड, फ्रांस, हालैंड और जर्मनी गये थे तथा वहां पर योजना और विकास की प्रविधियों के सम्बन्ध मे प्राधिकारियों के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). जी, हां । जेनेवा में हुए व्यापार और विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के पश्चात वह इन देशों में गये थे । बातचीत केवल विचार विनिमय और अनुभव के आदान-प्रदान के रूप में की गई थी और तुरन्त ही उनसे कोई परिणाम निकलने की सम्भावना नहीं है ।

विलिंगडन अस्पताल

२७३०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन बच्चों को जिनके नेत्रों में रोहों का रोग बढ़ता जा रहा था इस बात के लिये पांच महीने से अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी कि विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली उनकी आंखों का आपरेशन करने के लिए बोमैन की सुइयां मंगाये और वे रोगी अन्य अस्पतालों में जहां कि ये सुइयां उपलब्ध थीं इसलिये नहीं गये क्योंकि उनसे यह कहा गया था कि सुइयां मंगाने के लिये व्यवस्था की जायेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुथरी सुइयों से इन बच्चों की आंखों का आपरेशन करने के प्रयत्न किये गये थे परन्तु वे आंख की पुतली के परदे को बेंधने में असफल रहे; और

(ग) यदि हां, तो इस हालत को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) यह बात सच नहीं है। एक मामला ऐसा हुआ था जिसमें अस्पताल के प्राधिकारियों ने ऐसी संस्था में आपरेशन की व्यवस्था कराने का प्रस्ताव किया था जहां कि इस प्रकार की सुई उपलब्ध थी।

(ख) एक मरीज, जिसने कि इस बात पर जोर दिया था कि उसकी आंखों का आपरेशन विलिंगडन अस्पताल में ही किया जाय, की आंखों का आपरेशन उपलब्ध सर्वोत्तम सुई से किया गया था।

(ग) जिन मरीजों के लिये आपरेशन आवश्यक होता है उन्हें उन अस्पतालों में जाने की सलाह दी जाती है जहां कि ये सुइयां उपलब्ध हैं। विदेशों से सुइयों को मंगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सरकारी ऋण

२७३१. { श्री मी० रु० मसानी :
श्री कपूर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में (१) जीवन बीमा निगम (२) भारत का रक्षित बैंक (३) वाणिज्यिक बैंकों (४) कर्मचारी भविष्य निधि (५) सरकारी न्यासों (६) संयुक्त स्कन्ध समवायों और (७) निजी संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों और उधारों में केन्द्रीय सरकार का कितने प्रतिशत योग है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सरकार द्वारा मार्केट ऋणों में दिये गये रुपयों के ब्यौरों को सर्वदा गुप्त माना जाता है और उन्हें प्रगट नहीं किया जाता।

राजस्थान में ग्राम्य जल सम्भरण

२७३२. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने इस आरोप का खण्डन किया है कि राजस्थान सरकार ने ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं के लिये निर्धारित धनराशियों के एक अंश का भी इस कार्य के ऊपर व्यय नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में राजस्थान में ग्राम्य जल सम्भरण के विकास के लिये कुल कितना रुपया निर्धारित किया गया था;

(ग) अब तक कुल कितना रुपया व्यय किया गया है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने संघ सरकार से यह प्रार्थना की है कि ८३ लाख रुपये में कटौती करके जो उसे २० लाख रुपये कर दिया गया है उस कटौती को समाप्त कर दिया जाये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना की ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं के लिये राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम्य) के अधीन २ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(ग) यह बताया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं के ऊपर १ करोड़ ९ लाख १७ हजार रुपये व्यय किये गये हैं । हमारे पी० एच० ई० सैक्शन की जानकारी के अनुसार, इसमें से ३९ लाख रुपये की लागत वाली २८ योजनायें अभी तक मंजूर की गई हैं । राजस्थान के प्रभारी मंत्री से हाल ही में प्राप्त हुए पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम में सम्मिलित योजनाओं पर उन्हें ८३ लाख रुपये व्यय किये हैं ।

(घ) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकारी दल ने इस प्रयोजन के लिये १ करोड़ रुपये का उपबन्ध करने की सिफारिश की थी, जिसे कि बाद में कम करके ८३ लाख रुपये कर दिया गया था । परन्तु अन्ततः राज्य सरकार ने अपनी तृतीय योजना में केवल २० लाख रुपये की ही व्यवस्था की है ।

रायपुर अस्पताल में शरणार्थियों की मृत्यु

२७३३. श्री भू० ना० मण्डल :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये तेरह शरणार्थी रायपुर आइसोलेशन अस्पताल में तीन दिन के अन्दर ही मर गये थे;

(ख) यदि हां, तो वे किस रोग से पीड़ित थे; और

(ग) क्या वहां पर कोई भयानक संक्रामक रोग फैल गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) रायपुर आइसोलेशन अस्पताल में २८ मार्च से लेकर ६ अप्रैल तक के १० दिनों में १९ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए थे।

(ख) शरीर की ऊष्मा समाप्ति, खुश्की, कुपोषण और शक्ति की कमी के कारण बढ़ा हुआ जठर-आंत्र शोथ।

(ग) जी, नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि

२७३४. **श्री तन सिंह** : क्या वित्त मंत्री १६ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि से लिए गये ११९ करोड़ ५ लाख रुपये में से अभी तक भी कितना रुपया वापस दिया जाना है और कितनी किश्तों में;

(ख) अवशिष्ट धनराशि पर कितनी दर पर ब्याज दिया जाना है

(ग) राज्य सरकार ने अन्य किसी संस्था के साथ कोई अतिरिक्त सहायक करार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या शर्तें हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अभी तक भी १०७ करोड़ १४ लाख रुपया वापस देना बाकी है। किश्तों की संख्या वह होगी जो कि मुद्रा-निधि और भारत के बीच परस्पर तय हो जाये, बशर्ते कि यह सारी धनराशि ३१ जुलाई, १९६६ तक वापस कर दी जाये।

(ख) सूद की दर ३१ जुलाई, १९६४ तक ३¼ प्रतिशत; १ अगस्त, १९६४ से ३१ जनवरी, १९६५ तक ४ प्रतिशत; १ फरवरी, १९६५ से ३१ जुलाई, १९६५ तक ४¼ प्रतिशत; और उसके पश्चात अन्तिम भुगतान के समय तक ५ प्रतिशत होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

२७३५. **श्री ज० ब० सिं० सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होम्योपैथी जांच समिति, योजना आयोग तथा दवे समिति सभी ने एक केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की स्थापना की सिफारिश की थी;

(ख) क्या निकट भविष्य में उक्त कथित परिषद् के गठित किये जाने की कोई सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समस्त देश में होम्योपैथी की शिक्षा के समान स्तर के चालू कर दिये जाने और सभी राज्यों द्वारा परिनियत निकायों की स्थापना किये जाने के पश्चात् एक केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को गठित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

बांधों का निर्माण

२७३७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से लेकर अब तक कुल कितने बांध बनाये गये हैं और उनमें से प्रत्येक किस किस स्थान पर है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ में दरार पड़ना या रिसना जैसी खराबियां आ गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितनों में तथा प्रत्येक में क्या क्या खराबी आई है ;

(घ) कितने बांध पूरे हो गये हैं और अभी तक चालू नहीं हुए हैं ; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० ..व) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डाक-तार कर्मचारियों के क्वार्टर

२७३८. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नम्बियार :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के डाक-तार कर्मचारियों को क्वार्टर देने के कार्य को अपने हाथ में लेने तथा उन्हें राज सम्पदा निदेशालय के द्वारा नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Drains in Kotah, Rajasthan

2739. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a survey to construct gutter type drains in Kotah (Rajasthan) has been completed :

(b) If so, when the work would be started ; and

(c) The amount of expenditure to be incurred by the State and Central Government thereon respectively ?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c). Information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha when received:

Cases Pending with Settlement Commissioner

2740. Shrimati Johraben Chavda : Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state the number of cases pending in the offices of the Settlement and Chief Settlement Commissioners in New Delhi for the last two years ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : The type of cases for which information is required has not been indicated in the Question. It is, however presumed that information is required in respect of (i) Compensation and Rehabilitation Grant cases, (ii) cases regarding verification or reopening etc. of Claims of immovable properties left by Displaced Persons in West Pakistan and (iii) Appeals & Judicial cases, pending in the offices of the Regional Settlement Commissioner and Chief Settlement Commissioner, New Delhi for the last two years. The information in regard to the above types of cases which are pending for more than 2 years is given below :—

(a) *Cases pending in the Office of the Chief Settlement Commissioner, New Delhi.*

(i) Claims cases	Nil
(ii) Judicial & Appeal cases	4

(b) *Cases pending in the Office of the Regional Settlement Commissioner, New Delhi*

(i) Fresh Compensation & Rehabilitation Grant cases .	1064
(ii) Interim or partly paid Compensation cases	923
(iii) Compensation cases to be re-processed/re-opened as a result of judicial orders	1869
(iv) Cases of non-Punjabi land claimants in which allotment of land/payment of compensation in the shape of cash/ adjustment are still to be made	1374
(v) Judicial Cases and Appeals .	5

भारत में निष्क्रान्त-मकान

२७४१. **श्री कु० शिवप्रधासन** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुसलमानों द्वारा छोड़े गये निष्क्रान्त मकानों की संख्या भारत के प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कितनी है ;

(ख) अब तक कितने मकानों की नीलामी कर दी गई है अथवा वे शरणार्थियों को बेच दिये गये हैं ; और

(ग) उन मकानों की संख्या कितनी है जिनके विक्रय विलेख अब तक खरीदारों को दिये जा चुके हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । प्रदेश-वार

आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	सम्पत्तियां
दिल्ली	१४,५९३
बम्बई (महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, केरल, आंध्र प्रदेश तथा मद्रास को मिलाकर)	१८,५८५
पंजाब (हिमाचल प्रदेश को मिलाकर)	१,९८,१५४
राजस्थान	१५,४५७
उत्तर प्रदेश	५२,०७४
मध्य प्रदेश	४,३९३
बिहार (उड़ीसा को मिलाकर)	३,५८८
कुल योग	३,०६,८४४

(ख) २,९८,८७२ मकान विस्थापित व्यक्तियों को बेच दिये गये हैं अथवा रहने के लिए दे दिये गये हैं। २,६५,७३२ मकानों के मामले में नकद रुपये के रूप में अथवा प्रतिकर क्लेम्स के रूप में पूरी कीमत प्राप्त हो चुकी है।

(ग) २,३३,७५०।

D. Ps. Evicted from Purana Qila

2742. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that bricks, iron sheets and doors have not yet been supplied to the Displaced Persons evicted from the Purana Qila inspite of the fact that price of these articles has been realised from them ; and

(b) If so, how long it will take to supply these articles to them ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). In all, 141 persons evicted from the Purana Qila had applied for building mateirals. Materials have already been supplied to 124 persons and are being supplied to the rest.

होम्योपैथी

२७४३. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सहायता देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो १९६४-६५ के लिए उनकी योजना अथवा कार्यक्रम के क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) भारत सरकार, स्वदेशी तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए अपनी योजना के एक अंग के रूप में, होम्योपैथिक संस्थाओं को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के लिए और/अथवा उनके स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा होम्योपैथी में अनुसन्धान करने के लिए निम्नलिखित प्रतिरूप के अनुसार सहायता दे रही है :—

(१) कालेजों की स्थापना और/अथवा उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए	अनावर्ती ७५ प्रतिशत आवर्ती ५० प्रतिशत
(२) अनुसन्धान	१०० प्रतिशत

१९६४—६६ के दौरान भारत सरकार इस प्रकार की सहायता देती रहेगी। इन योजनाओं पर होने वाला व्यय प्रत्येक योजना के गुण-दोषों तथा होम्योपैथिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार होगा।

दूध से मिठाइयों का निर्माण

२७४४. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए दूध से मिठाइयों के निर्माण पर सरकार का प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसकी व्यावहारिकता क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स बंगाल एनैमल, कलकत्ता के लिये विदेशी मुद्रा

२७४५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बंगाल एनैमल, कलकत्ता को १९६२-६३ और १९६३-६४ में कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ;

(ख) क्या इस फर्म के विरुद्ध विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघनों के आरोप हैं ;

(ग) क्या उन आरोपों की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आर्थिक समन्वय सम्बन्धी विशेष विभाग

२७४५-क. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन आर्थिक समन्वय सम्बन्धी विशेष विभाग अभी तक कार्य कर रहा है अथवा समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) विशेष विभाग द्वारा किये जाने वाला कार्य का संचलान किस प्रकार होता है और यह किसके नियंत्रणाधीन है ;

(ग) यदि इसको समाप्त कर दिया गया है, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) १६ जून, १९६२ को स्थापित किया गया आर्थिक समन्वय सम्बन्धी विशेष विभाग राष्ट्रपति के द्वारा जारी किये गये दिनांक १४ और १५ नवम्बर, १९६२ के आदेशों के परिणामस्वरूप, जिनके अनुसार इस विभाग के कार्य आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय के नये मंत्रालय को सौंप दिये गये हैं, समाप्त कर दिया गया है।

(ख) राष्ट्रपति के दिनांक १ और ११ सितम्बर, १९६३ के आदेशों के अधीन आर्थिक प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर वित्त मंत्रालय के अधीन समन्वय विभाग की स्थापना की गई। इस नये विभाग को सौंपे गये विषयों में से एक विषय यह है कि यह विभाग आर्थिक कार्य सम्बन्धी विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों के बारे में समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। वित्त मंत्रालय के अधीन इस विभाग द्वारा किये गये कार्य का पूरा ब्यौरा वित्त मंत्रालय की वर्ष १९६३–६४ की वार्षिक रिपोर्ट में, जो कि सदस्यों को परिचालित की गई है, दिया गया है।

(ग) राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित आदेश इस दृष्टि से किये गये हैं कि सरकार का कार्य-सम्पादन और अधिक सुविधाजनक ढंग से हो सके।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

Re : CALLING ATTENTION NOTICE—*(Query)*

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, when we seek your protection, we do it on behalf of the 44 crores of people whom we represent. The honour of those people is in danger today, because Shri Dinesh Singh and the Secretary of Foreign Affairs Ministry went to receive Sheikh Abdullah. They never went to receive even the Sadr-i-Riyasat....

Mr. Speaker : The hon. Member cannot stand up like this and raise such a question. This has been repeatedly told here.

Shri Kachhavaiya (Dewas) : We have to ask because our Calling Attention Notice has not been admitted.

Mr. Speaker : You can give notice of a Short Notice Question.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवानिवृत्ति-लाभ) संशोधन नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ४ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५२६ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८०९/६४]

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें और अधिसूचना का शुद्धि-पत्र

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(१) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६१४ ।
(दो) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६१५ ।
(तीन) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६१६ ।
(चार) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६१७ ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० २८१०/६४]

(२) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६१८ ।
(दो) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६१९ ।
(तीन) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६२० ।
(चार) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६२१ ।
(पांच) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६२२ ।
(छै) दिनांक १८ अप्रैल, १९६४ की जी० एस० आर० ६२३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० २८११/६४]

(३) आय कर अधिनियम, १९६१ की धारा २९६ के अन्तर्गत दिनांक १५ अप्रैल, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३७७ की एक प्रति, जिसमें दिनांक ६ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५११ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८१२/६४]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश और विवरण

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के सामने दिये गये साक्ष्य के कार्यवाही-सारांश और (एक) सरकारी उपक्रमों—बड़े-बड़े नगरो में किराये पर लिया गया स्थान और अतिथि गृहों तथा उनके द्वारा रखी गई स्टाफ कारों, आदि (दो) भारी इंजीनियरिंग निगम और (तीन) उपक्रमों की कर्मचारी सम्बन्धी नीतियों के बारे में प्राक्कलन समिति की पच्चीसवीं, पचासवीं, इक्यावनवीं और बावनवीं प्रतिवेदन सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश

(२) निम्नलिखित प्रतिवेदनों के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश :—

(एक) रेलवे मंत्रालय—पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के बारे में तैंतालीसवां प्रतिवेदन ।

(दो) रेलवे मंत्रालय—चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में चवालीसवां प्रतिवेदन ।

(तीन) रेलवे मंत्रालय—इन्टगरल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर के बारे में पैंतालीसवां प्रतिवेदन ।

(चार) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के बारे में अड़तालीसवां प्रतिवेदन ।

(पांच) वित्त मंत्रालय—राजस्व विभाग तथा कम्पनी विधि (कंपनीज़ विधि विभाग)के बारे में तिरेपनवां प्रतिवेदन ।

(छः) योजना आयोग—ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम और प्रक्रिया संबंधी तथा विविध विषयों के बारे में पचपनवां प्रतिवेदन ।

(३) प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उत्तर बताने वाले निम्नलिखित विवरण, जो संबंधित प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गए थे :—

(एक) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(दो) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोकसभा) के एकसौ तैंतालीसवें प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(तीन) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के अड़तीसवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(चार) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सैंतीसवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(पांच) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के चालीसवें प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा अपनी २१ अप्रैल, १९६४ की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि १ मई, १९६४ से आरम्भ हो कर ३० अप्रैल, १९६५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक-सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्यों को मनोनीत किया जाये और उसने समिति के लिये निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भेजे हैं :—

(१) श्री एम० पी० भार्गव :

(२) श्री चन्द्र शेखर

(३) श्री एस० सी० देव

(४) श्री आर० एस० पंजहज़ारी

(५) श्री राम सहाय

(६) श्री एस० एस० एन० तंखा

(७) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा १८ अप्रैल, १९६४ को पारित किये गये विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड़) : श्री आर० के० खाडिलक ने असैनिक लेखे के बारे में लोक लेखा समिति के तीसरे, सातवें, आठवें, नवें, दसवें और बारहवें प्रतिवेदनों तथा प्रतिरक्षा सेवा लेखे के बारे में उसके चौथे और ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई लोक लेखा समिति की शेष सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्य-वाही के बारे में लोक लेखा समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

सत्तावनवां, अट्ठावनवां, इकसठवां और बासठवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(१) भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के १६७वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सत्तावनवां प्रतिवेदन ।

(२) भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड तथा भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के १६१वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अट्ठावनवां प्रतिवेदन ।

(३) भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—वस्त्र आयुक्त का कार्यालय—भग पांच—सूती वस्त्र के निर्यात संवर्धन के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के १६६वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इकसठवां प्रतिवेदन ।

(४) भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—वस्त्र आयुक्त का कार्यालय—भाग तीन—ऊन उद्योग के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के १६४वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बासठवां प्रतिवेदन ।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

दूसरा प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुनझनू) : मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन से, जो २९ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से, जो २९ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा विधेयक

DAKSHINA BHARAT HINDI PRACHAR SABHA BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा २९ अप्रैल, १९६४ को श्री मु० क० चागला द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी , अर्थात् :—

"कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा नामक संस्था को, जिस का रजिस्टर्ड कार्यालय इस समय मद्रास में है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और तत्सम्बन्धी कुछ विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाय।"

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : यह विधेयक दक्षिण में हिन्दी भाषा का प्रचार करने वाले लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। श्री वारियर और श्री अल्वारेस ने कहा कि एक स्वैच्छिक संस्था पर सरकार द्वारा नियंत्रण रखने का प्रयास अनुचित है। परन्तु मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार का अभिप्राय इस महान् संस्था के प्रबन्ध पर नियंत्रण रखने का नहीं है। इस सभा का कार्य निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा ही होता रहेगा। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि यह संस्था राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से काम करती रहे। इसलिए कम से कम विनियमन उपबंध इस विधेयक में रखे गये हैं। यह विधेयक स्वयं सभा द्वारा मांग करने पर लाया गया है इसलिए यह शिकायत करना कि हम सभा पर कुछ लाद रहे हैं, सारहीन है।

कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस संस्था को विश्वविद्यालय का रूप दिया जाना चाहिये। यह संस्था विश्वविद्यालय के समान ही परीक्षायें लेती है और प्रवेशिका, विशारद और प्रवीण के सर्टिफिकेट देती है परन्तु चूंकि इस संस्था को हिन्दी का प्रचार भी करना होता है इसलिये यह उचित नहीं समझा गया कि इसे विश्वविद्यालय का रूप दे कर इस का कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया जाय।

मैं इस सुझाव के साथ सहमत हूं कि यह संस्था हिन्दी के अतिरिक्त अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये भी काम करे। इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय ठोस कदम उठा रहा है।

श्री मुत्तू गौंडर (तिरुपत्तूर) : क्या अन्य १४ राष्ट्रीय भाषाओं में से किसी एक के प्रचार के लिए कोई संस्था बनाई गयी है ?

श्री भक्त दर्शन : हम सभी ऐसी संस्थाओं की सहायता कर रहे हैं। पहले मंत्रालय के दो भाग थे : एक हिन्दी प्रचार के लिये और दूसरा अन्य भारतीय भाषाओं के

[श्री भक्त दर्शन]

प्रचार के लिये थे। अब दोनों को मिला कर भाषा डिवीजन बना दिया गया है। मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार सभी भाषाओं के विकास एवं प्रचार के लिये प्रभावकारी कार्यवाहियां करती रहेगी।

द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम दल के सदस्यों ने विधेयक के विरोध में जो तर्क दिये हैं उनका उत्तर दे कर मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यह मानी हुई बात है कि यह दल देश की एकता में विश्वास नहीं रखता।

श्री राजाराम : माननीय उपमंत्री ने गलत कहा है।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : हम उपमंत्री से कम राष्ट्रवादी नहीं हैं, परन्तु हम उनकी देशभक्ति की विशेष परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस प्रकार के विधान को पारित कर के वह दक्षिण में एक अन्य काश्मीर बनाने के लिये हमें बाध्य कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उस के अनुसार इस दल के लोग हिन्दी का खुले तौर पर मद्रास राज्य में विरोध कर रहे हैं और इस के बावजूद वह सभा की हिन्दी कक्षाओं में भी जाते हैं . **(अन्तर्बाधायें)**

श्री कन्डप्पन : मैं इस आरोप का घोर विरोध करता हूं।

Shri Bhakt Darshan : Now I will say a few words in Hindi. By accepting this Bill, the House is giving recognition to the remarkable contribution made by this Institution for the popularisation of Hindi in South. It will provide an opportunity for North and South to come a little more closer to each other.

A number of hon. Members have complained that the Central Government have not acted earnestly in popularising Hindi, In this connection, I have to say that, within its own limitations, and with the co-opearation of the State Governments, this Ministry have been putting and will always be putting best possible efforts to popularise Hindi. We have been giving a adequate financial assistance to the South India Hindi Prachar Sabha and to other voluntary organisations. During the current year a provision of Rs. Six lakhs has been made in this connection. We will be giving more assistance to such institutions. We have accepted the suggestion given by Shri Menon that the salaries of the teaching staff engaged in teaching and popularising Hindi should be given by the Centre alone and instructions to this effect have been issued. We are also increasing the number of scholarships from 220 to one thousand.

Shri Prakash Vir Shastri has suggested that a Hindi University should be established in the South. If any State Government comes forward with such a proposal, we will consider the same sympathetically. For the time being our policy is the establishment of colleges and Schools should be encouraged and there after the question of establishment of a University shall be considered.

श्री कन्डाप्पन : परन्तु हमारी घोषित नीति तो यह है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा हो ।

श्री भक्त दर्शन : जी नहीं । उच्चत्तम स्तर तक प्रादेशिक भाषायें ही शिक्षा का माध्यम होंगी परन्तु जब हिन्दी माध्यम वाले कालेज एडमिट किये जायेंगे तो वहां शिक्षा प्राप्त करना छात्रों की इच्छा पर निर्भर होगा ।

We are distributing books worth Rs. 2 lakhs or so free of cost in the non-Hindi speaking areas and in future we intend to increase the number of such books. The South India Hindi Prachar Sabha is itself preparing a dictionary of corelated terms of the various regional languages. There is no difference of opinion regarding publishing other books in Devanagri Script. But I feel much has yet to be done in this direction.

Although we are taking all possible steps for popularising and teaching of Hindi, I have to make one appeal to the Hindi speaking people. They should work with patience and restraint. We must keep in mind the fact that Hindi is only a means and not an end by itself. The more important object before us is the unity of the nation which it should not hinder.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा नामक संस्था को, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय इस समय मद्रास में है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और तत्संबंधी कुछ विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ५ तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड २ से ५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

खंड ६ (सभा द्वारा कोई कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक)

श्री बासप्पा (तिपतुर) : मैं इस खंड का स्वागत करता हूं । इस संस्था को महात्मा गांधी से प्रेरणा मिली थी और यह ४५ वर्ष से काम कर रही है । लगभग ७० लाख लोग इस संस्था में शिक्षा पा चुके हैं । इस संस्था का गठन भी प्रशंसनीय है । सारे दक्षिण भारत में इस की शाखायें हैं। अब इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जा रहा है। यह कहना सर्वथा सारहीन है कि इस संस्था पर सरकार की ओर से कुछ लादा जा रहा रहा है । सरकार आश्वासन दिया है कि वह इस के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी । मुझे आशा है कि इस संस्था को सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जायेगी । यदि हम चाहते हैं कि हिन्दी को देश के समी भागों के लोग अपनायें तो हमें देश की मिश्रित संस्कृति पर ध्यान दना होगा । यदि इसमें देश के सभी महत्वपूर्ण भाषाओं के शब्द लिये जायेंगे तो लोग हिन्दी को आसानी से अपनायेंगे ।

इस प्रकार इसे राज भाषा बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। फिर भी मेरा अनुरोध है कि देश में हिन्दी लाने के लिये अधीरता से काम नहीं लेना चाहिये जिससे लोग यह समझें कि हिन्दी उन पर जबरदस्ती लादी जा रही है।

श्री मुत्तू गौंडर (तिरुपत्तूर) : हमें हिन्दी अथवा अन्य भाषा के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। हम हिन्दी को भी उतना ही चाहते हैं जितना कि अन्य भाषाओं को। मतभेद केवल हिन्दी को राज भाषा बनाने के बारे में है। हिन्दी समर्थकों को उदारता और सहनशीलता से काम लेना चाहिये। यह आरोप गलत है कि हम हिन्दी भाषा का विरोध करते हैं और अंग्रेजी भाषा को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी हिन्दी के साथ तब तक सम्पर्क भाषा के रूप में बनाये रखी जाये जब तक कि हम इस बारे में किसी निष्कर्ष पर न पहुंच जायें कि हमें किस भाषा को राज भाषा बनाना है। अंग्रेजी के सम्बन्ध में हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। अतः जब हम अंग्रेजी का समर्थन करते हैं तो यह नहीं समझना चाहिये कि हम अंग्रेजी के दास हैं। अंग्रेजी को समाप्त करना अल्पसंख्यक भाषाभाषी लोगों के प्रति अन्याय होगा। लोगों पर जबरदस्ती हिन्दी नहीं थोपी जानी चाहिये। इससे जनता में असंतोष बढ़ेगा। लोगों में यह भावना पैदा करना उचित नहीं है कि नौकरी पाने के लिये हिन्दी सीखना जरूरी है। इस प्रकार लोगों पर भार पड़ेगा।

आज हिन्दी केवल दक्षिण में ही नहीं अपितु देश के सब भागों में विकसित हो रही है। लोग बड़ी संख्या में अंग्रेजी सीख रहे हैं। किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि हम हिन्दी को राज भाषा बनाने के पक्ष में हैं। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि स्विटजरलैण्ड की तरह यहां भी कई भाषायें राज भाषा के रूप में स्वीकार की जानी चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ और ७ विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड ६ और ७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

खंड १ (छोटा नाम और प्रारम्भ)

श्री भक्त दर्शन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1963' [१९६३] के स्थान पर "1964" [१९६४] रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1963" [१९६३] के स्थान पर "1964" [१९६४] रखा जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

श्री भक्त दर्शन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ १ पंक्ति १ "fourteenth" (चौदहवां) के स्थान पर "fifteenth" (पन्द्रहवां) रखा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ १ पंक्ति १ "fourteenth" (चौदहवां) के स्थान पर "fifteenth" (पन्द्रहवां) रखा जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री भक्त दर्शन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भारत का औद्योगिक विकास बैंक विधेयक

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उद्योगों के विकास के लिये ऋण तथा अन्य सुविधायें देने के लिये औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले एवम् कुछ अधिनियमों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैंने सितम्बर, १९६३ में इस ओर संकेत किया था कि हमारी अर्थ व्यवस्था के भावी विकास के लिये नये उपक्रमों के लिये और वर्तमान उद्योगों के औद्योगीकरण के लिये वित्त व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रयोजन के लिये यह रचनात्मक प्रस्ताव लाया गया है।

यह समस्या पुरानी है। १९३१ में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति नियुक्त की गई थी और अल्प संख्यक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना होनी चाहिये।

१९४८ में औद्योगिक वित्त निगम उद्योग पुनर्वित निगम और राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम स्थापित किया गया है। इन उद्योगों ने कुछ हद तक भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा किया है।

औद्योगिक ऋण की मांग और संभरण का अन्तर इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी क्षेत्र में १८०० करोड़ और गैर सरकारी क्षेत्र में १३३५ करोड़ रुपये की पूंजी का अमनुान तीसरी योजना में लगाया गया था जो कि गलत निकला है। ऐसा समझा जाता था कि बिजली और अन्य शक्ति संसाधन मांग की तुलना में अधिक होंगे किन्तु मांग में गुणोत्तर वृद्धि होती है अब हम पेट्रोरसायन उद्योग स्थापित कर सकते हैं और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में राज्य सरकारों को रुचि लेनी चाहिये। इन सब उद्योगों में अगले कुछ वर्षों में काफी पैसा लगाना होगा।

वर्तमान संस्थायें औद्योगिक विस्तार के किये अपेक्षित वित्त व्यवस्था के अतिरिक्त भार नहीं संभाल सकती। उन्हें संविहित सीमाओं में काम करना होता है अतः वे रूढ़िवादी हैं और उन से बहुत सहायता नहीं मिलती।

हम औद्योगिक विकास बैंक को केन्द्रीय समन्वय अभिकरण के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इस की अधिकृत पूंजी ५० करोड़ रुपये होगी जो आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा कर १०० करोड़ रुपया की जा सकती है। इसका उद्योग की दीर्घकालीन और मध्यकालीन वित्त व्यवस्था सम्बन्धी सभी प्रश्नों से सम्बन्ध रहेगा इसे नित्य प्रति के कार्यों में अधिक स्वतंत्रता रहेगी। यह वर्तमान अभिकरणों की पूंजी बढ़ा सकेगा उनके ऋणों की पुनर्वित व्यवस्था कर सकेगा और विशिष्ट परियोजनाओं को सीधे ऋण दे सकेगा और विभिन्न प्राधिकारों और उपक्रमों को तकनीकी सहायता भी दे सकेगा।

इस विधेयक के सम्बन्धित उपबन्ध करते समय हमने कनाडा, पश्चिम जर्मनी जापान आदि देशों के अनुभव से लाभ उठाया है। किन्तु यहां की परिस्थितियों में इस संस्था द्वारा उत्तर-दायित्वों के पालन से इसका मूल्यांकन हो सकेगा।

हम भारत का रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन करके औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि कार्य) निधि स्थापित करना चाहते हैं। इसका निर्णय भारत के रिजर्व बैंक की बहियों पर किया जाएगा और रिजर्व बैंक के वार्षिक लाभ में से इस के लिये धन दिया जाएगा। इस निधि के उन संसाधनों में वृद्धि करने के लिये और जहां तक आवश्यक हो विकास बैंक के अपने कार्यक्रमों के वित्त)षण के लिये औद्योगिक बैंक द्वारा सामान्य ढंग से जुटाये जाएंगे।

इसके अतिरिक्त हम विकास सहायता कोष बनाना चाहते हैं। समय समय पर केन्द्रीय सरकार इसे धन राशियां देगी। किन्तु ये धन राशियां औद्योगिक विकास बैंक के पास रखी जायेंगी और बैंक इसका उपयोग अत्यावश्यक उद्योगों को देने के लिये करेगा। कुछ ही समय में यह संस्था अत्यावश्यक बन जायगी।

हम यह भी उपबन्ध कर रहे हैं कि जो बिल औद्योगिक उपक्रमों के वित्तपोषणा के लिये जारी किये और पांच वर्ष में भुनाये जाने हैं वे औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भुनाये जायेंगे।

नई संस्था को भारी उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं। यह आवश्यक समझा गया है कि इस संस्था का स्वामित्व और प्रबन्ध भारत के रिजर्व बैंक को सौंपा जाये। रिजर्व बैंक उस बैंक का ठीक मार्ग प्रदर्शन कर सकेगा और विकास बैंक अपने कार्य को निभा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

कि उद्योगों के विकास के लिये ऋण तथा अन्य सुविधायें देने के लिये औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले एवम् कुछ अधिनियमों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव और संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : माननीय मंत्री ने इस विधेयक की आवश्यकता बताते हुए इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण का ही विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है और कहा है कि वास्तविक आवश्यकता की तुलना में ऋण व्यवस्था कम है। यह उद्देश्य भी बताया है कि इससे वित्तीय संस्थाओं में तालमेल और उनका केन्द्रीकरण किया जाएगा।

हमारे राष्ट्र संसद और देश ने औद्योगिक विकास के जिन उद्देश्यों को स्वीकार किया है उनका उल्लेख कहीं नहीं। उन्होंने कहा कि जापान के अनुभव से लाभ उठाया गया है। किन्तु जापान औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकासशील देश है और वहां के सब उद्योग कुछ एक एका-धिकारों के हाथ में हैं। हमारे देश की परिस्थितियां उस से सर्वथा भिन्न हैं और यह अर्द्धविकसित देश है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

वास्तविक कारण यह बताया जाता है कि लोगों को अधिक ऋण सुविधाएं दी जायेंगी। किन्तु ऋण सुविधाओं के लिए गैर सरकारी उद्योगपति दुहाई देते रहते हैं। इस अभाव की कसौटी क्या है? उन्होंने सरकार और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा ऋण व्यवस्था से पूंजी निवेश की क्षति पूर्ति में कमी के बारे में जो आंकड़े दिये हैं वे गलत हैं। उन्हें इस लक्ष्य का कुछ अंश ही पूरा करना है, किन्तु उसकी कसौटी क्या है ?

ऋण सुविधाओं की कमी का कोई प्रमाण मुझे तो मिला नहीं। आश्चर्य की बात है कि यह विधेयक ऐसे समय लाया गया है जब महिलानोविस की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक केन्द्रीयकरण के कारणों में से एक यह है कि वित्तीय संस्थाओं के कार्य ने इसमें सहायता की है। सरकार को महलानोविस रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार करना चाहिये जब कि उसमें स्पष्टतः कहा गया है कि आयोजित अर्थ विकास में औद्योगिक वित्त निगम और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने गैर-सरकारी उद्योग के विकास में सहायता दी है और उससे आर्थिक केन्द्रीयकरण हुआ है।

शेख अब्दुल्ला के स्वागत के बारे में

RE : RECEPTION TO SHEIKH ABDULLAH

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री और अन्य सदस्यों ने श्री दिनेश सिंह द्वारा शेख अब्दुल्ला के स्वागत के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया था किन्तु यदि इसके बारे में प्रधान मंत्री वक्तव्य देना चाहें तो दे दें।

Prime Minister, Minister of External Affairs and Atomic Energy (Shri Jawahar Lal Nehru) : Both of them had gone there on my request. Firstly it was a matter of courtesy and secondly they had to look to the arrangements.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, Sheikh Abdullah is an ordinary citizen. He is not a foreigner. How is it that Shri Dinesh Singh who is the Deputy Minister of External Affairs went to the Air Port to receive Sheikh Abdullah. Shri Sadiq and Sadr-e-Riyasat have never been received in this way.

Mr. Speaker : The Hon. Member has asked that whether we have not shown by our conduct that Sheikh Abdullah is a foreign dignatory.

Shri Jawahar lal Nehru : Obviously he is not a Foreign dignatory. But he had come after 12 years. of imprisonment. So special arrangement was required to be made.

Shri Prakash Vir Shastri : I submit, Sir that Shri Dinesh Singh and Shri C. S. Jha had gone to receive him. These persons had gone in their official capacity which is objectionable.

Shri Jawahar Lal Nehru : I thought it proper to send them.

Shri Prakash Vir Shastri : Whether he thought it proper in the capacity of Prime Ministership or in unofficial capacity ?

Shri Jawahar Lal Nehru : I did not think over the problem as to whether I asked them in official capacity as in unofficial capacity. Obviously I asked them in the capacity of Prime Ministership.

Shri S. M. Banerjee : Sheikh Abdullah might not have been encouraged and it might raise misunderstanding regarding Kashmir.

Mr. Speaker : How he can say anything regarding what was in the mind of Sheikh Abdullah.

श्री कपूर सिंह : क्या शेख अब्दुल्ला के स्वागत के लिए इन अधिकारियों का चुनाव अनायास संयोगवश किया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इन प्रश्नों को नहीं समझ रहा। इस प्रकार से विचार नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जब भारत का कोई नागरिक यहां आ रहा हो तो इस प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं दिखाई जाती कि उपमंत्री और मुख्य सचिव उसका स्वागत करने जाएं। इसलिए सदस्य चिंतित हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसमें चिंता की कोई बात नहीं। इन कर्मचारियों से मेरा वास्ता पड़ता है अतः उन्हें भेज दिया था।

भारत का औद्योगिक विकास बैंक विधेयक--जारी
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA BILL—Contd.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस चर्चा से पूर्व मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्री को यह विधेयक अभी नहीं लाना चाहिये था क्योंकि महलानो जिसकी रिपोर्ट में इस बारे में स्पष्ट रूप में कहा गया है और इस विधेयक द्वारा ऐसी संस्था बनाई जा रही है जिससे वित्त व्यवस्था का और अधिक केन्द्रीयकरण होगा।

माननीय मंत्री ने इस बात पर भी बल दिया है कि देश को साहसपूर्वक विदेशी सहयोग से कम्पनियां बनानी चाहिये। इस तरह यह औद्योगिक विकास ऐसे सहयोग प्राप्त उपक्रमों को भी धन देगा। इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर के एक पत्र के अनुसार १३ नई सहयोग प्राप्त परियोजनाएं बनाई गई हैं जिनकी शेयर पूंजी १.४८ करोड़ रुपये है और देश का हिस्सा ५.३० करोड़ रुपया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इससे स्पष्ट है कि इन उपक्रमों में साझेदार भारतीय बड़े बड़े उद्योगपति हैं और राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम औद्योगिक वित्त निगम और यह बैंक आदि सभी इन बड़े बड़े उपक्रमियों को तुष्ट करने के लिए हैं। ब्रिटिश पूंजी पर भारत में मुनाफा ९.४ प्रतिशत है जबकि पाकिस्तान में ३.५ और कनाड़ा में ३ प्रतिशत है। अमरीका की पूजी पर ३.८ प्रतिशत मुनाफा है। इस प्रकार आर्थिक केन्द्रीयकरण हो रहा है। जब कभी यह प्रश्न उठाया जाता है तो माननीय मंत्री कहते हैं कि अभी इसकी आवश्यकता है क्योंकि इससे औद्योगिक विकास होता और बाद में जब देखा जायगा कि इस से बुराई हो रही है तो इसे रोक दिया जाएगा। महलानोविस रिपोर्ट के अनुसार यहां १.६ प्रतिशत कम्पनियां ऐसी हैं जिन में से हर एक की प्रदत्त पूंजी ५० लाख रुपये अर्थात कुल प्रदत्त पूंजी का ५३

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

प्रतिशत है और १० समूहों के हाथ में ३००० करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी की ९२९ कम्पनियां हैं। इस प्रकार की गतिविधि से पता लगता है कि इस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं द्वारा समन्वय और केन्द्रीयकरण के नाम पर एकाधिकार संगठन बनाया जा रहा है। इस बैंक के अधिकार असीम होंगे। इससे वित्त व्यवस्था में प्रतिगामी प्रवृतियां पैदा होंगी।

अत: मैं इस बैंक की स्थापना का विरोध करता हूं। जब तक सरकार महलेनोविस समिति की रिपोर्ट पर विचार न कर लेती ऐसे विधेयक को मंजुरी देना उचित नहीं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के पक्ष में हूं। यह बात बहुत ही गलत और आपत्तिजनक है कि इस तरह का महत्वपूर्ण विधेयक प्रवर समिति को न सौंपा जाय। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय। इसे पारित करने में जिस शीघ्रता से काम लिया जा रहा है वह बहुत ही अनुचित है। इस विधेयक में विकास बैंक को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। रक्षित बैंक को भी काफी अधिकार प्राप्त हैं। अत: संसद को उसकी जांच पड़ताल का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये।

इस विधेयक के द्वारा रक्षित बैंक अधिनियम की ५ महत्वपूर्ण धाराओं को बदला जा रहा है। २१ औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धाराओं में संशोधन किया जा रहा है। बैंकिंग समवाय अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम को भी बदला जा रहा है। विकास बैंक की स्थापना हो रही है। यह विकास बैंक बहुत भारी एकाधिकार संस्था है। इस सम्बंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक देश में जितनी भी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गयी है उनसे कुछ लक्ष्य की ओर बढ़ने के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। समाजवादी समाज की स्थापना के स्थान पर हो यह रहा है कि गैर सरकारी खंड में आर्थिक शक्तियां केन्द्रीयकरण हों। उन्होंने अभी तक ५३३ करोड़ की सहायता दी है। यह बात मैं औद्योगिक वित्त सुविधाओं के विस्तार के सिलसिले में कह रहा हूं।

इस प्रश्न का अध्ययन करने वाले प्रवीण लोगों का मत है और महालेनोविस समिति ने भी इस प्रश्न पर वही मत व्यक्त किया है कि इस तरह से प्राइवेट क्षेत्र में सरकारी निकायों से भारी राशियों का ऋण लेने की आदत हो जाती है तथा वे अपने संसाधनों पर निर्भर नहीं रहते। महालेनोविस समिति का तो यह भी मत है कि इस बात के बावजूद कि सरकार समाजवाद की बातें करती है, परन्तु वित्तीय सहायता का अधिक लाभ बड़ी बड़ी कम्पनियों ने ही उठाया इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर बड़े बड़े पूंजीपति छाये हुए हैं। हम तो यह चाहते हैं कि इन संस्थाओं द्वारा देश का औद्योगिक विकास का कार्य हो और देश समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करे। परन्तु यह प्रश्न है कि क्या इस तरह चलते हुए हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

श्री पी० रा० रामकृष्ण (कोयम्बटूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा विचार यह है कि विधेयक ठीक समय पर ही लाया गया है। देश का औद्योगीकरण चार बातों पर निर्भर करता है। पूंजी, आदमी, सामग्री और मशीनें। हमारे देश में उद्योगों को व्यलियोंसामग्री तथा मशीनों की कमी है। अत: हमें यह समस्या हल करनी है। बहुत से अविकसित देशों में मशीनों को तो बाहर से ही लाया जाता है। परन्तु इसके लिए विदेशी विनिमय भी चाहिए। धन की आवश्यकता होती है और सामग्री की भी। अत: इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि इस कार्य को करने वाली बहुत ही वर्तमान संस्थाओं

पर जो निर्बन्ध हैं, उन्हें दूर कर दिया जाय। इन निर्बन्धों के कारण बहुत से ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती जिनको कि उसकी आवश्यकता होती है। और इसी दृष्टि से मैं इस विधेयक का स्वागत कर रहा हूं। आशा की जाती है कि इस विधेयक से देश में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। आखिर हमने योजनायें भी तो इसीलिए बनाई हैं कि हम प्रगति की ओर बढ़ें। हमारी २५ वर्ष की प्रगति अन्य देशों की २० वर्ष की प्रगति के मुताबिक तो होनी ही चाहिये।

खण्ड ९ के अन्तर्गत बैंक के कार्य करने के सम्बंध में व्यवस्था है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि यह बैंक अथवा किसी सरकारी संस्था के लिए सम्भव है कि वह गैर सरकारी क्षेत्र में ऋण दे। मुझे यह बात सन्देहजनक दिखाई देती है। मेरा यह भी कहना है कि रिजर्व बैंक नये बैंक पर इस प्रकार से नियंत्रण करे कि जिसमें पूरी तरह सन्तुलन रह सके तथा सामंजस कायम रखा जा सके। इसके अतिरिक्त यह बैंक उन उपक्रमों में नये शेयर इत्यादि खरीदेगा, जो कि दूसरी संस्थाओं द्वारा प्रत्याभूत नहीं हैं। यह बैंक इस स्थिति में होना चाहिये जिससे वह नये उद्योगों को चालु करने के लिए हानि का खतरा लेकर पूंजी की व्यवस्था कर सके जो कि बहुत लाभप्रद न हो अथवा जिन्हें गवेषणा कार्यों की आवश्यकता हो। विकास सहायता कोष का स्थापित किया जाना भी ठीक ही है।

एक महत्वपूर्ण बात जो इस दिशा में की गयी है कि इस बैंक को लेखा परीक्षक के झगड़ों से परे रखा गया है। इससे काफी परेशानी भी होती है और देरी भी हो जाती है। मैं इस उपबंध का स्वागत करता हूं। महालेखा परीक्षक के नियन्त्रण के न रहने की व्यवस्था में उपक्रमों को शीघ्र ऋण मिल सकेंगे। इस औद्योगिक विकास बैंक से देश के उद्योगों को लाभ पहुंचेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह विधान बहुत ही सामयिक है।

श्री मुरारका (झुनझुनू): सिद्धांत रूप से मैं प्रत्येक विधेयक को प्रवर समिति के सपुर्द किये जाने के पक्ष में हूं, परन्तु इस मामले में मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके कारण बड़े सरल हैं। सरकार को यदि इनकी जल्दी थी तो इस संस्था को समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करके बजट सत्र में इसके लिए व्यय की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी। इससे सदन में इस पर चर्चा का कोई अवसर ही नहीं आना था। वैसे भी विधेयक के उपबंध इतने सरल हैं कि किसी भी प्रवर समिति द्वारा उनमें छानबीन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरा मत यह है कि विधेयक एक ठीक कार्य के लिए प्रस्तुत किया गया है और एक उचित आवश्यकता को पूरा करता है।

मैं महालेनोविस समिति की इस बात से असहमत नहीं कि अतीत में बहुत से कज बड़ी बड़ी कम्पनियों को ही दिये जाते रहे हैं। और इस तरह धन के केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन मिला है। मैं चाहता हूं कि इस आलोचना को निराधार समझ कर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पूरी चौंकसी रखी जानी चाहिये कि बैंक इस प्रकार काम करें कि बड़े दलों को सहायता देने से धन का केन्द्रीयकरण तेजी से न बढ़ सके। इसका मुख्य उद्देश्य तो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए सरकारी अथवा गैर-सरकारी भेदभाव कुछ अर्थ नहीं रखता।

बैंक का प्रबंध इस विधेयक के अनुसार रिजर्व बैंक को सौंपा गया है जो कि बहुत ही सुव्यवस्थित संस्था है। प्रश्न केवल यह है कि रिजर्व बैंक के निदेशक इस विशाल संगठन के प्रबंध को देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। मैं यह जरूर कहूंगा कि संगठन के लिए एक अलग से निदेशक मण्डल होना चाहिए था। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बैंक का काम औद्योगिक उपक्रमों को अनसूचित बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के लिए वित्त की पुनः व्यवस्था करनी होगी। ऐसे

[श्री मुरारका]

मामलों में यह शर्त लगाई जानी चाहिए कि जिन ऋणों के लिए इस प्रकार वित्त की पुनः व्यवस्था की जायेगी, उन्हें औद्योगिक बैंक को अनुमति प्राप्त होनी चाहिए ।

खण्ड १४ से १६ तक के अन्तगर्त एक विशेष कोष की स्थापना की जा रही है जिसे औद्योगिक विकास के लिए उपक्रमों को सहायता देने के काम में लाया जायेगा । मेरे विचार में इस विशेष निधि के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह तो बहुत ही जोखिम का काम है । इससे तो अन्य कर्जों के प्रति बैंक का रवैया बहुत ही कड़ा हो जायेगा । यदि एक निगम द्वारा दूसरे निगम में धन लगाने से रोकने की बात हो तो कम्पनी विधि प्रशासन के पास काफी उपबन्ध हैं । उनका उपयोग किया जा सकता है । मेरा यह भी मत है कि बैंक में प्रस्तावित ५० करोड़ रुपये का निवेश बहुत कम है । बात यह है कि बैंक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए भी धन देगा । और इस क्षेत्र के निकायों को धन की अधिक आवश्यकता होती है । हिन्दुस्तान स्टील नाम की एक ही कम्पनी ने सरकार से ३०० करोड़ रुपया कर्जा लिया है ।

कई लोग यह समझते हैं कि इससे कुछ गैर-सरकारी निकायों को सहायता प्राप्त होगी । मेरा कहना है कि सरकारी वित्त संस्थायें ८ प्रतिशत ब्याज लेती हैं, जबकि सरकार ४ अथवा ३½ प्रतिशत पर ऋण लेती हैं । अतः मेरे विचार में इस विधेयक से सरकार को लाभ होगा । यह केवल सारे औद्योगिक विकास की ही बात नहीं रहेगी, ब्याज दर में भी लाभ होगा । सरकार ४ प्रतिशत देती है और ८ प्रतिशत वसूल करती है ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इससे छोटे छोट उद्योग-पतियों को अपनी मरजी के अनुसार उद्योग स्थापित करने की दिशा में जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें दूर करने का उपचार किया गया है । यदि देखा जाय तो उन कठिनाइयों को इसी उपाय से ही दूर किया जा सकता है । खंड ६ के अन्तर्गत इस विकास बैंक को यह अधिकार मिलेगा कि वह दैनिक उपयोग की कई तरह की वस्तुएं बनाने में सहायता देकर देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार करे । इससे सामूहिक रूप में काफी लाभ पहुंचने की सम्भावना है ।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों की विस्तृत परिभाषा दी गयी हैं और इसमें वे सभी उद्योग आते हैं जो देश के समक्ष सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकें । सभी वित्तीय संस्थायें बम्बई में ही नहीं रहनी चाहियें बल्कि उनकी शाखायें दिल्ली, कलकत्ता आदि में भी होनी चाहियें । यदि विकास उद्योगकारियों की उचित कीमत पर तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में सहायता कर सका, तो इनसे उनकी काफी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । विधान का स्वागत है और आशा है कि विकास बैंक यथाशीघ्र अपना काम आरम्भ कर देगा ।

Shri Bade (Khargone) : This Bill is very loosely worked and has got so many short comings. It is very necessary that it should go to the select Committee. It has been said that if the Bill goes to the select Committee, there will be delay of four months. I do not think this delay will have some bad effect. I think the Government wanted to hirk responsibility by entrusting the financing of Industries to the Bank. If you look at definition of 'industrial concern' you will find that even the Hotels have been included in it.

Together with that I feel that there is absolutly no reason to establish the Bank in place of Refinance Corporation which was helping the development of Industries. Also there was no reason to establish the Bank in place of the Refinance Corporation which was helping the development of the Industries. The bank had been permitted to borrow any amount of foreign exchange and advance any amount of loans. We were already indebted to foreign countries to a great extent. In the circumstances the bank should not be allowed to have foreign loans. We are already under very heavy foreign loans. And the Government have also not placed this matter before the Parliament. I think it is wrong to give so much power to the Development Bank.

One of the reasons for which the Bill should be referred to the Select Committee is that there is a demand of several amendments in the various clauses of the bill, this bill is brought before the parliament just at the fag end of the session, perhaps the Government did not like that the House should consider it extensively and criticize the Government. There is no check on the bank and even the control of the Auditor General is also excluded. I do not know whether the Public Accounts Committee then have any check on it or not. The money which is advanced to the industries by the Government had been often misused. The Air India which was advanced money by the Government is constructing a huge building of 18 Storeys for that 150 thousand Dollars will have to be paid to the American architect. This is the way how the Public money is being wasted. And this is also very important matter that the Industries which were given loans employed their officers on the recommendation of Ministers at high salaries.

श्री रंगा (चित्तूर) : यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आखिर एक औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की जा रही है। औद्योगिक वित्त निगम तथा इस प्रकार की अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। इस बैंक के लिए पूंजी अन्य देशों के सहयोग से प्राप्त की जायेगी। यह बैंक उन उद्योगों को जानकारी प्रदान करने के लिये आवश्यक उपकरण बनायेगा जो कि इससे वित्तीय अथवा अन्य सहायता प्राप्त करना चाहेंगे। यह बैंक विभिन्न उद्योगों, जिनमें कुटीर उद्योग भी शामिल हैं, को ऋण देगा। इसलिये सरकार को विदेशी सरकार को तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से इस बैंक को अधिक राशि उपलब्ध करानी चाहिये।

यह खेद का विषय है कि इस विधेयक को पहले नहीं लाया गया ताकि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जा सकता और इस पर वहां अच्छी तरह बहस की जा सकती।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण) : देश के औद्योगिक विकास के लिये एक औद्योगिक विकास बैंक का होना बहुत जरूरी है। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय का भार संभालने के थोड़े ही समय के भीतर इस प्रकार का बैंक स्थापित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह बैंक देश में उद्योगों को ऋण देने वाली संस्थाओं को महत्वपूर्ण योग देगा। हालांकि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं फिर भी माननीय मंत्री को विद्यमान औद्योगिक वित्त सस्थाओं में से कुछ का विस्तार करके उन्हें इस उद्देश्य के लिये काम में लाने की संभावना पर विचार करना चाहिये था और इस नई संस्था के खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रस्तावित औद्योगिक विकास बैंक रिजर्व बैंक के सहायक के रूप में कार्य करेगा और रिजर्व बैंक का निदेशक बोर्ड इस बैंक का भी निदेशक बोर्ड होगा। परन्तु हमें यह देखना है कि यह बैंक रिजर्व बैंक का एक विभाग मात्र ही बन कर न रह जाये। हमें कोई ऐसी व्यवस्था अपनानी चाहिये जो कम जटिल हो और अधिक युक्तियुक्त

[श्री व० वा० गांधी]

हो। मैं यह सब विधेयक की आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं अपितु मैं चाहता हूं कि इस मामले पर आगे विचार किया जाये। इस बैंक को जो अधिकार तथा कृत्य सौंपे गये हैं वे काफी ठोस हैं, इसलिये यह बैंक औद्योगिक वित्त क्षेत्र में बहुत सफलता से काम कर सकेगा। इस नई संस्था की मुख्य विशेषता यह है कि विकास सहायता कोष बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्योगों को विशेष मामलों में वित्तीय सहायता देना है और वह सहायता केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही दी जा सकेगी ।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : औद्योगिक वित्त निगम, पुनर्वित निगम तथा राज्य वित्त निगमों की स्थापना के बावजूद भी उद्योगों के विकास के लिये वित्त का प्रबंध नहीं हो सका है। इसके कई कारण हैं। उनके पास वित्त की कमी है, वे समय पर उपक्रमियों की अर्जियों का निपटारा करने में असमर्थ रहे हैं और इसलिये समय पर उन्हें वित्त उपलब्ध नहीं कर सके हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित औद्योगिक विकास बैंक स्थापित करना बहुत जरूरी है। मुझे प्रसन्नता है कि औद्योगिक विकास निगम तथा पुनर्वित्त निगम को इस नई संस्था में मिलाया जा रहा है। उद्योगों के विकास के लिये वित्त उपलब्ध करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित बैंक को ५० करोड़ रुपये उपलब्ध करने से भी काम नहीं चलेगा। मैं इस नई संस्था के खोले जाने का स्वागत करता हूं क्योंकि यह औद्योगिक एक्कों को विनियमित करने तथा चालू रखने में सहायता देगी।

मैं त्रिदीव कुमार चौधरी के इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के संशोधन से सहमत नहीं हूं क्योंकि इस विधेयक के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि इस विधेयक पर विचार करते समय हमें सामाजिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिये। मेरा उनसे निवेदन है कि यह विधेयक उस दिशा में ही एक कदम है। यह संस्था रिजर्व बैंक के सहायक के रूप में काम करेगी, अतः इसके कार्य पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा। इस संस्था का प्रबंध रिजर्व बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में और अधिक युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपनाये ।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : खण्ड २ में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा। इसमें जो परिभाषा दी हुई है, वह बहुत अधिक व्यापक है। "देश का औद्योगिक विकास" शब्दों में विलास वस्तुओं का उत्पादन भी आ जाता है। परन्तु हमें उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देना चाहिये। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे खण्ड १६(३) की शब्दावलि को इस प्रयोजन के लिये और अधिक सीमित कर दें। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इस विकास बैंक के प्रबंधक बोर्ड पर ऐसे व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिये जिनको इस बैंक द्वारा सहायता दी जाती हो और न ही उस पर ऐसे अधिकारियों को स्थान दिया जाना चाहिये जिनको बैंकिंग के काम का कोई अनुभव न हो। मैं श्री श्यामलाल सर्राफ से सहमत हूं कि यह विधान समाजवाद की दिशा में ही एक कदम है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इस सभा का तथा उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का जोरदार समर्थन किया है। यह विधेयक बिल्कुल स्पष्ट है। परन्तु श्रीमती रेणुका राय ने खण्ड १६ के बारे में कुछ आशंका व्यक्त की है। इस खण्ड के परन्तुक में दिया हुआ है कि विकास सहायता कोष से सहायता देने के प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। परन्तुक में यह उल्लेख है कि ऐसे उद्योगों के विकास को विशेष महत्व दिया जायेगा जो लाभ नहीं कमा सकते हैं किन्तु वे बहुत आवश्यक उद्योग हैं। इसलिये खण्ड १६ (३) में संशोधन करने की कोई आवश्कता नहीं है ।

यह प्रतिभाशाली महानुभाव अपनी धारणा को नहीं बदल सकते। महलानोविस समिति का उल्लेख असंगत था। इस विधेयक द्वारा वास्तव में उस समिति की रिपोर्ट में बताई गई समस्याओं को ही हल करने का प्रयत्न किया गया है।

कम्पनी निर्माता लोग इस भय से प्रबंध अभिकरण नहीं बना रहे कि सरकार उनका अनुमोदन नहीं करती ।

गत चार पांच वर्ष से बाजार में कई लाभदायक प्रस्तावों को प्रोत्साहन नहीं मिला। नये पूंजी निदेशकों को अपनी पूंजी से लाभ प्राप्त करने के लिए पांच छः वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बाजार के उतार चढ़ाव से वे लाभ नहीं उठा सकते। विदेशी समवायों को जब आशंका होती है कि मुनाफा मिलने में देर लगेगी तो वे समवाय स्थापना में योग नहीं देते। अतः इस अन्तर को दूर करने के लिए यह संस्था बनाई जा रही है।

इसे देश की सर्व प्रमुख वित्तीय संस्था के अधीन रखा जायगा। रिजर्व बैंक स्वायत्तशासी संस्था है और हम चाहते हैं कि वह स्वतंत्र रूप से काम करे। हम रिजर्व बैंक के निदेशकों में अनुभवी लोगों को ही नियुक्त करते हैं। जिस निदेशक के बारे में माननीय सदस्य ने कहा था उसने ५०० रुपये मासिक के वेतन से अपना जीवन आरम्भ किया था और यह अनुभव प्राप्त किया है। इतना बड़ा वेतन पाने वाले लोग सरकार से २२५० या २०५५ रुपये की नौकरी पर सेवा करने के लिए तैयार हैं ।

श्री लिदिव कुमार चौधरी अपने संशोधन द्वारा विधेयक में विलम्बकारी बाधा डालना चाहते हैं। किन्तु क्योंकि विधेयक त्रुटिहीन है अतः मैं इस के लिए तैयार नहीं हूं।

शरोफ समिति की सिफारिशों की भी जांच की गई है और उन में से कुछ को स्वीकार कर लिया गया है। मैं प्रसन्न हूं कि श्री रंगा ने इस विधेयक का समर्थन किया। पहले कभी युद्ध पूर्व काल में वित्त मंत्री को केवल ८० करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था करनी होती थी अब ४००० करोड़ पये के बजट को संभालना होता है। उस हिसाब से ५० वित्त मंत्री चाहियें। राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। पहले राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था के संचालन के सम्बंध में सरकार और संसद के उत्तरदायित्व कम थे किन्तु अब वे बहुत बढ़ गये हैं इसलिए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है। जीवन बीमा निगम का शेयर बाजार के मूल्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव है। मैं चाहता हूं कि आज भारत में कम्पनियों की अंश पूंजी में लोगों का अधिकाधिक हिस्सा हो। आज जीवन बीमा निगम के प्रभाव के कारण कोई व्यक्ति शेयर बाजार में मंदी नहीं पैदा कर सकता। अतः मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होना चाहिये और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो शिकायत की है वह ऐसे विधान से दूर हो जायगी ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मैं श्री मुरारका का आभारी हूं कि उन्होंने विरोधी पक्ष की बहुत सी दलीलों का उत्तर दे दिया है। इस प्रकार की संस्था को सहायता मिल सकेगी जिसका लाभ होगा। श्री बड़े ने होटल उद्योग पर आपत्ति की है। किन्तु होटल उद्योग से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

जो अन्य संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनका कोई ठोस आधार नहीं है अतः मैं खेदपूर्वक उन्हें अस्वीकार करता हूं। भारतीय वित्त निगम और पुनर्वित के कार्यों को इस बैंक को सौंप दिया जायगा। भारतीय वित्त निगम का इसमें विलय नहीं किया जा रहा क्योंकि उसके विदेशों के साथ संविदा है अतः वह सहायक संस्था के रूप में काम करेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का संशोधन संख्या ९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 9 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि उद्योगों के विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधायें देने के लिए औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले एवम् कुछ अधिनियमों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : खण्डवार विचार। खण्ड २ से ८ पर कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड २ से ८ विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं संशोधन संख्या २ और ३ प्रस्तुत करता हू :

मेरे संशोधन का यह उद्देश्य है कि जिस राज्य में औद्योगिक कम्पनी हो उसकी सहमति प्राप्त कर ली जाए क्योंकि विकास बैंक इस कार्य में अग्रनायक है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में यह संस्था उधार देगी। इसे अधिकार होगा कि इसके ऋण और प्रतिभूति आदि को शेयर में बदल दिया जाए अतः इसकी स्थिति किसी राज्य के अधीन नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ और ३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।
Amendments Nos. 2& 3 were put negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खंड ११ (विकास बैंक द्वारा ऋणों और निक्षेपों की स्वीकृति)

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं संशोधन संख्या ४, ५, और ६ प्रस्तुत करता हूं ।

बजाय इसके कि विकास बैंक को बांड जारी करने का विकल्प प्राप्त हो उसे रिज़र्व बैंक की अनुमति से ऐसा करने का अधिकार देना चाहिये । यह बैंक जब रिजर्व बैंक की अपेक्षा अन्य किसी संसाधन से ऋण प्राप्त करे तो इस की अनुमति रिजर्व बैंक को देनी चाहिये और केन्द्रीय सरकार के रिजर्व बैंक से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहिये कि वह विकास बैंक की प्रार्थना का समर्थन करता है कि उसके बांडों और डिबेंचरों को गारन्टी दी जाय ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विकास बैंक और रिज़र्व बैंक के बोर्ड एक ही होंगे अतः इस आश्वासन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४, ५ और ६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 4, 5 and 6 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड ११ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खंड १२ से १५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 12 to 15 were added to the Bill.

खंड १६ (विकास सहायता कोष का आयोग)

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरे संशोधन का यह उद्देश्य है कि अन्य वित्तीय संस्थाएं पूरा ऋण नहीं दे सकती अतः विकास बैंक ऋण देगा इस प्रकार की व्यवस्था उप खण्ड २ में स्पष्ट नहीं अतः उसमें रूपभेद किया जाये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह संशोधन मान लेने पर विकास बैंक को निश्चित जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी जब कि अन्यथा वह अनुमान के आधार पर ऋण दे सकेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 7 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खंड १७ से २४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 17 to 24 were added to the Bill.

खंड २५ (उद्योग पुनर्वित्त निगम की परिसम्पत्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण)

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन द्वारा हम विकास बैंक को विकल्प दे देंगे कि वह विकास के लिये चालू शेयरों में और चाहे नगद क्षति पूर्ति दे दे ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड २५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25 was added the to Bill.

खंड २६ से ३६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 26 to 36 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३७, और ३८, प्रथम अनुसूची और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ३७ और ३८, प्रथम अनुसूची और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 37 and 38, the First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

खंड १, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ति० त० कण्णामाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

हूं कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

श्री दी० चं० शर्मा : यह विधेयक बहुत जल्दी में तैयार किया गया प्रतीत होता है। दो महत्वपूर्ण उद्योगों को इस में स्थान नहीं दिया गया। हम अनिवार्य शिक्षा का आयोजन कर रहे हैं किन्तु मुद्रण उद्योग को इस विधेयक में स्थान नहीं दिया गया। इसी तरह प्रतिरक्षा उद्योग को भी इसमें नहीं रखा गया जब कि हमें दो शत्रुओं का सामना करना है और यह उद्योग कमी गैर-सरकारी क्षेत्र को भी दिया जा सकता है।

मैं और सारा देश औद्योगिक विकास के पक्ष में हैं किन्तु इसे सामाजिक उद्देश्यों से वंचित नहीं रखना चाहिये। विधेयक में भुवनेश्वर के समाजवाद सम्बन्धी संकल्प की भावना को प्रतिष्ठित नहीं किया गया।

कहा जाता है कि यह बैंक प्रमुख कार्य करेगा किन्तु इस काम के लिये उसे स्वतन्त्र रूप देना चाहिये था भला रिजर्व बैंक का सहायक बैंक हो कर वह प्रमुख काम कैसे कर सकेगा ?

इस विधेयक द्वारा औद्योगिक विकास का एक लक्ष्य प्राप्त किया जाना है किन्तु बैंक के लिये १४ करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है जो आज की परिस्थितियों जब कि देश का बजट १०,००० करोड़ रुपये तक पहुंच गया है बहुत कम है। इसके लिये अधिक राशि होनी चाहिये थी।

इस विधेयक में देश की प्रतिभा का आभास नहीं मिलता क्योंकि इसे पश्चिम जर्मनी, कनाडा आदि कई देशों से उधार ले कर तैयार किया गया है। इस बैंक से बड़े बड़े उद्योगों को ही सहायता मिलेगी और उद्योग पुनर्वित निगम समाप्त हो जायगा जो मध्यम कोटि के उद्योगों को ऋण देता था। सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र सरकार की दो आंखें हैं। इस विधेयक द्वारा दोनों का विलय होना चाहिये था और दोनों को सामान्य महत्व मिलना चाहिये था।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये बातें तीसरे पाठ्यक्रम में नहीं कही जा सकती। तीसरे वाचन में स्वीकृत और अस्वीकृत संशोधनों के बारे में ही चर्चा की जा सकती है। श्री दी० चं० शर्मा ने भले ही महत्वपूर्ण बातें कहीं है किन्तु वे पहले कहनी चाहिये थी।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारतीय सिक्के (संशोधन) विधेयक
THE INDIAN COINAGE (AMENDMENT) BILL

योजना मंत्री (श्री व० रा० भक्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय सिक्के अधिनियम १९३० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ?"

विधेयक का उद्देश्य यह है कि भारतीय सिक्कों के नाम में से नया या नये शब्द निकाल कर उनका नाम पैसे रख दिया जाए। अब पुराने सिक्कों का प्रचलन बंद हो चुका है अतः अब दशमिक सिक्कों के नाम में नये शब्द की आवश्यकता नहीं रही। इस विधेयक द्वारा पहली जून से नये पैसे या पैसे रख दिया गया है। यह परिवर्तन गज़ट अधिसूचना द्वारा किया जा सकता था किन्तु इस के कारण कुछ और परिवर्तन आवश्यक है जिस कारण यह संशोधक विधेयक लाया गया है। नया पैसा का नाम पैसा बदल देने पर भी पुराने नये पैसे चलते रहेंगे। सभी अधिनियमों आदि में भी इस नाम के परिवर्तन को लाना है अतः दूसरा संशोधन प्रस्तुत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय सिक्के अधिनियम, १९०६ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हेडा (निजामाबाद) : अब भी यदि आप बाजार में जाएं तो लोग आनों की ही बात करते हैं। अतः आवश्यकता यह है कि सिक्के का नाम बदलने के साथ साथ उन्हें लोकप्रिय भी बनाया जाए। अतः सरकार को बताना चाहिये था कि वह नये सिक्के को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या वर्तमान नये पैसे के साथ साथ दस और पांच नये पैसे के सिक्को का प्रचलन भी अभी बना रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*

श्री मुरारका : मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारतीय शब्द के रखे जाने का क्या कारण है। "भारतीय" शब्द रखने की प्रथा तो अंग्रजों के शासन-काल में चली थी। इसलिये मेरा सुझाव है कि भारतीय तंकन अधिनियम की बजाय केवल टंकन अधिनियम शब्द ही रखे जायें।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं इस ओर विधि मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : "आना" शब्द का प्रयोग कई शताब्दियों से होता चला आ रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि "आना" का प्रचलन बन्द कर देने की बजाय यह बेहतर होगा कि ५ नये पैसे का एक आना कर दिया जाय और एक रुपये के २० आने कर दिये जायें।

महाराज कुमार विजय आनन्द : चूंकि मशीनें बदलनी पड़ेगी तो इस पर कितना खर्च आयेगा ?

श्री सोनावने (पंठारपुर) : मेरा एक सुझाव यह है कि छोटे से छोटे सिक्के का आकार कुछ बड़ा होना चाहिये। वर्तमान नये पैसे का आकार इतना छोटा है कि यह हाथ से निकल जाता है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि नये पैसे शब्दों का प्रयोग अन्य सिक्कों में भी नहीं होना चाहिये। आप नये पैसे शब्दों में परिवर्तन तो कर रहे हैं परन्तु अन्य बड़े सिक्कों में शब्द नये पैसे के स्थान पर भी पैसे ही प्रयोग होना चाहिये। यह एक, वैधिक त्रुटि है। इन सुझावों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं श्री सोनावने से सहमत हूं कि नये पैसे का आकार कुछ बड़ा होना चाहिये। धातु के मूल्य के सिक्के के मूल्य से कम रखने के लिये पैसे के बीच में वैसे छेद रखा जाय जैसा गत युद्धकाल में रखा गया था। एक अन्य सुझाव यह है कि कम से कम सिक्का २ नये पैसे का हो और उसका आकार बड़ा कर दिया जाय।

श्री कन्डप्पन : हमारे देश के लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं हैं और वह सिक्कों की पहचान उसके रंग और आकार से ही करते हैं। परन्तु अधिकतर सिक्कों पर शब्द भी हिन्दी भाषा में लिखे होते हैं जिन्हें लोगों के लिये समझना कठिन होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सिक्कों पर लिखे शब्द सभी प्रादेशिक भाषाओं में हों।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I am unaole to support the proposed measure. Our old coinage system, that of rupee and annas, has been in use from a pretty long time and it has been the backbone of our bacnomy. To our surprise that has been changed and a new decimal system has been enforced. I fail to understand the logic behind this change. One Naya Paisa has no purchase value and it is dangerous in the sense that children have often swallowed it. At least the size of the Naya Paisa should have been a bit larger. Moreover this Naya Paisa system has led to a lot of disputes between customer and the shopkeeper. The hon. Finance Minister has done a very good job by amending the Gold Control Order and withdrawing the C.D.S. I request him to withdraw the new system of decimal coinage or as an alternative increase the size of Naya Paisa.

Shri Sheo Narayan (Bansi) : The reason for change over to the decimal system of coinage is clear and simple. This system is the accepted one throughout the world moreover, accounting becomes very easy with the new system. Therefore the new system should be a welcome. So far as disputes over Naya Paisa are concerned, both sides are responsible for them. Every person while giving two annas wants to give 12 naye Paise and while taking wants to take 13 naye Paise. As a teacher I can appreciate the uses of the decimal system. It has become quite feasible for all to do accounts. I therefore support the proposed measure.

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्यों ने नये पैसे के वजन और आकार के बारे में जो सुझाव दिये हैं मैं उन पर विचार करूंगा। कठिनाई केवल यह है कि आकार बढ़ा देने से धातु का मूल्य नये पैसे से अधिक हो जाता है। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि एक नये पैसे के स्थान पर २ नये पैसे का सिक्का ही होना चाहिये। परन्तु इस से दशमलव पद्धति में कठिनाई उत्पन्न होगी। हमने शीघ्र ही ३ नये पैसे का सिक्का चालू करना चाहते हैं। शायद उससे समस्या हल हो जाय। आने का प्रचलन धीरे धीरे बन्द हो जायगा। अब नये पैसे का प्रचलन बढ़ रहा है और स्कूलों में बच्चे भी दशमलव पद्धति से हिसाब सीखते हैं। इसलिये आने के सिलसिले में जो समस्या पेश की गई है वह समय आने पर अपने आप समाप्त हो जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय सिक्के अधिनियम, १९०६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं भारत सरकार और अमरीका के बीच हुए एक सौदे की चर्चा करूंगा। हमें, चांदी के रूप में अदायगी करनी थी परन्तु रुपये के साथ साथ उसमें जो निकल आदि धातु होती है उसे भी मुफ्त ही दे दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उस का क्या कारण था।

Shri Buta Singh (Moga) : I rise to oppose this measure. In Bombay and at other place the employees of mints are searched while they leave mints. The turbans of the sikhs have been searched. They have been insulted and humiliated. The sikh Community is most honest and loyal Community. Inspite of that their services in the mints have been dispensed with. This is most unfair on the part of the anthorities. I want that the Government should change its policy.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अमरीका को चांदी के साथ जो अन्य सिक्के भेजे गये थे उसका एक कारण था। वास्तव में अमरीका चांदी ही लेने को तैयार था परन्तु उन सिक्कों से चांदी अलग करने में बहुत अधिक व्यय होता था इसलिये भारत सरकार ने अपने हितार्थ ही उन सिक्कों को अमरीका भेजा था। हमें उस में कुछ हानि नहीं हुई थी। जहां तक टकसालों में तलाशी लिये जाने का सम्बन्ध है उसका प्रस्तुत विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक

COIR INDUSTRY (AMENDMENT) BILL

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

परिनियत नारियल जटा बोर्ड १९५४ में स्थापित किया गया जिसके बाद इस उद्योग में काफी सुधार लाये जा चुके हैं जो भी त्रुटियां पाई जाती हैं पिछले कुछ वर्षों में वह ठीक हो गई हैं। अब हम १४ से १५ करोड़ रुपये के माल का निर्यात कर रहे हैं और उद्योग सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। अन्य देशों से मालूम करने पर हमें विश्वास हो गया कि उद्योग का यंत्रीकरण करना आवश्यक है। इसके पश्चात् एक त्रिदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें केरल के सांसदों को भी बुलाया गया। हमने यह निश्चय किया कि डिजाईनों में सुधार तभी सम्भव है जब कि माल बुनने, तैयार करने और रंगने सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हों। इसलिये हमने निर्णय लिया है कि पटसन बोर्ड एक कारखाना स्थापित करे। चूंकि यह अपनी प्रकार का एक नया कारखाना होगा इसलिये बहुत कम गैर-सरकारी समवाय कारखाना स्थापित करने के लिये तैयार हैं। हमें सर्वे के परिणामस्वरूप यकीन हो गया है कि हम काम करने का तरीका भी जानते हैं और कच्चा माल भी हमारे पास है। कारखाना स्थापित करने से हमें विदेशी मुद्रा का भी लाभ होगा और लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

हम समझते हैं कि इस उद्योग के विकास के लिये हमें अतिरिक्त सहायता देनी पड़ेगी। वह सहायता ऋण, अनुदान, और तकनीकी जानकारी के रूप में दी जा सकती है। इसी उद्देश्य से संशोधन में हम ने उपबन्ध रखा है कि केन्द्रीय सरकार बोर्ड को वित्तीय सहायता दे सकेगी। इस संशोधन के परिणामस्वरूप हम पंजीकृत कारखाने स्थापित कर सकेंगे। और सरकारी एवं गैर-सरकारी कारखानों को सहायता भी दे सकेंगे। इसलिये मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक को पारित करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि नारियल उद्योग अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर, संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्री बासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : मैं माननीय मंत्री से सहमत नहीं हूं कि यह उद्योग पर्याप्त गति से चल रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि निर्यात बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा है परन्तु निर्माण क्षेत्र में काम सन्तोषजनक ढंग से नहीं हुआ है। नारियल जटा की चटाईयों का निर्यात वास्तव में कम हुआ है। जहां तक इस उद्योग के निर्यात माल का सम्बन्ध है अन्य देशों के उद्योगपति और अन्य सरकारें भी इसके निर्यात के मामले में हमारे साथ भेदभाव का व्यवहार कर रहे हैं। निर्मित माल पर शुल्क भी अत्यधिक है। वह वास्तव में हमारे देश से कच्चे माल का आयात करते हैं और चटाइयां आदि तैयार कर के फिर निर्यात करते हैं। मुझे आशा है कि सरकार नारियल जटा के धागे का अन्य देशों को निर्यात नहीं करेगी और उन्हें हमारे, निर्यात माल का आयात करने पर बाध्य करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या की ओर अब तक उचित ध्यान नहीं दिया गया। इस के कारण निर्मित माल का निर्यात कम हो रहा है। इस उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गई है। यदि आप सम्बद्ध क्षेत्रों में जायें तो आप को मालूम होगा कि क्या स्थिति है। कारखाने बन्द हो गये हैं और श्रमिक भूखों मर रहे हैं। १५ वर्ष पूर्व इस उद्योग में ५०,००० श्रमिक काम करते थे परन्तु आज १०,००० श्रमिक भी काम नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमें अपनी असफलता स्वीकार करनी होगी।

अब आपने इस उद्योग का यंत्रीकरण करने का निर्णय लिया है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस का परिणाम यह होगा कि श्रमिक बेकार हो जायेंगे। यंत्रीकरण से प्रभावित होने वाले श्रमिकों को अन्य उद्योगों में रोजगार दिलाने के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। श्री के० दे० मानवीय ने एक कारखाने का शिलान्यास किया था परन्तु आज तक वहां कारखाना स्थापित नहीं हो सका है। श्रमिकों को रोजगार दिलाने के बारे में बदले के उद्योग स्थापित करने के लिये सुझाव देने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। परन्तु उस पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई। आप बेशक उद्योग को यंत्रीकरण कीजिये, परन्तु माननीय सदस्य को इसी समय आश्वासन देना होगा कि जो लोग इसके कारण रोजगार खो बैठेंगे उनको अन्य स्थानों में काम दिलाया जायगा। उन के लिये बदले के उद्योग स्थापित किये जायेंगे ।

निर्मित माल सम्बन्धी उद्योगों को संरक्षण देने के लिये नारियल जटा धागे के उद्योग की तुलना में इस पर शुल्क कम लगाया गया था परन्तु गत वर्ष वह शुल्क बढ़ा दिया गया। इससे माल तैयार करने वाले कारखानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नारियल जटा बोर्ड ने एकमत से सिफारिश की थी कि वह शुल्क वापस किया जाय परन्तु इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। सरकार को चाहिये कि तुरन्त उस बारे में निर्णय ले।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF HOUSE

नवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड़) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १ मई, १९६४/वैशाख ११, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the 1st May, 1964/Vaisakha 11, 1883 (Saka)

GMGIPND—LS III—671 (Ai) LSD—10-7-64—600.